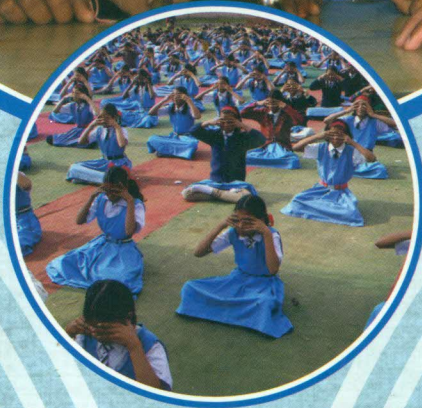




मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19



स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

भाग – एक

- 1.1 विभागीय संरचना एवं विभागीय संगठन
- 1.2 अधीनस्थ कार्यालय
- 1.3 विभाग के दायित्व
- 1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.1 विभागीय संरचना

1.1.1 विभागीय संरचना निम्नानुसार है:-

मध्यप्रदेश शासन	
विभाग का नाम – स्कूल शिक्षा विभाग	
मंत्री	डॉ. प्रभुराम चौधरी
सचिवालय	
प्रमुख सचिव	श्रीमती रश्मि अरुण शर्मा
उप सचिव	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव
उप सचिव	श्री सुधीर कोचर
उप सचिव (पदेन)	श्री के.के. द्विवेदी
उप सचिव (पदेन)	श्री प्रमोद सिंह
वित्तीय सलाहकार	श्री राजीव सक्सेना
अवर सचिव	श्री राजेन्द्र डेकाटे श्रीमती कलावती उईके

1.1.2 विभागीय प्रमुख

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्रीमती जयश्री कियावत
प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम	श्री राजेश जैन
संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्रीमती आईरीन सिंथिया जे.पी.
संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्रीमती आईरीन सिंथिया जे.पी.
सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल	श्री अनिल सुचारी
संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद	श्री प्रभातराज तिवारी
निदेशक, महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान	श्री प्रभातराज तिवारी
सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड बोर्ड	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी
राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाईड	श्री आलोक खरे
अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय	मेजर जनरल मुकेश के. दत्ता

1.1.3 विभागीय संस्थाओं/विभागीय प्रमुख एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी

1.1.3.1 लोक शिक्षण संचालनालय

आयुक्त, लोक शिक्षण	श्रीमती जयश्री कियावत
अपर परियोजना संचालक (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)	श्री गौतम सिंह
संचालक	श्री गौतम सिंह
अपर संचालक	श्री डी.एस.कुशवाह
	सुश्री कामना आचार्य
संयुक्त संचालक	श्री संजय कुमार
	श्री प्रभातराज तिवारी
	श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी
	श्री शीतांशु शुक्ला
	श्री सैयद सरवर हुसैन रिजवी

1.1.3.2 राज्य शिक्षा केन्द्र

संचालक	श्रीमती आईरीन सिंथिया जे.पी.
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री रोहित सिंह
अपर संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्री ओ.एल. मण्डलोई
संयुक्त संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र	श्री रवीन्द्र सिंह
	श्री देवभूषण प्रसाद

1.1.3.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

अध्यक्ष	श्री इकबाल सिंह बैस
सचिव	श्री अनिल सुचारी
अतिरिक्त सचिव	सुश्री शीला दाहिमा
उपसचिव	श्री प्रकाश सिंह चौहान
परीक्षा नियंत्रक	श्री बलवंत वर्मा
अपर संचालक वित्त	श्री गोपाल प्रसाद सिंह

1.1.3.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद

अध्यक्ष (पदेन)	डॉ.प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
संचालक	श्री प्रभात राज तिवारी

1.1.3.5 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश

चेयरमेन	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
निदेशक	श्री प्रभातराज तिवारी
उप निदेशक	श्री प्रशांत डोलस

1.1.3.6 म.प्र. मदरसा बोर्ड

अध्यक्ष	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
सचिव	श्री सैयद सरवर हुसैन रिज़वी

1.1.3.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

अध्यक्ष	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
उपाध्यक्ष	—
प्रबंध संचालक	श्री अनिल सुचारी

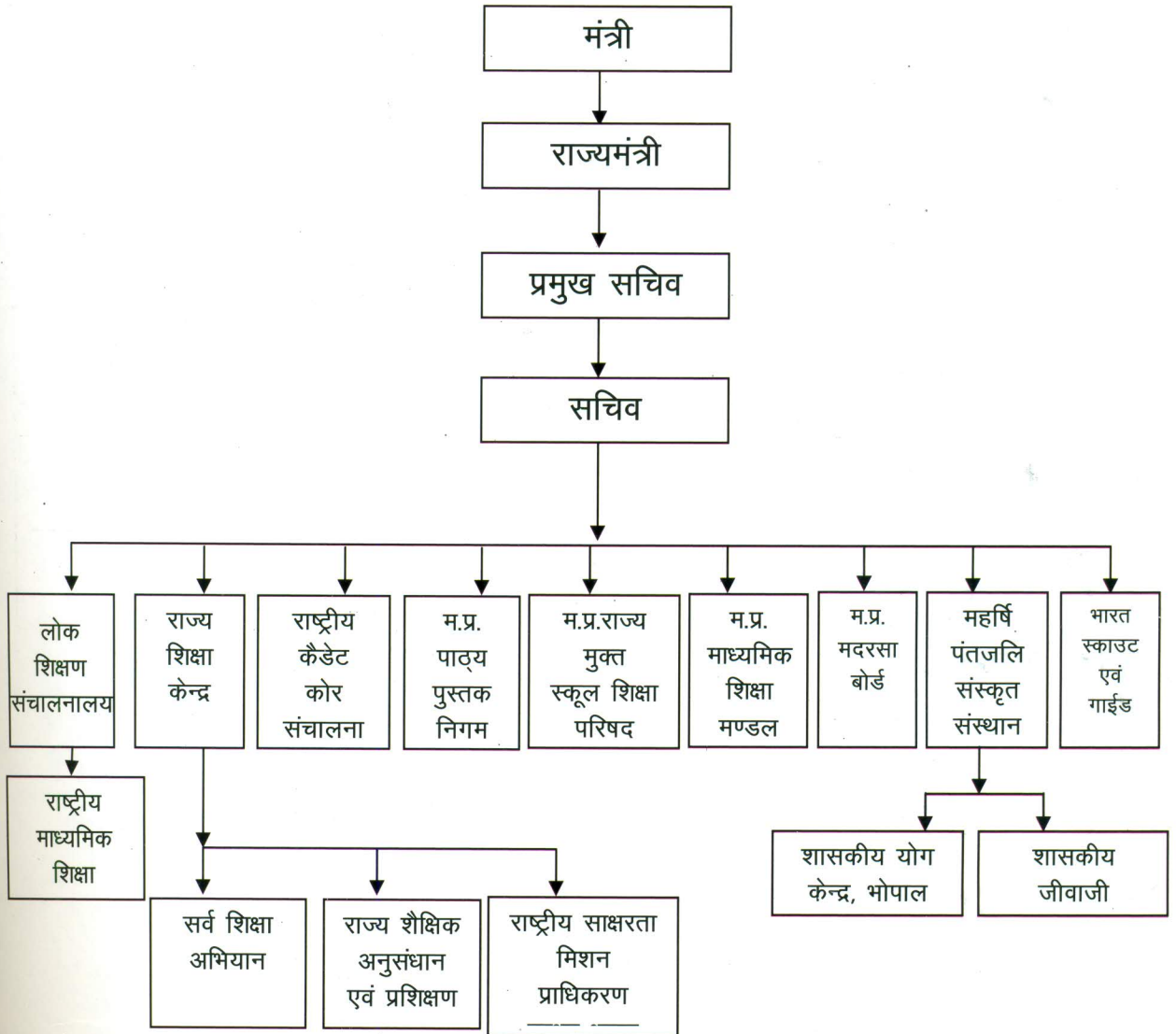
1.1.3.8 भारत स्काउट एवं गाईड

अध्यक्ष	श्री अशोक अर्गल, महापौर, नगर निगम मुरैना
राज्य मुख्य आयुक्त	श्री पारसचन्द्र जैन
राज्य सचिव	श्री आलोक खरे

1.1.3.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय

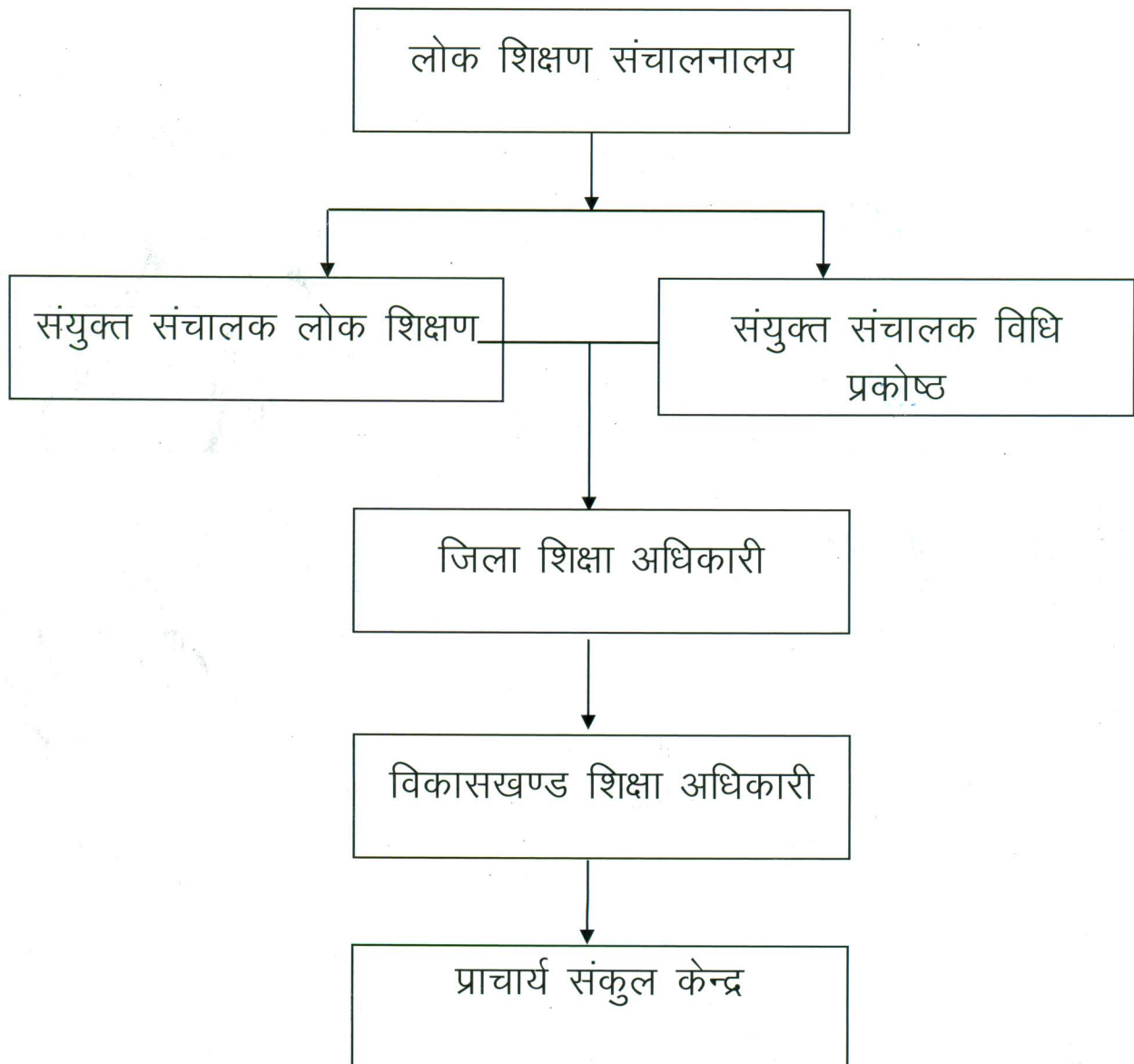
अपर महानिदेशक (विभागाध्यक्ष)	मेजर जनरल मुकेश के. दत्ता
उप महानिदेशक	ब्रिगेडियर के.जे.एस.राठौर
संचालक	ग्रुप कैप्टन ए.के.उपाध्याय, वा.से.मे.
अपर निदेशक (योजना एवं समन्वय)	कर्नल के. सुरेश कुमार
अपर निदेशक (प्रशासनिक)	मेजर आकाश ठाकुर
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)	कर्नल भूपल कुमार
अपर निदेशक (पर्स)	कर्नल दुष्यंत शर्मा
संयुक्त संचालक (राज्य कोष्ठ)	श्री गुलाबराव सूर्यवंशी

1.1.4 विभागीय संगठन

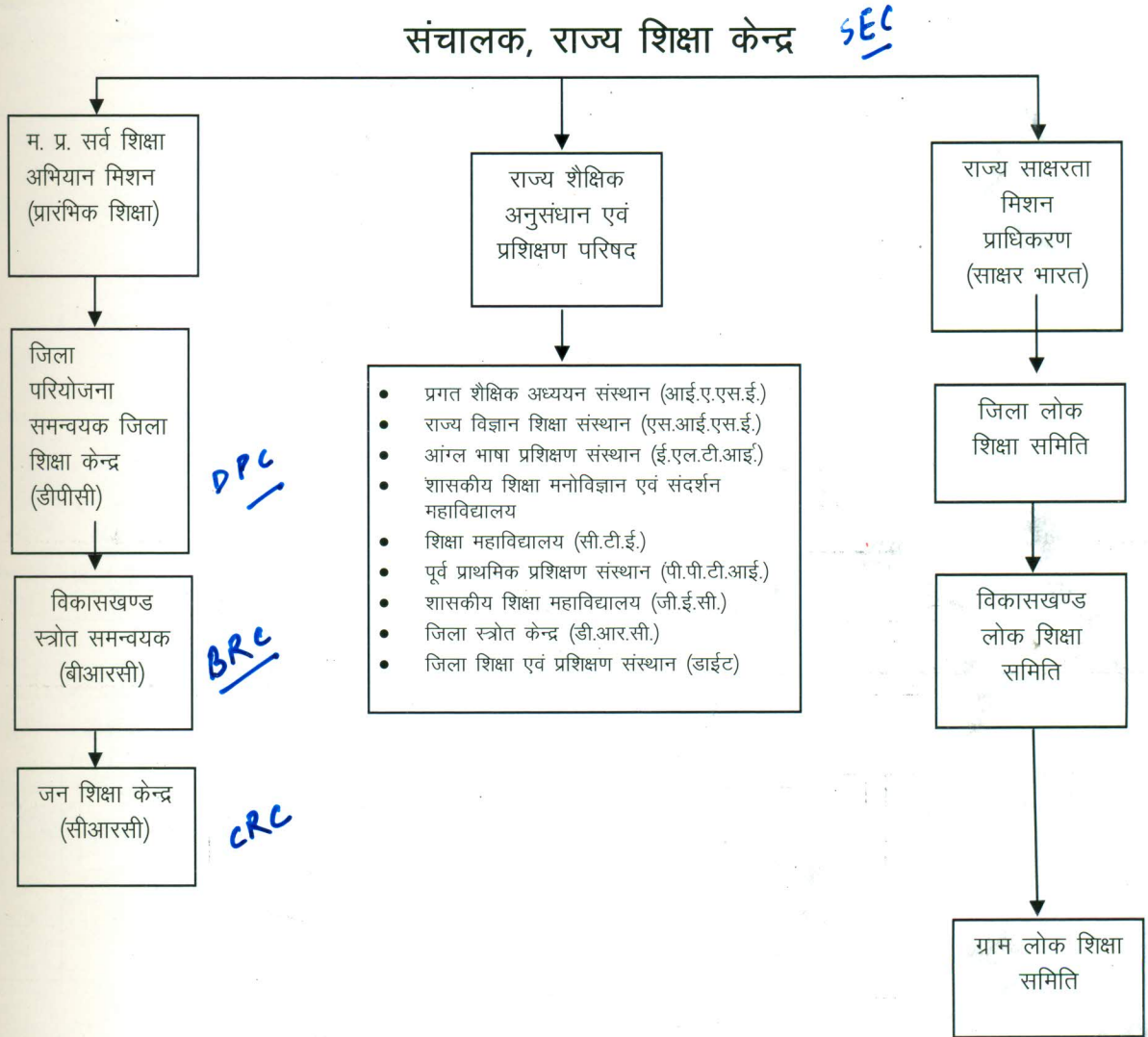


1.2 अधीनस्थ कार्यालय

1.2.1 आयुक्त, लोक शिक्षण, संचालनालय के अधीनस्थ कार्यालय

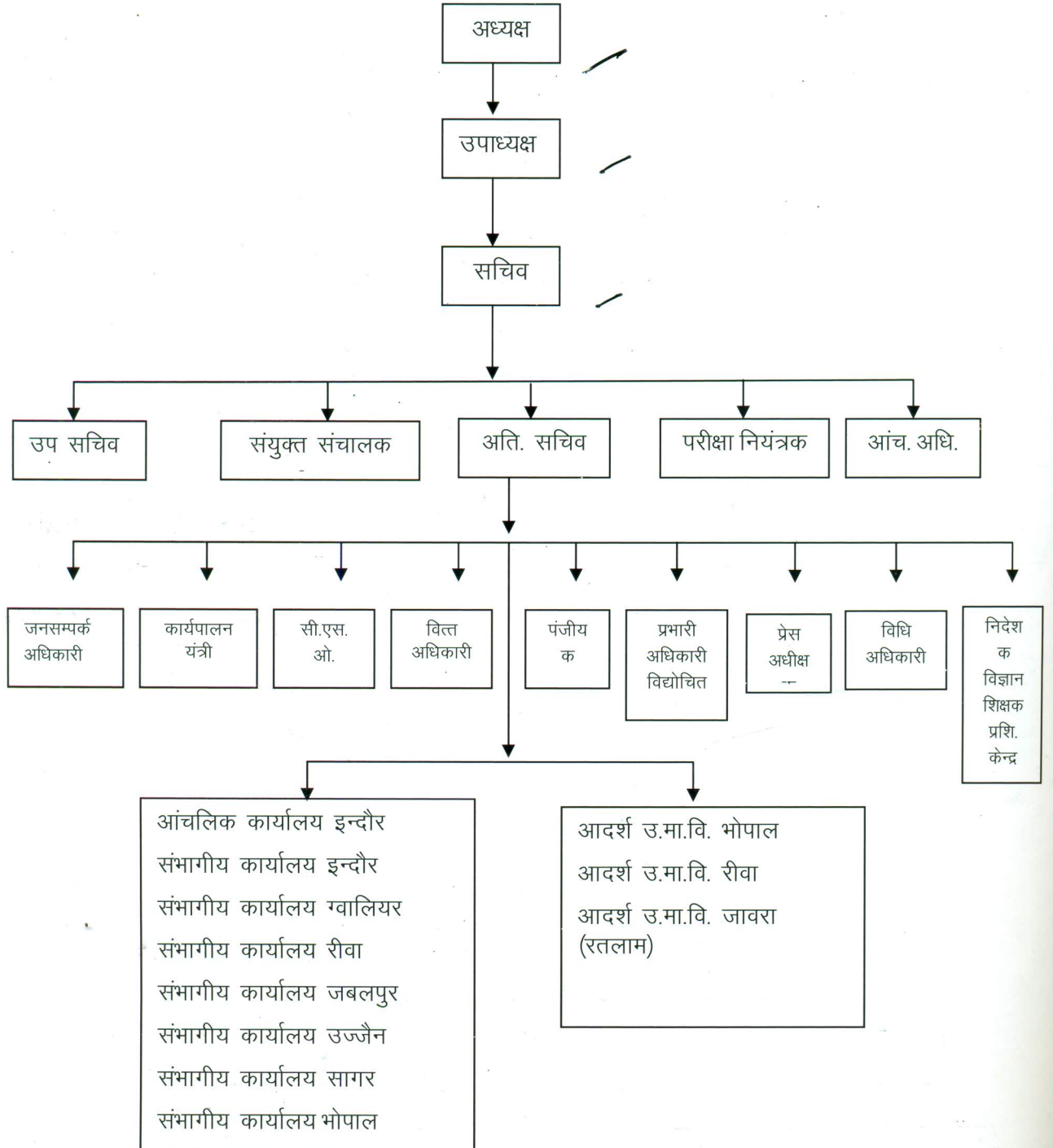


1.2.2 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीनस्थ कार्यालय



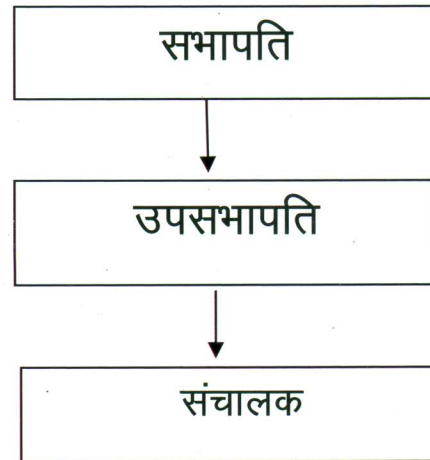
1.2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा अधिनियमित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है।



1.2.4 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद्

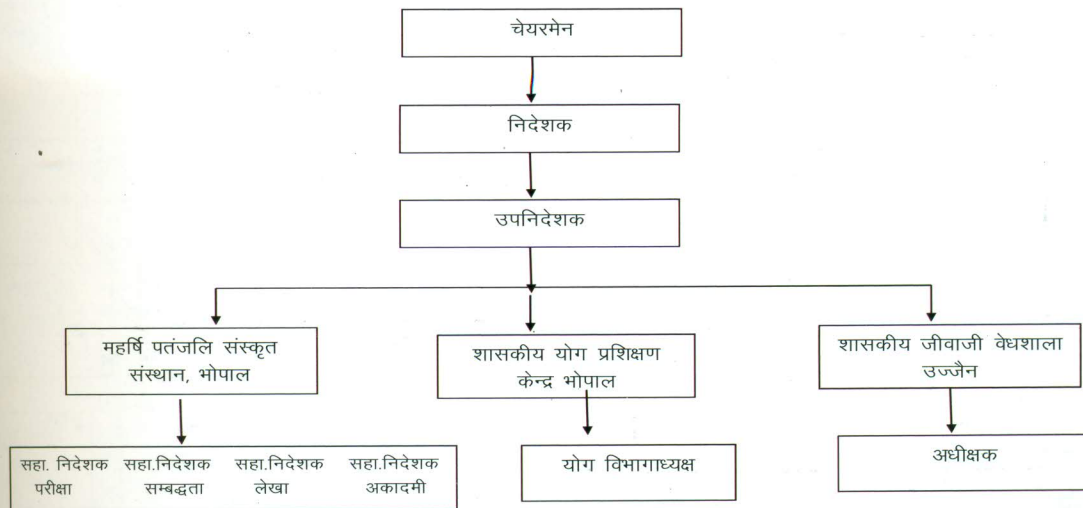
सन 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की तरह म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत, सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मंत्रि-परिषद् के संकल्प द्वारा वर्ष 1995 में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद् के नाम से जाना जाता है।



1.2.5 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान

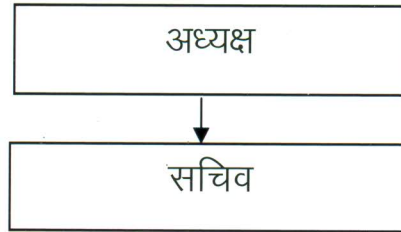
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, के आदेश क्रमांक एक 44-1/2007/20-3 द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम 2007 की धारा 3(1) के प्रावधान अनुसार महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान दिनांक 18.08.2008 से प्रभावशील हो गया है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में जीवाजी वेधशाला उज्जैन एवं राज्य योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल को निहित किया गया है।

विभागीय प्रमुख एवं अधीनस्थ अधिकारी



1.2.6 म.प्र. मदरसा बोर्ड

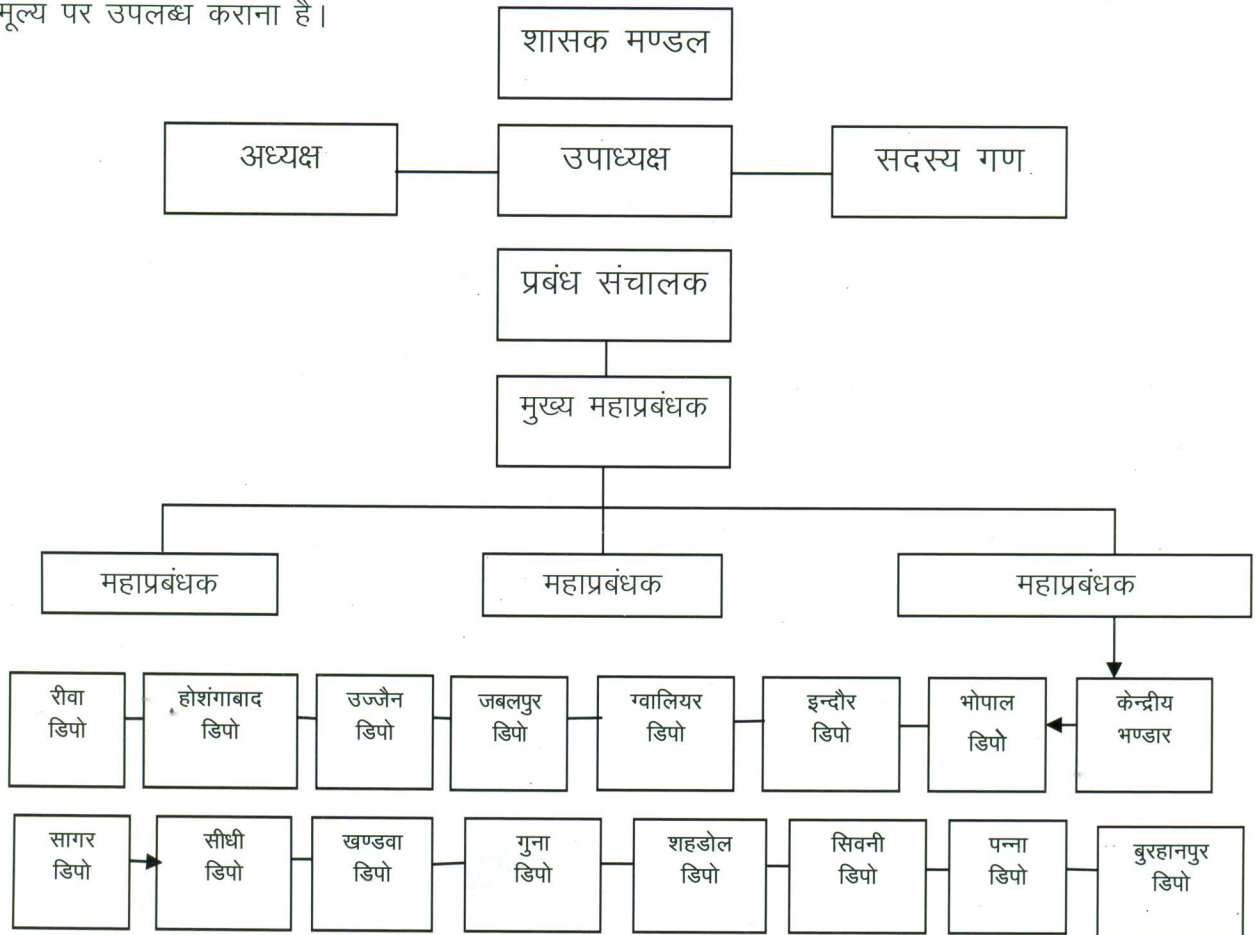
म.प्र. मदरसा बोर्ड का गठन म.प्र. विधान सभा द्वारा पारित म.प्र. मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 द्वारा 22 सितम्बर 1998 को किया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त सात सदस्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तथा शासन के विभिन्न विभागों के 12 सचिव एवं विभागाध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड के प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु शासन द्वारा मदरसा बोर्ड में सचिव की पद स्थापना की जाती है।



1.2.7 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

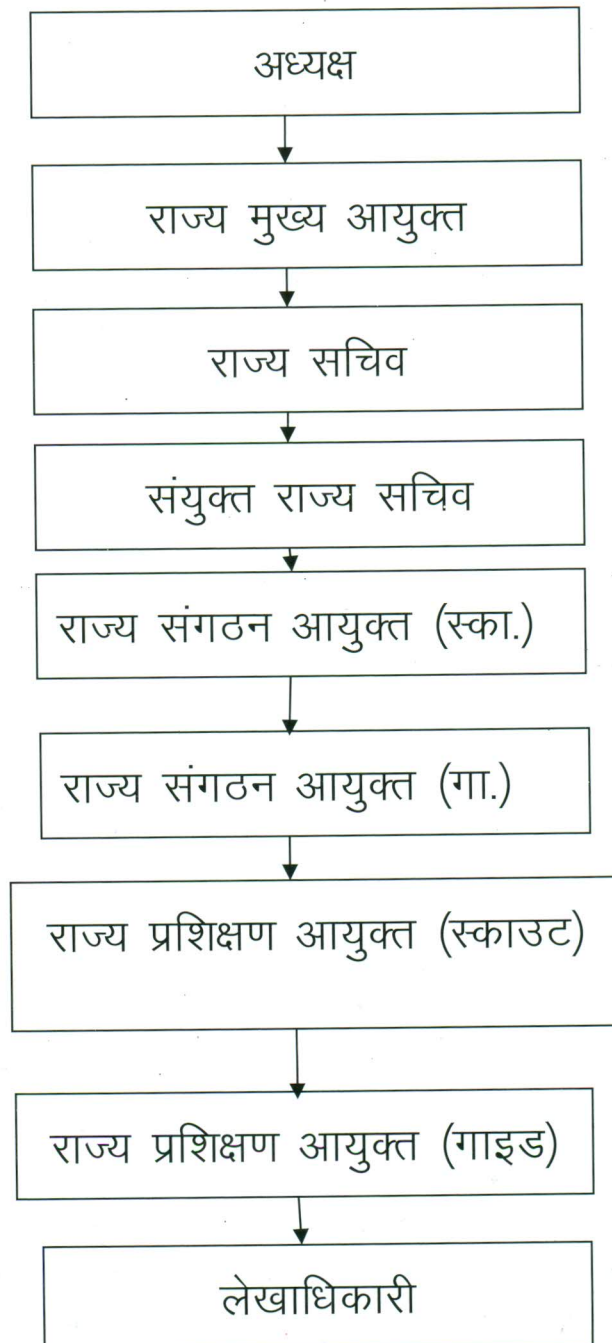
मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959 के अन्तर्गत दिनांक 07.08.1968 को की गई। निगम का कार्य संचालन मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार होता है।

इसका मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के शालेय स्तर के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें लागत मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

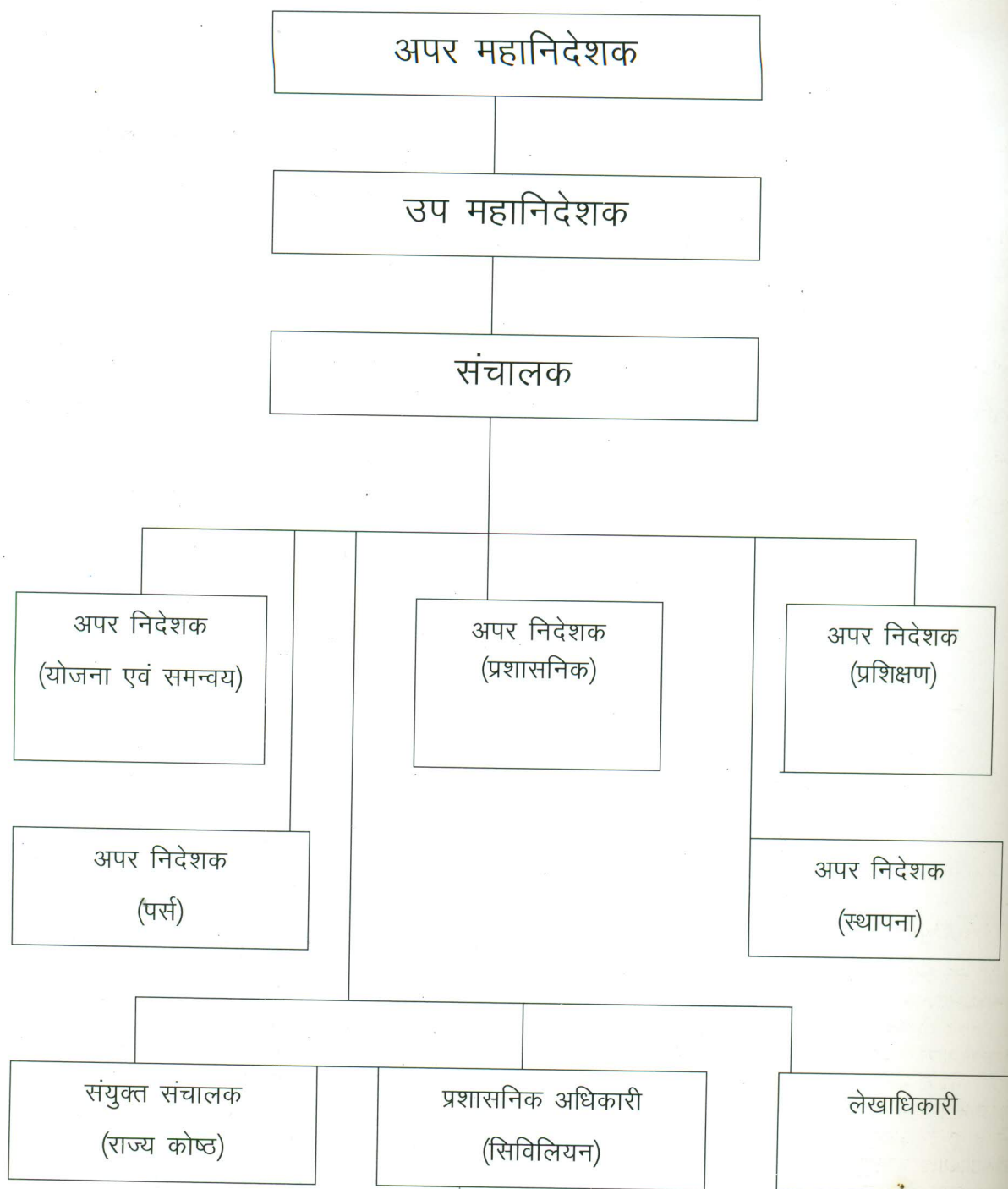


1.2.8 भारत स्काउट एवं गाईड

भारत स्काउट एवं गाईड आंदोलन के प्रारंभ में इसके मात्र 502 सदस्य थे, लेकिन आज लगभग 4.4 मिलियन हैं, जिनमें 2.5 मिलियन स्काउट एवं 1.5 मिलियन गाईड भारत में हैं एवं सम्पूर्ण विश्व में 40 मिलियन स्काउट-गाईड एवं कार्यकर्ता हैं, जो विश्व बंधुत्व और शांति की अलख जगा रहे हैं। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं विश्व में 161 देश इस आंदोलन के सदस्य हैं। विश्व स्काउट संगठन का मुख्यालय स्विटजरलैण्ड में एवं विश्व गाईड संगठन का मुख्यालय लंदन में है।

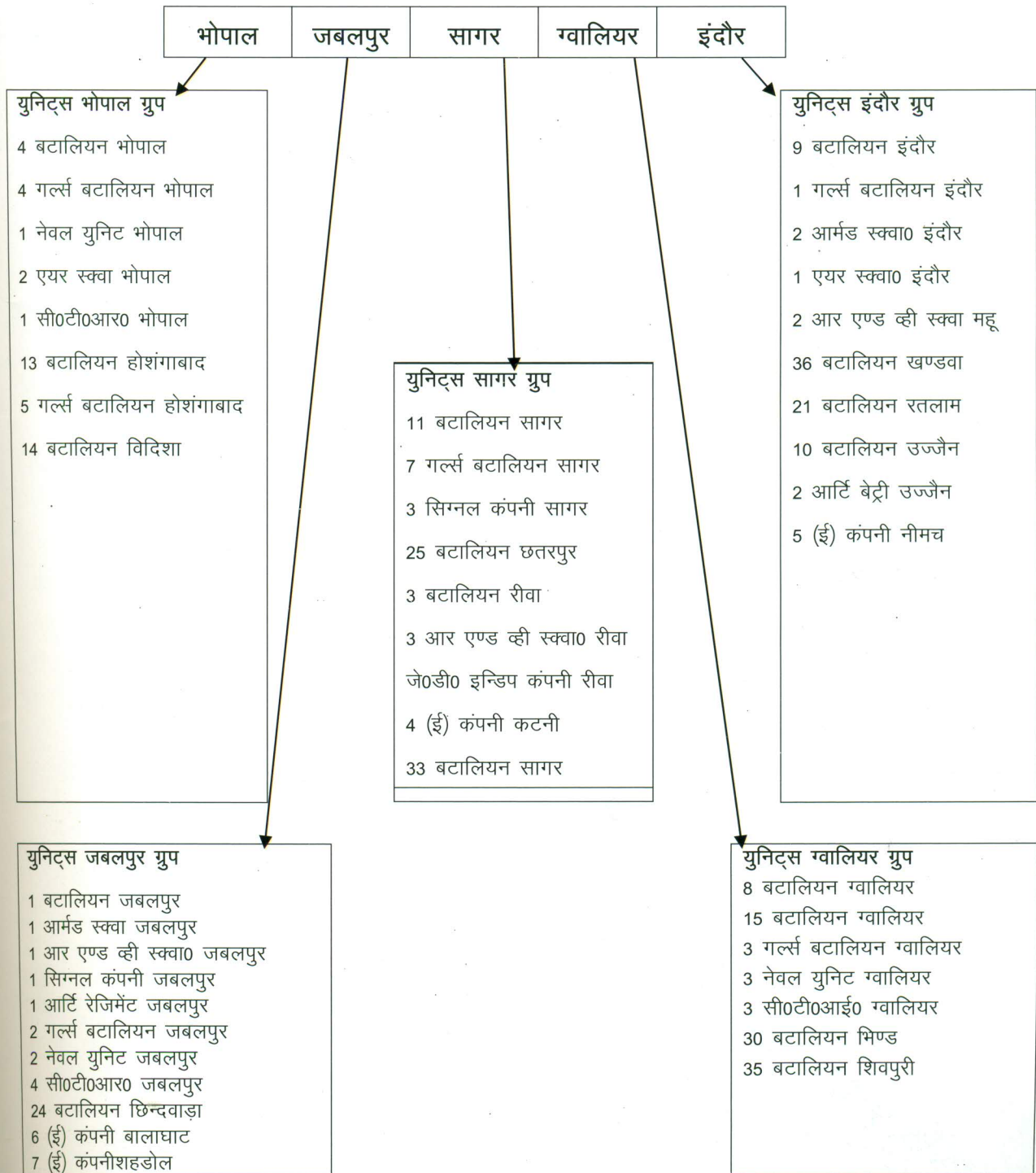


1.2.9 राष्ट्रीय कैडेट कोर संचालनालय



मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारी वर्ग में प्रथम श्रेणी के अंतर्गत एक पद स्वीकृत है। अधिकारी वर्ग के शेष सभी पद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भरे गये हैं।

1.2.9.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालय



1.3 स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व

1. पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
3. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बद्ध नीति
4. अनौपचारिक शिक्षा
5. शालाओं का सेट अप तथा स्वरूप से सम्बद्ध नीति
6. नवीन शालाएं खोलना तथा शालाओं का विस्तार और विकास
7. शाला पाठ्यचर्या
8. शाला भवन
9. शालाओं के लिए उपकरण, जिसमें कागज तथा अभ्यास पुस्तिका शामिल हैं।
10. शालाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें, शाला पुस्तकालय, पुस्तक बैंक
11. अध्यापन की पद्धतियाँ तथा तकनीकें
12. शाला के अध्यापकों तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण
13. अशासकीय शालाओं को अधिकार में लेना
14. अशासकीय शालाओं को सहायक अनुदान
15. शालाओं में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद
16. बालचर तथा पथदर्शिकाएं
17. शाला की परीक्षाओं का संचालन
18. राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान
19. विकलांग बालकों के लिए समेकित शिक्षा योजना
20. प्रौढ़ शिक्षा
21. राष्ट्रीय छात्र सेना
22. भाषाई अल्प संख्यकों का संरक्षण
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सम्बन्ध हो, (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन वभाग आदि विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, ड्यूटी, निवृत्त वेतन, पदोन्नति, निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन
24. योग

1.3.1 विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अधिनियम एवं नियम

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011
3. मध्य प्रदेश जनशिक्षा अधिनियम, 2002
4. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965
5. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1969
6. मध्य प्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी व्यवस्था) अधिनियम 1973
7. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) अधिनियम 1974
8. राज्य शिक्षा सेवा का गठन वर्ष 2013
9. म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017

1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.4.1 साक्षरता, शालायें एवं नामांकन

1.4.1.1 साक्षरता

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर और वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर निम्नानुसार है—

विवरण	साक्षरता दर			
	म0प्र0		राष्ट्रीय	
	2001	2011	2001	2011
महिला साक्षरता दर	50.3	59.2	53.7	64.6
पुरुष साक्षरता दर	76.1	78.7	75.3	80.9
कुल साक्षरता दर	63.7	69.3	64.8	73.0
अनुसूचित जाति की साक्षरता दर				
महिला	43.3	54.7	41.9	56.5
पुरुष	72.3	76.7	66.6	75.2
कुल	58.6	66.2	54.7	66.1
अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर				
महिला	28.4	41.5	34.8	49.4
पुरुष	53.6	59.6	59.2	68.5
कुल	41.2	50.6	47.1	59.0

1.4.1.2 स्कूलों की संख्या

स्तर	स्कूलों की संख्या
प्राथमिक	84381
माध्यमिक	55066
हाईस्कूल	8373
हायर सेकेण्डरी	8998

नोट — इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूल सम्मिलित है।

1.4.1.2.1 शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति

स्तर	2002 के पूर्व की स्थिति में	वर्ष 2017-18 की स्थिति में
प्राथमिक	55980	80807
माध्यमिक	12490	30228
हाईस्कूल	1704	4998
हायर सेकेण्ड्री	1517	4238

1.4.1.3 प्रदेश में छात्रों की संख्या/नामांकन (शासकीय एवं निजी)

स्तर	छात्रों की संख्या/नामांकन (संख्या लाख में)
प्राथमिक	77.31
माध्यमिक	43.62
हाईस्कूल	25.82
हायर सेकेण्ड्री	13.72

स्रोत - यू डाईस 2017-18

1.4.1.4 शासकीय एवं निजी स्कूलों में छात्रों के वर्गवार नामांकन (संख्या लाख में)

स्तर	बालक	बालिका	अ.जा.	अ.ज.जा.
प्राथमिक	40.38	36.93	13.32	19.82
माध्यमिक	22.96	20.66	7.59	10.19
हाईस्कूल	13.87	11.95	4.45	4.82
हायर सेकेण्ड्री	7.37	6.35	2.05	1.80

स्रोत - यू डाईस 2017-18

1.4.1.5 शासकीय शिक्षकों की संख्या

स्तर	शिक्षकों की संख्या
प्राथमिक	198545
माध्यमिक	78970
हाईस्कूल	42166
हायर सेकेण्ड्री	18347

स्रोत - यू डाईस 2017-18

1.4.1.6 मदरसा

मदरसों की जानकारी				
मदरसों की संख्या	कार्यरत शिक्षक	नामांकन (लाख में)		
2403	9430	बालक	बालिका	योग
		0.85	0.86	1.71

स्रोत - मदरसा बोर्ड

1.4.1.7 डी.एल.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या	डी.एल.एड.पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीट्स की संख्या	डी.एल.एड. की भरी हुई सीट्स
2016-17	43	3550	3540
2017-18	43	3550	3463
2018-19	43	3600	3553

1.4.1.8 बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2016-17	09	1370	1050
2017-18	09	1385	755
2018-19	09	1385	797

1.4.1.9 एम.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम

सत्र	शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या (01 संस्था देवास में एम.एड. नहीं)	स्वीकृत सीट्स	भरी हुई सीट्स
2016-17	08	250	240
2017-18	08	275	223
2018-19	08	340	247

1.4.2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

1.4.2.1 शिक्षण सत्र 2018-19 की हाईस्कूल परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 1131865 तथा हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) में 73149 छात्र सम्मिलित है। इस प्रकार परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1863014 है।

1.4.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी नियमित परीक्षाओं के संदर्भ में गत 3 वर्षों के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का प्रतिशत का सांख्यिकीय विवरण

परीक्षा में उत्तीर्ण	वर्ष								
	2016			2017			2018		
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
हाईस्कूल	51.78%	56.33%	53.87%	48.53%	51.43%	49.86%	64.09%	69.34%	66.54%
हायर सेकेण्डरी	65.81%	73.78%	69.33%	64.16%	72.38%	67.87%	64.39%	72.39%	68.07%

1.4.2.3 वर्ष 2018-19 मार्च की परीक्षाओं हेतु स्थापित परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

स.क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा केन्द्र संख्या
1.	हाईस्कूल	3864
2.	हायर सेकेण्डरी	3554

1.4.2.4 शैक्षणिक संस्थाओं को सम्बद्धता देना

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में अशासकीय संस्थाओं को नवीन सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की अद्यतन जानकारी

स. क्र.	संभाग का नाम	नवीन सम्बद्धता जारी की गई		हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी सम्बद्धता जारी की गई	कुल सम्बद्धता प्राप्त
		कक्षा-9वीं	कक्षा-11वीं		
1.	ग्वालियर	39	21	10	70
2.	सागर	09	05	00	14
3.	रीवा	44	20	02	66
4.	उज्जैन	46	22	09	77
5.	इन्दौर	39	29	03	71
6.	भोपाल	40	25	09	74
7.	जबलपुर	16	13	04	33
योग		233	135	37	405

1.4.3 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद

1.4.3.1 विभिन्न प्रवेश वर्ष में प्रविष्ट छात्र-संख्या

क्र.	वर्ष	कुल छात्र संख्या (प्रविष्ट)			कुल 10+12
		8वीं	10वीं	12वीं	
1	2016	-	188728	132529	321257
2	2017	-	93632	74182	167814
3	2018	-	103655	102919	206574

1.4.3.2 सफल परीक्षार्थियों के प्रतिशत का विवरण

क्र.	सम्पन्न परीक्षाएँ	हाईस्कूल (कक्षा 10वीं)			हायर सेकण्डरी (12वीं)		
		कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	कुल सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	2017	92632	24973	26.67	74182	34420	46.40
2	2018	103655	43791	42.24	102919	47323	45.98

1.4.4 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल

1.4.4.1 परीक्षा परिणाम(कक्षा-पूर्वमध्यमा प्रथमखण्ड से उत्तरमध्यमा द्वितीयखण्ड तक)

क्र.	परीक्षा का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1	पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड (9 वीं) (स्थानीय परीक्षा)	1470	1470	1158	1158	1222	1122
2	पूर्वमध्यमा द्वितीय खण्ड (10 वीं) (बोर्ड परीक्षा)	1031	640	1540	551	1687	1264
3	उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड (11 वीं) (स्थानीय परीक्षा)	710	710	715	715	723	723
4	उत्तरमध्यमा द्वितीय खंड (12 वीं) (बोर्ड परीक्षा)	678	348	725	369	1286	760
	कुल	3889	3168	4138	2793	4918	3969

1.4.5 मदरसा बोर्ड

वर्ष 2018 में पंजीयन/नवीन मान्यता की संख्या	:	83
पूर्व वर्ष में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या	:	2405
कुल मदरसे	:	2488

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हाई स्कूल मौलवी, हायर सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी आलिम में सम्मिलित छात्रों की संख्या

वर्ष	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी
2017-2018	561	229

1.4.6 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम

पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण

स.क्र.	वर्ष	वितरित पुस्तकों की संख्या (लाख में)	पुस्तकों का मूल्य (रु. लाख में)
1.	2015-16	708.81	24361.00
2.	2016-17	629.49	23598.64
3.	2017-18	693.56	27771.00

1.4.7 भारत स्काउट एवं गाईड

1.4.7.1 सत्र 2018-2019 में आयोजित शिविर एवं उपलब्धियाँ

भारत स्काउट एवं गाईड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय भोपाल प्रस्तावित कार्ययोजना वर्ष 2018-2019 के लक्ष्य अनुसार निम्न कार्यक्रम प्रदेश/संभाग/जिले में आयोजित किये गये।

अ-: आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं शिविर :-

क्रम	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य			पूर्ति		
		स्का0	गा0	योग	स्का0	गा0	योग
1	द्वितीयचरण/रजतपंख जांच	600	300	900	59	22	81
2	द्वितीय सोपान जांच	1600	800	2400	222	159	381
3	तृतीयचरण/रजतपंख जांच	300	150	450	27	19	46
4	तृतीय सोपान जांच	800	400	1200	522	226	748
5	राज्य पुरस्कार जांच	300	300	600	66	24	90
6	राष्ट्रपति अवार्ड पंजीयन फार्म	—	—	—	10	4	14
7	सेल्फ लर्निंग मॉडल्स कोर्स	1000	500	1500	1225	333	1558
8	बेसिक स्का0मास्टर शिविर	600	—	600	350	—	350
9	बेसिक कब मास्टर शिविर	300	—	300	174	—	174
10	बेसिक रो0ली0 शिविर	100	—	100	18	—	18
11	बेसिक गा0के0 शिविर	—	300	300	—	193	193
12	बेसिक फ्ला0लीडर शिविर	—	150	150	—	129	129
13	बेसिक रेंजर लीडर शिविर	—	50	50	—	11	11
14	एडवांस स्का0मास्टर शिविर	300	—	300	11	—	11
15	एडवांस कब मास्टर शिविर	150	—	150	32	—	32
16	एडवांस रो0ली0 शिविर	50	—	50	8	—	8
17	एडवांस गा0के0 शिविर	—	150	150	—	19	18
18	एडवांस फ्ला0लीडर शिविर	—	100	100	—	19	0
19	एडवांस रेंजर लीडर शिविर	—	50	50	—	6	0
20	ट्रेनिंग कौंसलर कोर्स	—	—	—	24	7	31
21	अध्ययन कार्यशाला	—	—	—	46	18	64
22	प्रशिक्षक दल संगोष्ठी	—	—	—	18	6	24
23	25 वी राज्य पुरस्कार रैली	—	—	—	445	260	705
24	पेट्रोल लीडर स्का0गा0के0म्पूरी	—	—	—	265	208	473
25	रोवर-रेंजर समागम	—	—	—	110	44	154
26	हस्तकला प्रशिक्षण	—	—	—	24	22	46

27	राष्ट्रपति प्रशिक्षण शिविर	—	—	—	26	28	54
28	स्टेट एडवेंचर प्रोग्राम	—	—	—	132	30	162
29	रोवर-रेंजर ट्रेकिंग	—	—	—	46	29	75
30	स्काउटर-गाइडर हाईक	—	—	—	43	15	58

ब- राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिभागिता -

क्रम	कार्यक्रम का नाम	अवधि	स्थान	प्रतिभागिता की स्थिति			प्रतिभागी जिले
				स्काउट	गाइड	योग	
1	प0क्षे0 योगा फेस्ट केम्प	20-22 जून 2018	गोवा	9	11	20	मुरैना/ग्वालियर
2	प0क्षे0 फ्री बींग मी	12-14 जून 2018	रामटेक नाग. महाराष्ट्र	1	1	2	जबलपुर/रीवा
3	प0क्षे0 फ्री बींग मी	19-21 जून 18	जगतपुरा राजस्थान	2	2	4	उज्जैन
4	प0क्षे0 फ्री बींग मी	28-30 जून 18	अहमदाबाद	2	2	4	सागर
5	रथ यात्रा पुरी उडिसा	12-15 जुलाई 18	पुरी उडीसा	4	0	4	उज्जैन
6	डिजास्टर मेनेजमेन्ट	16-20 सितं0	कोरबा छत्तीसगढ़	5	5	10	सिंगरौली
7	यूथ फोरम रोवर-रेंजर	12-16 सितं0 18	जगतपुरा राजस्थान	4	2	6	सागर
8	इन्ट्रीगेशन केम्प	15-19 दिस 18	गोहाटी असम	9	9	18	शिवपुरी
9	कलचरल एक्सचेंज	15-19 नवं 18	जगतपुरा राजस्थान	4	5	9	विदिशा
10	डिजास्टर मेनेजमेन्ट	25-27 अक्टू	आपदा भोपाल	4	5	9	सागर/भोपाल
11	रोवर-रेंजर मूट	1-4 नवं0 18	कर्नाटक	19	15	34	मुरैना, सागर, उज्जैन
12	इन्ट्रीगेशन केम्प	केरल पालघाट	पालघाट केरल	9	9	18	छिंदवाडा
13	इन्ट्रीगेशन केम्प	5-9 दिसं0 18	पंजाब	9	9	18	उज्जैन

संभाग स्तर :- संभाग स्तर पर स्काउटर-गाइडर सेमीनार, अभिरुचि केन्द्र संचालकों की बैठक, प्रधानमंत्री /उपराष्ट्रपति शील्ड कार्यशाला, जिला अधिकारियों के साथ बैठक, तृतीय सोपान स्काउट-गाइड जांच शिविर, निपुण रोवर-रेंजर जांच शिविर, तृतीय चरण-स्वर्णपंख जांच शिविर आयोजित किये गये है।

जिला स्तर :- जिला स्तर पर अभिरूचि केन्द्र संचालित, जल सेवा शिविर, विश्व पृथ्वी दिवस, विभिन्न अवसरों पर सेवा कार्य, श्रमदान, विश्व तम्बाखू दिवस, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर, पर्यावरण दिवस, विश्व योगा दिवस कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, जन जागरण रैली, वृक्षारोपण कार्यक्रम, संस्था प्रधान संगोष्ठी, स्काउटर-गाइडर बैठक, जिला संघ पदाधिकारियों की बैठक, जिला कार्यकारिणी बैठक, जिला परिषद की बैठक, मतदाता जागरूकता रैली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभिन्न समितियों की बैठक आयोजित की गई। द्वितीय सोपान स्काउट-गाइड जांच शिविर, द्वितीयचरण-रजतपंख जांच शिविर, पेट्रोल लीडर केम्प आयोजित किये जा रहे।

ब- राष्ट्रीय स्तर के आयोजन, जिसकी मेजबानी मध्यप्रदेश द्वारा किया जो निम्नानुसार है-

1. राष्ट्रीय स्तरीय डिजास्टर मैनेजमेन्ट कोर्स दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2018 तक आपदा प्रबंधन संस्थान, पर्यावरण भवन, अरेरा कालोनी भोपाल में सम्पन्न हुआ। इसमें मध्यप्रदेश सहित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, त्रिपुरा, उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखण्ड, असम, तेलंगाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, नार्थ रेल्वे सदन, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के 50 यूनिट लीडर व संगठनाधिकारी ने भाग लिया।

(जानकारी दिनांक 2 जनवरी 2019 की स्थिति में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दी जा रही है)

1.4.8 एनसीसी संचालनालय

1.4.8.1 एनसीसी की गतिविधियों का जिलेवार संचालन

क्रमांक	संभाग / जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या	महाविद्यालयों की संख्या		कैडेट संख्या
		शासकीय	निजी		शासकीय	निजी	
1.	भोपाल	12	12	3140	18	16	2632
2.	सीहोर	15	09	1724	04	02	540
3.	रायसेन	12	05	1070	04	0	196
4.	राजगढ़	04	03	270	02	0	213
5.	विदिशा	23	03	2050	10	01	1020
6.	बैतूल	10	05	1357	02	0	266
7.	होशंगाबाद	22	09	2515	10	0	1392
8.	हरदा	06	01	674	01	01	95
9.	श्यामपुर	0	0	0	01	0	53
10.	मुरैना	08	01	825	05	0	617
11.	भिण्ड	08	0	600	07	0	481
12.	ग्वालियर	26	08	2472	15	12	2754
13.	शिवपुरी	08	0	625	06	0	405
14.	गुना	04	0	310	01	0	120
15.	अशोक नगर	03	0	0	0	0	0
16.	दतिया	05	0	454	01	0	114
17.	देवास	03	01	341	03	0	177
18.	रतलाम	06	01	640	03	0	256
19.	शाजापुर	04	01	367	03	0	205
20.	आगर	01	0	89	0	0	0
21.	मंदसौर	07	01	705	02	0	213
22.	नीमच	03	0	225	03	0	209
23.	उज्जैन	12	03	1317	10	02	1496
24.	इंदौर	23	34	3375	16	04	2255
25.	धार	04	0	450	04	0	265
26.	अलिराजपुर	01	01	150	01	0	54
27.	झाबुआ	04	0	350	01	0	160
28.	खरगौन	05	01	400	02	01	173
29.	बड़वानी	04	01	375	01	0	53
30.	खण्डवा	10	02	850	04	0	267
31.	बुरहानपुर	12	01	850	02	0	196
32.	जबलपुर	38	10	3496	29	10	2971
33.	नरसिंहपुर	11	05	1200	04	01	378

34.	छिंदवाड़ा	20	0	1500	08	0	745
35.	सिवनी	04	0	400	01	01	107
36.	मंडला	08	02	800	03	0	213
37.	बालाघाट	09	02	850	03	0	200
38.	डिण्डौरी	02	0	200	0	0	0
39.	उमरिया	02	0	150	0	0	0
40.	शहडोल	06	0	500	02	0	188
41.	अनूपपुर	04	0	350	02	0	172
42.	सागर	25	06	2400	12	06	1309
43.	दमोह	08	0	950	05	01	428
44.	पन्ना	07	02	750	01	0	107
45.	छतरपुर	10	02	1050	07	0	660
46.	टीकमगढ़	03	02	400	02	0	263
47.	कटनी	08	02	625	03	0	213
48.	रीवा	18	03	1824	07	0	916
49.	सिंगरौली	01	0	100	01	0	119
50.	सीधी	04	01	400	02	0	161
51.	सतना	11	01	1100	05	01	400
कुल		462	138	47615	239	58	26427

भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

भाग - दो

2.1 बजट

2.1.1 बजटीय विवरण, स्कूल शिक्षा विभाग

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय *
2028255.43	1623519.95	2011454.78	1802264.67	2305134.89	1531906.98

*(दिसम्बर 2018 स्थिति में)

2.1.2 संचालनालय, लोक शिक्षण, के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष 2016-17		2017-18		2018-19	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय *
1561993.61	1264045.23	1580858.01	1475708.79	1922241.24	1263440.20

*(दिसम्बर 2018 स्थिति में)

2.1.3 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन सर्व शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तक का बजटीय विवरण

(राशि लाख में)

वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19*	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
459831.23	355806.49	425668.78	323289.21	378175.69	265504.17

*(31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में)

2.1.4 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2016-17		2017-18		2018-19	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
6430.59	3668.23	4927.99	3266.67	4717.96	2962.61

(व्यय 31 दिसम्बर 2018 तक की स्थिति में)

2.1.5 म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

2016-17		2017-18		2018-19	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
18734.92	14582.31	18700.06	17920.85	20979.23	12605.31

* (दिसम्बर 2018 स्थिति में)

2.1.6 म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल पंजीकृत स्वशासी संस्था है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बजट व आय-व्यय का प्रावधान पंजीयन/परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2016-17		2017-18		2018-19	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय*
3230.25	2271.17	3854.50	3838.95	5707.10	5482.00

* (दिसम्बर 2018 स्थिति में)

2.1.7 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

राज्य शासन से अनुदान -महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान को वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य शासन से रुपये 3 करोड़ 15 लाख का अनुदान प्रदाय किया है।

आय के अन्य स्रोत-संस्थान द्वारा अन्य आय-व्यय स्वयं के वित्तीय संसाधनों से किये जाते हैं, जो सम्बद्धता शुल्क एवं परीक्षा सम्बन्धित कार्यों से प्राप्त शुल्क पर ही निर्भर है।

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2016-17		2017-18		2018-19	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय #	बजट प्रावधान	व्यय *
306.00	306.00	297.00	619.09	315.00	339.86

उक्त व्यय में संस्थान के नवीन भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को दी गई। अग्रिम राशि रुपये 4 करोड़ सम्मिलित है जिसका भुगतान संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधन से किया गया है।

* अधिक व्यय का भुगतान संस्थान के स्वयं के वित्तीय संसाधन से किया गया है।

2.1.8 म.प्र. मदरसा बोर्ड का 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक का बजटीय विवरण

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड को राज्य शासन द्वारा पूर्व से दिए जा रहे वार्षिक अनुदान रुपये 12 लाख में वर्ष 2016-17 से रुपये 20 लाख की वृद्धि कर रुपये 32 लाख वार्षिक कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2016-17		2017-18		2018-19	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय *
75.87	43.65	41.44	33.08	23.32	24.53

* (दिसम्बर 2018 की स्थिति में) वर्ष 2017-18 की शेष बची राशि में से व्यय किया जा रहा है।

2.1.9 म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम का 2015-16, 2016-17, 2017-18 तक का बजटीय विवरण

निगम के वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान शासक मण्डल/साधारण सभा की बैठक में पारित किये गये, जिसमें राशि रूपए 32866.69 लाख की प्राप्तियों तथा रूपए 26243.15 लाख के भुगतानों का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के वर्षांत में निगम के शासक मण्डल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

बजट 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (प्राप्तियों एवं भुगतान)

(राशि रुपये लाख में)

2015-16		2016-17		2017-18	
बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
24050.36	24024.58	29434.12	24585.53	33453.81	31526.32

2.1.10 भारत स्काउट एवं गाईड का 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक का बजटीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के प्रावधान एवं व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

2016-17		2017-18		2018-19	
प्रावधान	प्रावधान	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
174.00	174.00	148.00	148.00	133.00	133.00

2.2 योजनावार बजटीय विवरण

2.2.1 संचालनालय, लोक शिक्षण के अधीन संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का बजट एवं व्यय

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
			बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
1	1500	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	6879.31	5707.18	7220.19	6165.15	8083.88	5376.48
2	3930	विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	6672.37	5325.87	6882.93	6059.80	7643.22	5275.35
3	3491	माध्यमिक शालाएं वेतन भत्ते एवं सहायक अनुदान	194414.08	154159.43	188317.68	170267.46	253421.14	132606.51
4	4396	सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	270298.47	217699.85	270437.53	248427.31	443041.33	218436.87
5	6344/64 91/7515	मदरसा बोर्ड को अनुदान-क्षेत्र गहन कार्यक्रम	4015.21	1194.69	2745.00	1188.45	2266.65	2217.15
6	9948	प्राथमिक शालाएं	18900.00	12666.96	13000.00	12711.14	योजना क्रमांक 9949 में समाहित की गई है।	
7	9949	माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान	10350.00	6110.64	6748.00	5742.63	45000.00	30748.77
8	6663	संयुक्त संचालक विधि एवं खेल प्रकोष्ठ कार्यालय	261.94	213.18	284.40	247.65	योजना क्रमांक 9230 में समाहित की गई है।	
9	9230	संयुक्त संचालक कार्यालयों की स्थापना	1598.14	1270.93	1723.60	1454.31	2128.23	1533.42
10	0581	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	123567.62	96045.34	122450.12	111286.23	164187.39	97063.83
11	4193	शास.विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण	8730.18	6148.03	7793.82	7090.00	8724.05	6291.86
12	4980	जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता	400.00	272.89	323.67	228.30	900.01	306.99
13	5732	सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान	465.00	36.00	441.00	241.00	443.20	109.00
14	4321	संस्कृत शालाएं	150.00	133.58	425.00	364.50	योजना क्रमांक 9949 में समाहित की गई है।	
15	3858	लोक शिक्षण संचालनालय	2570.08	1931.76	2560.86	2157.25	3171.93	1926.16
16	5133	अन्य छात्रवृत्तियां	2029.20	977.18	2598.50	1146.92	1160.00	26.41

17	7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
18	1516	जीवाजी वैधशाला-उज्जैन	71.69	51.02	70.19	60.87	76.12	53.42
19	2446	नेशनल फाउन्डेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर फंड के लिये	27.00	27.00	30.00	9.00	33.00	23.10
20	1797	टी.टी.महाविद्यालय, शिवपुरी तथा खेलकूद निरीक्षण	194.60	113.31	150.45	137.82	244.28	175.08
21	3782	आवासीय खेलकूद स्कूल	86.46	65.19	76.37	42.89	योजना क्रमांक 1797 में समाहित की गई है।	
22	4598	स्काउट एसोसिएशन को अनुदान	190.00	174.10	198.73	192.82	189.00	184.05
23	1084	खेल कूद तथा गतिविधियों पर व्यय	1000.00	933.08	600.00	478.07	योजना क्रमांक 5542 में राज्य मंद में समाहित की गई है।	
24	0222	अन्य विशेष विद्यालय	535.54	349.00	436.21	380.27	498.37	322.31
25	6090	गायन विद्यालयों को अनुदान	180.00	114.06	90.00	82.26	90.00	77.99
26	4395	सरकारी पुस्तकालय	900.83	625.11	832.61	720.90	1954.47	673.01
27	4514	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	6.30	2.08	3.60	1.83	3.60	0.60
28	4031	विभागीय परीक्षा परिषद	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
29	8403	अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिए अनुदान	704048.40	585455.08	725000.00	723912.52	720000.01	648597.35
30	2669	संविदा शिक्षकों का मानदेय	76700.00	65179.21	18800.00	18611.35	13500.00	9004.35
31	2076	1736/हायर सेकेण्डरी विद्यालय में विद्युत कनेक्शन	1800.00	1800.00	3000.02	450.00	615.04	430.51
32	2078	हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	0.00	0.00	2657.74	0.00	6667.00	614.29
33	2079	स्कूल भवनों के रिट्रोफिटिंग हेतु	840.00	0.00	920.00	0.00	उक्त योजना का राज अनुभाग योजना क्रम 0581 एवं पूंजी अनुम 6970 में समाहित किया गया।	
34	2414/2267	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें (बुक बैंक)	7200.00	6781.00	9774.00	9413.11	11000.00	6600
35	6813	साईकिलों का प्रदाय	13250.00	13236.90	13665.00	13665.00	17500.00	10473.05
36	6005	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	60338.00	59323.48	95483.70	95483.16	67500.00	44610.00
37	6007	माडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	8818.57	1690.41	8847.59	2776.96	11050.85	731.31

38	1265	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये लैपटाप का प्रदाय	4879.00	4875.44	5000.00	5000.00	17700.00	16735.21
39	6970	हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों का निर्माण	6608.65	2449.39	20092.64	3055.51	45900.00	7255.05
40	8707	छात्रावास भवनों का निर्माण	500.00	324.13	500.00	428.84	योजना क्रमांक 0816 में समाहित की गई है।	
41	5276/69 67/6968	पंचायतों को अनुदान	5180.87	584.23	2975.00	2952.80	10000.00	1282.40
42	7515	मदरसा बोर्ड को अनुदान	5.00	2.50	30.80	30.80	योजना क्रमांक 1235 में समाहित की गई है।	
43	1235	रिपेयर, मेंटीनेंस एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ऑफ मदरसा	382.50	362.30	405.00	379.41	433.80	289.36
44	1498	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गण अपूर्ण कार्यों से संबंधित व्यय	2960.00	960.00	1500.000	1495.07	0.00	0.00
45	2075	अतिरिक्त संकाय	9.00	0.00	5.00	0.00	योजना क्रमांक 0581 में समाहित की गई है।	
46	2077	आवासीय खेलकूद सीहोर एवं शा. शारीरिक शिक्षा विद्यालय शिवपुरी के रिनोवेशन हेतु	470.00	189.00	500.00	242.68	550.00	158.20
47	2080	कक्षा 9 से 12 हेतु छात्रावास/अधोसंरचना सी. डब्ल्यू.एस.एन. हेतु	800.00	48.00	400.00	0.00	योजना क्रमांक 0816 में समाहित की गई है।	
48	5541	शैक्षिक अभ्युत्थान	382.50	200.24	118.50	67.89	198.80	11.43
49	5542	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण	722.82	367.35	605.00	185.70	1260.00	240.21
50	5545	महर्षि पातंजलि संस्कृत संस्थान	306.00	306.00	330.00	306.90	315.00	220.50
51	7479	बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	1564.00	1415.16	503.89	374.16	योजना क्रमांक 6970 में समाहित की गई है।	
52	8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	365.00	0.00	810.00	36.91	योजना क्रमांक 3858 में समाहित की गई है।	
53	5539	ग्रंथालयों का सुदृढीकरण	765.00	688.37	450.00	227.90	6.30	2.27
54	6493	व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण	306.00	306.00	300.00	300.00	360.00	241.92
55	6968/57 04	उन्नयन विद्यालय-वेतन भत्ते एवं कार्यालयीन व्यय	4860.56	2988.47	3193.77	2870.47	2392.51	1071.55
56	6012	शिक्षक प्रोत्साहन योजना	9.00	2.32	9.00	2.67	योजना क्रमांक 5541 में समाहित की गई है।	
57	6015	वि.खंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्या0 को अनु.	765.00	531.11	630.00	492.77	योजना क्रमांक 4980 में समाहित की गई है।	
58	6017	कृषि विद्यालयों का सुदृढीकरण	28.53	18.29	19.80	0.00	22.50	2.25
59	6019	वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	765.00	661.43	720.00	643.57	720.00	284.74

60	7127	बेटी बचाओ योजना	70.16	70.16	80.00	42.82	80.00	0.10
61	7128	संयु.संचा./जि.शि.अधि. कार्यालयीन भवन निर्माण	1300.00	450.00	1000.00	668.89	500.00	349.95
62	7592	शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	500.00	431.82	36.96	0.00	योजना क्रमांक 6970 में समाहित की गई है।	
63	0701	अतिथि शिक्षकों का मानदेय ✓	0.00	0.00	16386.21	14706.10	14090.00	9698.50
64	0731	बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन सुरक्षा व्यवस्था तथा मैस	0.00	0.00	4434.40	0.00	योजना क्रमांक 0816 में समाहित की गई है।	
65	0732	राष्ट्रीय अकादमी एवं मुख्य सैन्य सेवाएं	0.00	0.00	18.00	0.00	0.06	0.00
66	0816	उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण	0.00	0.00	5209.50	0.00	12779.50	1041.15
67	49-7765	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	12.31
68	49-7765	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	2.20
69	53-0327	अस्वच्छ धन्य में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.68
70	53-0727	स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए उन्नयन विकास अनुरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
71	53-5133	विविध छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	4850.00	23.64
72	53-5133	विविध छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	7700.00	18.43
73	53-5902	छात्रवृत्तिया कक्षा 1 से 8	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	3.08
74	53-8805	छात्रवृत्तिया कक्षा 1 से 8	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	5.84
याग			1561993.61	1264045.23	1580858.01	1475708.79	1922241.24	1263440.20

* (दिसंबर 2018 की स्थिति में)

2.2.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन सर्व शिक्षा अभियान व अन्य कार्यक्रमों के वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 दिसंबर तक का बजट एवं व्यय
(राशि रुपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19*	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
(अ)-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं							
1	सर्व शिक्षा अभियान (राजस्व) (केन्द्र प्रवर्तित) (60:40) (8810)	333700.00	274325.00	278000.00	255823.45	282650.00	241387.80
2	सर्व शिक्षा अभियान (पूँजीगत) (60:40) (8810)	45400.00	30371.15	62000.00	21264.56	28300.00	0.00
3	कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय (60:40) (6809)	10260.00	6700.00	9200.00	3726.00	0.00	0.00
4	साक्षर भारत (केन्द्र प्रवर्तित) (60:40) (6011)	6240.00	6240.00	6300.00	4236.10	700.00	0.00
	योग (अ)	395600.00	317636.15	355500.00	285050.11	311650.00	241387.80
(ब)-राज्य बजट से संचालित कार्यक्रम/ योजनाएं							
1	निःशुल्क गणवेश (6716)	6750.00	6750.00	6500.00	2500.00	5600.00	5600.00
2	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री का प्रदाय (2267)	938.11	938.11	1100.00	1100.00	1100.00	330.00
3	छात्राओं को निःशुल्क साईकिल का प्रदाय (6813)	8055.00	8055.00	8900.00	2670.00	0.00	0.00
4	सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना (5776)	2250.01	0.00	0.01	0.00	418.00	0.00
5	निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां (5627)	594.00	594.00	701.50	701.50	0.00	0.00
6	आरटीई के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (6484)	19800.00	8000.00	21400.00	19260.00	31000.00	8370.00
7	छात्रावास भवन निर्माण (8799)	1500.00	0.00	4000.00	0.00	3980.00	0.00
8	विद्यालय भवन निर्माण (7728)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

9	शिक्षक योग्यता (One-Step-up) (7472)	27.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
10	100 सीटर बालक छात्रावास भवन	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कक्षा 6-8 तक के छात्रों हेतु छात्रावास सहित उत्कृष्ट विद्यालय (7618)	180.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
12	वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन (1233)	270.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
13	प्राथमिक स्तर पर मानिट्रिंग हेतु निधि (7478)	900.00	900.00	800.00	500.00	700.00	189.00
14	शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण (7479)	1500.00	1250.00	1100.00	0.00	1500.00	0.00
15	एकेडेशन ऑफ स्कूल (7485)	630.00	200.00	250.00	225.00	262.50	70.88
16	ई-गवर्नेन्स (6735)	0.01	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
17	शालाओं में शौचालय निर्माण/जीर्णोद्धार (7592)	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.01	0.00
18	शालाओं में अकादमिक मूल्यांकन (7616)	900.00	500.00	50.00	45.00	55.00	14.85
19	राजाराम मोहन राय लायब्रेरी (2071)	45.00	0.00	0.01	0.00	80.00	0.00
20	छात्रावास में चौकीदार कक्ष का निर्माण (7733)	500.00	500.00	550.00	0.00	976.00	0.00
21	Intervention of CWSN (7734)	0.01	0.00	0.01	0.00	400.00	108.00
22	सोलर लाइट (2066)	900.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00
23	सोलर लाइट (पूँजीगत) (2066)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
24	ड्रिंकिंग वाटर (2067)	1350.00	0.00	1350.00	0.00	2000.00	1000.00
25	इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (2068)	1800.00	1033.00	2000.00	810.00	3000.00	0.00
26	इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (पूँजीगत) (2068)	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
27	स्काउट एवं गाईड की गतिविधियाँ (0729)	0.00	0.00	133.00	132.00	133.00	59.85

28	माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर (0730)	0.00	0.00	3000.00	0.00	3300.00	0.00
29	शोध एवं मूल्यांकन (0739)	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	39.50
योग (ब)		50789.15	29220.11	57014.60	27993.50	54554.58	15782.08

*(31 दिसंबर 2018 की स्थिति में)

(स) बजट म0प्र0 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

(आंकड़े लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19*	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
1	1502 - डाइट्स	8378.70	5859.57	8340.05	6678.55	6130.65	5089.50
2	5788 - पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान - जबलपुर	108.19	81.17	106.02	92.23	118.93	82.16
3	3668 - राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान - जबलपुर	261.79	230.96	292.93	279.72	304.67	270.98
4	3694 - राज्य शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ़ शिक्षा भोपाल (P/ NP)	1674.04	1034.85	1482.25	1177.42	1442.99	974.21
5	67 - आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान - भोपाल (P/ NP)	189.67	85.23	118.45	104.64	251.85	99.25
6	4402 - सरकारी शिक्षा महाविद्यालय (P/ NP)	2239.44	1364.13	2203.48	1610.29	1721.94	1326.29
7	5481 - वृहद निर्माण कार्य	300.00	278.27	300.00	299.78	1500.00	491.90
8	7617 - पीएसएम परिसर, जबलपुर	270.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00
9	7471 - शाला भवन एवं छात्रावास संधारण पर व्यय	20.25	16.05	11.00	2.97	0.08	0.00
	योग (स)	13442.08	8950.23	13154.18	10245.60	11971.11	8334.29
	महायोग (अ+ब+स)	459831.23	355806.49	425668.78	323289.21	378175.69	265504.17

*(31 दिसंबर 2018 की स्थिति में)

2.2.3 राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक का बजटीय विवरण

(राशि रुपये लाख में)

स्कीम कोड	स्कीम	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय (31 दिसम्बर 18)
3755	वरिष्ठ संभाग	3517.07	2442.69	3361.62	2330.47	4507.96	2962.61
3754	कनिष्ठ संभाग	1909.02	1222.06	1351.79	933.07	स्कीम वरिष्ठ संभाग में मर्ज की गई	—
8808	आई.टी.	4.50	3.48	4.50	3.13	समाप्त किया गया	—
2081	एनसीसी के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु	1000.00	00	210.08	00	210.00	—
	योग	6430.59	3668.23	4927.99	3809.28	4717.96	2962.61

2.2.4 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

बजट एवं व्यय

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	विगत शेष	भारत शासन से प्राप्त	राज्य शासन से प्राप्त	ब्याज एवं अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध	व्यय	वर्ष में शेष बची राशि
2015-16	10005.16	28340.9	15037.77	457.5	53841.33	48756.39	5084.94
2016-17	5084.94	34834.51	21842.74	7641.46	69403.65	68489.32	914.33
2017-18	914.33	42962.33	28641.56	16996.63	89514.85	87447.746	2067.104
2018-19	2067.104	12447	8298	155	22967.104	11145.00	11822.104

(दिसंबर 2018 की स्थिति में)

2.2.5 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश

व्यय अनुमान

(व्यय का विवरण अधिनियम धारा 12)

(राशि रु. लाख में)

व्यय के शीर्ष		वास्तविक लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
		2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
अ	राजस्व				
ए-	मुख्यालय/प्रशासन	5671.42	7045.00	7110.00	7870.00
बी-	संभागीय कार्यालय	711.29	1015.79	1009.49	1120.35
सी-	आदर्श विद्यालय	1258.34	1537.27	1684.34	1884.88
डी-	परीक्षा	6606.41	7080.00	7888.40	8010.00
ई-	शैक्षणिक कार्य (अकादमी व्यय)	40.67	1335.00	1035.00	1075.00
योग-राजस्व व्यय		14288.13	18013.06	18727.23	19960.23
ब	पूँजीगत लेखा				
एफ-	भवन निर्माण	120.00	350.00	350.00	500.000
जी-	मुद्रणालय	0.00	15.00	15.00	15.00
एच-	वाहन	17.64	20.00	30.00	20.00
आई-	फर्नीचर एवं अन्य कार्यालयीन उपकरण	98.20	150.00	150.00	150.00
योग-पूँजीगत व्यय		235.84	535.00	545.00	685.00
स	जमाधन/अग्रिम धन लेखा	58.34	152.00	152.00	152.00
बृहद योग		14582.31	18700.06	19424.23	20797.23

में)

00
35
88
00
00
23
00
00
00
00
00
00
23

भाग – तीन

- 1 राज्य योजनाएं
- 2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं
- 3 अन्य योजनाएं

भाग – तीन

3.1 राज्य योजनाएं

3.1.1 लोक शिक्षण संचालनालय के तहत प्रमुख राज्य योजनाएं

3.1.1.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना म.प्र. शासन की एक महत्वपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी योजना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

शिक्षा सत्र 2017-18 से योजनान्तर्गत एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों का अभिग्रहण कर कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्यपुस्तकें तथा द्वितीय चरण में शिक्षा सत्र 2018-19 से कक्षा 10वीं में गणित, विज्ञान विषय तथा कक्षा 12वीं में गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पाठ्यपुस्तकें अभिग्रहित कर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना अन्तर्गत सम्मिलित की गई है।

शिक्षण सत्र 2018-19 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना मद में राशि रुपये 110.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा कुल 24,54,914 छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की गई हैं।

3.1.1.2 सुपर 100 योजना

सुपर-100 योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय स्कूलों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के छात्रों और 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अन्य वर्ग के विद्यार्थियों में से चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 11वीं में अध्ययन के साथ-साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थाओं तथा आई.आई.टी./मेडिकल/सी.पी.टी. आदि पाठ्यक्रमों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कोचिंग प्रदाय कराये जाने के लिए "सुपर-100" योजना संचालित है। यह योजना भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि.शिवाजीनगर भोपाल एवं इन्दौर के शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि.इन्दौर में संचालित है।

शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि.इन्दौर में वर्ष 2018-19 में कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय में 50, गणित संकाय में 51 एवं जीवविज्ञान संकाय में 51 विद्यार्थियों एवं कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय के 89 प्रविष्ट होकर अध्ययन के साथ-साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक संस्थाओं आई.आई.टी./मेडिकल/सी.पी.टी. आदि पाठ्यक्रमों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण (कोचिंग) प्राप्त कर रहे हैं।

शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि.भोपाल में वर्ष 2018-19 में प्रदेश से चयनित छात्र-छात्राओं को कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय में 46, गणित संकाय में 50 एवं जीवविज्ञान संकाय में 51 विद्यार्थियों एवं

कक्षा 12वीं में गणित संकाय में 96 एवं जीवविज्ञान संकाय में 91 प्रवेशित होकर अध्ययन एवं प्रशिक्षण (कोचिंग) प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 2018 में जे.ई.ई.मेन्स में 31, जे.ई.ई.एडवांस में 07, नीट में 62 एवं सी.पी.टी. में 15 इस प्रकार कुल 115 छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया।

3.1.1.3 प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 12 वीं की माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रुपये 25,000/- प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया। तदुपरान्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिये यह अंक सीमा 75 प्रतिशत कर दी गई थी। वर्ष 2017-18 से सभी वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया।

- 1- योजना का नाम- इस योजना का नाम "प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना" है।
- 2- योजना की पात्रता- इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रतिभाशाली छात्र/छात्राएं पात्र हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12वीं) परीक्षा में -
 - 2.1 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे।
 - 2.2 जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रथम प्रयास में नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो।
 - 2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- 3- योजना का स्वरूप - योजना अंतर्गत रुपये 25,000/- छात्र के खाते में RTGS द्वारा अंतरित की जाती है।

उक्त योजनान्तर्गत 2017-18 की माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये जाने पर शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 67,615 (सड़सठ हजार छै: सौ पन्दह) विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 25,000/- की दर से कुल राशि रुपये 1,69,03,75,000/- (एक सौ उन्हत्तर करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार) वितरित कर लाभान्वित किया गया।

3.1.1.4 निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत है तथा वह जिस ग्राम का निवासी है, उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय/हाई स्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम/शहर के

शासकीय स्कूल में जाता है, उसे निःशुल्क सायकिल वितरण योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ छात्र को कक्षा 9 वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा अर्थात् कक्षा 9 वीं में पुनः प्रवेश लेने पर उसे सायकिल की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 कि.मी. से ज्यादा है तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्रों को भी सायकिल दी जावेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं, जिनकी शाला छात्रावास से 2 कि. मी या अधिक दूरी पर है, को भी साईकिल प्रदाय की जावेगी। ये सायकिलें छात्रावास को आवंटित की जायेगी और छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं इनका प्रयोग कर सकेंगी। छात्रावास छोड़ते समय सायकिलें छात्रावास में ही जमा करना आवश्यक होगा। कक्षा 9 वीं के विद्यार्थी को 20 इंच की सायकिल प्रदान की जाती है।

निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 से संचालित है। वर्ष 2016-17 से पूर्व पात्र बच्चों को सायकिल क्रय हेतु राशि रु. 2400/- प्रदान की जाती थी। वर्ष 2016-17 से लघु उद्योग निगम के माध्यम से सायकिल क्रय कर प्रदान की जा रही है। वर्ष 2018-19 में कक्षा 9वीं के लगभग 4.30 लाख छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे। योजना के तहत विगत 3 वर्ष में निःशुल्क सायकिल योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं के लाभान्वित छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	शैक्षणिक सत्र	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या (लाख में)
1	2015-16	4.26
2	2016-17	4.16
3	2017-18	4.50

3.1.1.5 शिक्षक प्रोत्साहन योजना

शासकीय विद्यालयों में शिक्षक द्वारा बेहतर अध्यापन व्यवस्था एवं परीक्षा परिणाम देने पर शिक्षक को प्रोत्साहन राशि प्रदाय कर शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया जाना इस योजना का मूल उद्देश्य है। योजना के मापदण्ड निम्नानुसार है:-

- (अ) शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय की कक्षा 9 से 12 वीं तक की प्रत्येक कक्षा में कम से कम 20 विद्यार्थी अध्ययनरत होकर परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा।
- (ब) सामान्य शासकीय हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 10 वीं में 80 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9वीं का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 10वीं में 90 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर प्रत्येक संबंधित शिक्षक को प्रोत्साहन राशि रुपए 8000/- दिये जाने का प्रावधान है।

- (स) सामान्य शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा 11 वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत या उससे अधिक एवं कक्षा 12 वीं में 80 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11 वीं का परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कक्षा 12 वीं में 90 प्रतिशत या अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर प्रत्येक संबंधित शिक्षक को प्रोत्साहन राशि रुपये 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है।

3.1.1.6 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

भारत शासन की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई थी। इन स्कूलों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किये जाने की योजना के तहत प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी 201 विकासखंडों में भारत शासन द्वारा वर्ष 2015-16 में यह योजना राज्य बजट से चलाए जाने हेतु अंतरित कर दी गई। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीट निर्धारित की गई हैं। मॉडल स्कूल हेतु मॉडल स्कूल में कक्षा 9 वीं में प्रवेश, चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2017-18 का मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 87.71 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 77.72 प्रतिशत रहा है। वर्तमान में मॉडल स्कूलों में 47278 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह मॉडल स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वर्तमान में 201 मॉडल स्कूलों में से 196 स्थानों पर स्वयं के मॉडल स्कूल भवन निर्मित हो चुके हैं। शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.1.1.7 उत्कृष्ट स्कूलों की स्थापना एवं संचालन

शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थापित एक शासकीय उ.मा.विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में 41 जिला मुख्यालयों पर एवं 194 विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है। वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 39050 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1,84,862 विद्यार्थी हैं। वर्ष 2017-18 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं का परीक्षा परिणाम क्रमशः 94.38 प्रतिशत एवं 88.00 प्रतिशत रहा है।

3.1.1.8 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल छात्रावास योजना

प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में प्रवेश पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अन्य ग्रामों, विकासखण्ड अथवा जिलों से चयनित विद्यार्थी इन विद्यालयों में प्रवेश तो लेना चाहते हैं, किन्तु आर्थिक विषमताओं के कारण जिला अथवा विकासखण्ड स्तर पर स्वयं की व्यवस्था से किराये आदि पर नहीं रह पाते हैं। इस कठिनाई के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 से प्रदेश के 224 जिला एवं ब्लॉक स्तरीय उत्कृष्ट एवं 201 मॉडल स्कूलों के लिए छात्रावास योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 41 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में तीन वर्षों की कार्ययोजना में 100-100

सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित किए जाने की योजना है। (छात्रावासों में विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।) इस योजनान्तर्गत भवन निर्माण होने तक 50 सीटर बालक तथा 50 सीटर बालिका छात्रावास का संचालन की योजना है। वर्तमान में 24 बालक एवं 19 बालिका छात्रावास संचालित है।

3.1.1.9 बालिका छात्रावास (200 सीटर बालिका छात्रावास भवन निर्माण एवं संचालन)

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 200 सीटर 6 स्थानों पर (हरसूद जिला खंडवा, छतरपुर, छिंदवाडा, झाबुआ, शहडोल और उज्जैन) बालिका छात्रावास भवन निर्माण हेतु प्रति भवन राशि रुपये 579.00 लाख के मान से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.1.1.10 हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालय निर्माण

वर्ष 2016-17 तक रु.16169.28 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के कुल 136 कार्य स्वीकृत थे, इनमें से 120 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 16 प्रगतिरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में 724 हायर सेकेण्डरी एवं 846 हाईस्कूल भवनविहीन हैं, इनमें से 657.00 करोड़ की लागत से वर्ष 2017-18 में 622 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन भवनों को 03 वर्षों में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

3.1.1.11 हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालय विद्युतीकरण

प्रदेश के 1736 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल विद्युतविहीन हैं, इस हेतु म.प्र. विद्युत मंडल को राशि प्रदान की गई है। 1382 स्कूलों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 317 (37 स्कूलों में स्थानीय स्तर से विद्युत व्यवस्था करा ली गई है) स्कूलों में कार्यवाही जारी है, जिसे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

3.1.1.12 दिव्यांग छात्रावास की स्थापना एवं संचालन

09 संभागीय मुख्यालयों पर दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु प्रति संभाग 50 सीटर बालक एवं 50 सीटर बालिका दिव्यांग छात्रावास के निर्माण हेतु (कुल 100 सीटर हेतु) लागत राशि रुपये 346.00 लाख प्रति इकाई के मान से स्वीकृति प्रदान की गई है। इनका निर्माण संभागीय मुख्यालय पर स्थित ऐसे स्कूलों में किया जायेगा, जहां सह शिक्षा उपलब्ध है।

3.1.1.13 शास0 उत्कृष्ट उ0मा0विद्यालयों में मल्टीपरपज हॉल के निर्माण

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत 17 शास0 उत्कृष्ट उ0मा0विद्यालयों में मल्टीपरपज हॉल के निर्माण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ प्रति हॉल की दर से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.1.1.14 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन

सैनिक स्कूल की स्थापना वर्ष 1962 में प्रदेश के छात्रों को सेना के लिए तैयार करने हेतु की गई थी। सैनिक स्कूल रीवा में वर्तमान में 542 छात्र अध्ययनरत हैं, जिसमें प्रदेश के छात्रों को एनडीए के लिए

छात्रों को तैयार किया जाता है। सैनिक स्कूल रीवा के संचालन हेतु कर्नल रैंक के अधिकारी को प्राचार्य का दर्जा दिया जाता है। शेष शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारी स्थानीय समिति के द्वारा चयनित किये जाते हैं।

3.1.1.15 समेकित छात्रवृत्ति योजना (समग्र शिक्षा पोर्टल)

मध्यप्रदेश विधानसभा के संकल्प क्र. 37 में लिए गए निर्णय अनुसार 8 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वितरित कराने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामांकित किया गया। समेकित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2013-14 से संचालित है। इसके तहत प्रदेश की समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत 1.48 करोड़ विद्यार्थियों की प्रोफाइल ऑनलाइन लिया जाकर उसके आधार पर छात्रवृत्ति की गणना कर वितरित कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होकर सम्पूर्ण देश में अपने तरह का पहला प्रयास था।

योजना अन्तर्गत प्रत्येक स्कूली विद्यार्थी का समग्र यूनिक ID के आधार पर उसके स्कूल के DISE Code के साथ मैपिंग कर, कक्षावार, स्कूलवार नामांकन ऑनलाईन लिए जाने का सिस्टम "समग्र शिक्षा पोर्टल" NIC के माध्यम से तैयार कराया गया। प्रत्येक छात्र का प्रोफाइल यथा (जाति, माता-पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, BPL स्टेटस, छात्रावासी स्टेटस, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम आदि जानकारी, जो कि छात्रवृत्ति की गणना करने के लिए आवश्यक होते हैं) ऑनलाईन लिया गया, जिसके आधार पर सिस्टम द्वारा छात्रवृत्ति की गणना की जाकर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृत कर छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में भुगतान की जाती है।

वन-क्लिक के माध्यम से वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति वितरण दिनांक 03.02.18 को प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2017-18 में लगभग 76 लाख विद्यार्थियों को लगभग 509 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में किया गया।

वर्ष 2018-19 में शिक्षा पोर्टल पर 1.42 करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन एवं 1.38 करोड़ विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेशन किया जा चुका है।

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग को Improvement in Citizen Service Delivery through Government Process Reengineering (GPR) कैटेगरी में "Mission One Click- DBT of Benefits of 30 Schemes to 82 Lakh Students" हेतु Award For Excellence in e-Governance initiatives in Madhya Pradesh 2015-17 प्राप्त हुआ।

समग्र छात्रवृत्ति योजना, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का बजटीय विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
			प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8 तक)	594.00	474.70	631.35	450.01	लो.शि.सं. की योजना क्रमांक 5133 में समाहित की गई है।	
2	आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.	सामान्य निर्धन वर्ग एवं अन्य छात्रवृत्ति एवं सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)	1879.20	852.51	2598.50	1146.92	1070.00	30.52
3		इकलौती बेटी को "शिक्षा" विकास छात्रवृत्ति	70.16	70.16	80.00	42.82	80.00	0.15
4	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग म.प्र.।	राज्य शासन अ. जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए)	901.16	885.88	1750.00	940.00	2200.00	6.46
5		राज्य शासन अ. जा. छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10	4360.54	3754.29	5250.00	4249.32	5300.00	30.54
6		प्री मेट्रिक अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10)	7710.00	7710.00	7700.00	7699.93	7700.00	21.85
7		पोस्ट मेट्रिक अ. जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 11 एवं 12)	4500.00	4500.00	11500.00	5328.25	8000.00	19.04
8		सफाई एवं जोखिमपूर्ण कार्य छात्रवृत्ति (अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति) (कक्षा 01 से 10 तक)	303.14	289.33	640.00	262.18	640.00	0.74
9		अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11 वीं)	1200.00	1200.00	1350.00	1299.38	1300.00	3.99
10	आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र.	राज्य शासन अ. जा. छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 (अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया,	2620.35	1553.17	1320.00	1965.00	4000.00	16.19

		सहारिया) के बालकों के लिए						
11		राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक)	13246.44	4634.76	21800.00	14387.80	915.20	9.94
12	आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र.	प्री मेट्रिक अ.ज.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10)	3690.00	3689.99	2000.0	2000.0	7000.00	43.02
13		पोस्ट मेट्रिक अनु. जनजाति छात्रवृत्ति	4602.21	4601.69	4600.0	4600.0	3000.00	4.09
14		अ.ज.जा. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 11वीं)	1537.89	1344.58	1389.9	989.9	1125.00	29.54
15	संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास विभाग म.प्र.।	राज्य छात्रवृत्ति प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)	99.00	49.22	49.5	49.4	70.00	1.03
16		राज्य छात्रवृत्ति माध्यमिक स्तर (कक्षा 06 से 10 तक)	125.73	71.06	105.2	81.9	120.00	1.31
17		पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां	45.00	45.00	40.0	40.0	60.00	0.97
18		कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कक्षा 11 वी	35.82	8.91	6.8	6.8	16.00	0.24
19	आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक	राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10 तक)	2700.00	2389.88	2700.0	2700.0	16627.34	84.43
20		पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं व 12वीं तक)	12343.26	11186.87	13400.0	11736.0		
21	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र.।	निःशक्त जन छात्रवृत्ति	504.00	436.47	525.9	333.1	370.93	52.99
महायोग:-			63067.9	49748.47	79437.15	60308.71	59594.47	357.04

(दिसम्बर, 2018 की स्थिति में)

3.1.1.15 आवासीय खेलकूद संचालन

विभाग द्वारा जिला शिवपुरी में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं जिला सीहोर में शासकीय आवासीय विद्यालय संचालित है। उक्त संस्थाएं निम्नानुसार संचालित है :-

- (1) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय (शिवपुरी) में शिक्षा विभाग के शिक्षक/अध्यापक/पी.टी.आई. संवर्ग को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के उपरांत चयनित किया जाता है। शिवपुरी में बी.पी.एड. (बेचलर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन) दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होता है। कुल 55 सीट निर्धारित है, जिसमें 28 सीटें विभागीय एवं 27 सीटें विभागेत्तर अभ्यर्थियों के लिए प्रावधानित हैं।
- (2) शासकीय आवासीय विद्यालय सीहोर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए कुल 200 सीट निर्धारित हैं। विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार छात्रों को चयन किया जाता है। छात्र विद्यालय में 04 वर्ष अध्ययनरत रहकर अपनी रुचि अनुसार खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

शासकीय आवासीय विद्यालय, सीहोर में अध्ययनरत छात्रों की विगत तीन वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	वर्ष	सीटों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	2016-17	200	179
2	2017-18	200	115
3	2018-19	200	108

3.1.1.16 खेलकूद

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन

वर्ष 2018-19 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस.जी.एफ.आई. द्वारा फुटबाल एवं बैडमिंटन का आयोजन आगरा (भारत) में आयोजित कराया गया, जिसमें प्रदेश के 3 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है, जो म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए गौरव की बात है।

स्कूल ओलम्पियाड

वर्ष 2018-19 में ग्रामीण अंचल में छुपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने एवं खेल गतिविधियों में छात्र-छात्राओं की अधिक से अधिक सहभागिता कराए जाने हेतु "स्कूल ओलम्पियाड" का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पर मुख्य रूप से खेले जाने वाले खेल जैसे खो-खो, कबड्डी, शतरंज, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (रस्सीकूद), तैराकी एवं बॉक्सिंग की संकुल स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

वर्ष 2018-19 हेतु जारी राज्य स्तरीय खेल कैलेंडर अनुसार मध्यप्रदेश में कुल 81 खेलों की 14, 17 एवं 19 आयुवर्ग में प्रतियोगिताएं विभिन्न जिलों में 40 स्थानों पर आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी खेल कैलेंडर अनुसार 94 खेलों की विभिन्न आयुवर्ग (14, 17 एवं 19 बालक/बालिका) में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं तथा लगभग 16 खेलों की प्रतियोगिताएं होना शेष हैं।

वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं सम्पन्न हो चुकी हैं, के अनुसार पदक तालिका निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	पदक तालिका में स्थान
2014-15	48	48	106	आठवां
2015-16	45	59	77	नवां
2016-17	78	71	114	चौथा
2017-18	103	100	134	चौथा
2018-19	140	84	118	तीसरा

(13.01.2019 की स्थिति में) प्रतियोगिताएं वर्तमान में प्रारंभ हैं।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी खेल कैलेंडर अनुसार मध्यप्रदेश में टेनिस बाल क्रिकेट, डॉजबॉल, खो-खो, क्रिकेट, रोलबॉल, कराते, कबड्डी, फिल्ड आर्चरी, कूडो, सॉफ्ट टेनिस, रायफल शूटिंग, ताइक्वाडो, हेण्डबॉल, लागोरी, हूपक्वाडों, बॉक्सिंग एवं बेसबाल का आयोजन क्रमशः (हाटपिलिया) देवास, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, इंदौर, नीमच, रायसेन, विदिशा, खण्डवा, भोपाल एवं उज्जैन में आयोजित किये जा रहे हैं।

शालेय खेल प्रतिभा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह

राष्ट्रीय प्रतियोगिता शालेय व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलों में प्रदेश के प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी को रूपए 10,000/-रूपए, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 7,500/- एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को रूपए 5,000/- की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदाय की जाती है। वर्ष 2017-18 में गोल्ड मैडल 152, रजत पदक 151, कांस्य पदक 229 इस प्रकार कुल 532 पदक प्राप्त खिलाड़ियों को डी.डी. के माध्यम से उनके खाते में राशि प्रदाय की गई। वर्ष 2018-19 में खेल प्रतियोगिताओं की कार्यवाही प्रचलन में है।

3.1.1.17 ग्रंथालय

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में पांच केन्द्रीय पुस्तकालय हैं। शासकीय मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल, शासकीय अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा, शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर एवं प्रदेश के 36 जिलों—भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, सीधी, सतना, सतना (नागौद), डबरा (ग्वालियर) भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, शिवपुरी, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, शहडोल में विभागीय पुस्तकालय संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा संचालित ब्रिटिश लाइब्रेरी को अधिग्रहित कर स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी नाम से भोपाल में संचालित किया जा रहा है।

● **मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल**— मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकालय के युवा सदस्य कहीं समूह में चर्चा करते दिख पड़ते हैं, कहीं एक दूसरे को पढ़ाते। इस शैक्षिक हलचल के बीच बहुत से विद्यार्थी सदस्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में नजर गढ़ाए पढ़ते हुए नजर आते हैं। पुस्तकालय के मुख्य हॉल में आते ही परिदृश्य अधिक शांतिमय और गंभीर नजर आने लगता है। पुस्तकालय में सदस्यों की बढ़ती संख्या इसके शैक्षिक वातावरण का ही प्रभाव है। जहाँ नियमित आने-जाने वाले 200-250 सदस्यों के साथ, निरन्तर ज्ञान वृद्धि हेतु सुबह से शाम तक लगातार बैठने वालों की संख्या भी दोगुनी है।

नवाचार भी पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। इस वर्ष प्रति सप्ताहांत में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों निरन्तर आयोजित होते रहे। रीडिंग मैराथन जैसे आयोजन, जिसमें लगभग 100 युवाओं ने 3 घण्टे में 300 पृष्ठों की न केवल पुस्तक पढ़ी, बल्कि उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आहार सलाहकार निधि पाण्डेय ने आहार संबंधी, डॉ अजीत वर्मा न्यूरोलॉजिस्ट ने यूथ कैंप में मेंटल स्ट्रेस दूर कर ध्यान एवं चित्र की एकाग्रता बढ़ाने के टिप्स दिए। ग्रेजुएट ग्रूमिंग वर्कशॉप में लगभग पाँच दिन तक विभिन्न विषयों पर अतिथि विद्वानों ने बाँड़ी लैंग्वेज, तर्कशक्ति विस्तार, अभिव्यक्ति की कला, तनाव मुक्ति प्रभावशाली लेखन पर नए टिप्स दिए। कवि सम्मेलन "नयी कलम" से नवलेखकों/कवियों को मंच मिला तो मिट्टी के गणेश बनाने की कला सदस्यों ने सीखी। "आस्क द एक्सपर्ट" कार्यशालाओं से विभिन्न व्यक्तित्व, विचारक, सफल आमंत्रित अतिथियों से सदस्यों ने अपनी सोच एवं चिन्तन को नए आयाम दिए।

इस वर्ष लगभग 300-400 विद्यार्थी सदस्यों का चयन रेल्वे, बैंक, पुलिस, राजस्व एवं अन्य विभागों में हुआ। 'बुक बैंक', 'रोटी बैंक' केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज के निम्नवर्ग को सहायता देने संबंधी सामाजिक उत्तरदायित्व को भी यहाँ के युवा सदस्यों ने निभाया।

विभाग से प्राप्त बजट से फर्नीचर खरीदी, सी.सी.टी.वी कैमरों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण के अनेक कार्य संपन्न किए गए। मुख्य भवन में सुरक्षा हेतु छत पर वायर रोल लगवाने के साथ भरपूर रोशनी की व्यवस्था की गई। परिसर सुरक्षा हेतु गार्डों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। लाइब्रेरी में निरन्तर बढ़ती सदस्यों की संख्या, उनको दी जाने वाली सुविधाएँ, उपयोगी और सफल कार्यशालाएँ, लगातार होने वाली गतिविधियों ने पुस्तकालय को एक महत्वपूर्ण शैक्षिक गतिविधि केन्द्र बना दिया है।

• **शासकीय श्री अहिल्या केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर-** पुस्तकालय के अंतर्गत आवंटित रुपये-3.00 लाख की राशि से इन्दौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पुस्तकालय के परिसर में वर्षा के समय जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु नये पेवर ब्लाक लगवाये गये। पुस्तकालय के सामने के बगीचे की जर्जर दीवारों की मरम्मत करवाकर रंग रोगन करवाया गया। दिनांक-20.09.2018 को आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कॉम्पीटीशन कार्नर में अध्ययनरत छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तकालय का समय प्रातः 8.00 से रात्रि 10 बजे किया गया। वर्ष 2018-19 में पुस्तकालय में 87 नये सदस्य जुड़े हैं तथा कॉम्पीटीशन कार्नर में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में अध्ययन हेतु 45 छात्रों को सदस्यता प्रदान की गई, जो कि विगत वर्ष की अपेक्षा अधिक है।

संचालनालय से फर्नीचर मद प्राप्त बजट रुपये 50.00 हजार रुपये से पुस्तकालय के उपयोग हेतु 4 आलमारी कय की गई। भारत सरकार की योजना अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन से प्राप्त रुपये 87.00 लाख में से रुपये 50.00 लाख से पुस्तकालय के भवन सुदृढीकरण के अंतर्गत भवन रंग रोगन, छत मरम्मत, वाटर प्रूफिंग एवं नये कक्ष का निर्माण आदि कार्य प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर से अनुमोदन उपरान्त प्रस्तावित कार्य प्रारंभ किया जावेगा। शेष राशि से पुस्तकालय उपयोगी उपकरण कय किये जायेंगे।

• **केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर-**ग्वालियर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत महाराज बाडा, लश्कर स्थित ऐतिहासिक शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर म.प्र को सम्मिलित करते हुए पुस्तकालय का उन्नयन कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय भवन को हेरिटेज स्वरूप प्रदान करते हुये भवन की मरम्मत, पुस्तकों का डिजीटलाइजेशन, हॉबीज सेन्टर, कॉम्प्टीशन कार्नर, ऑनलाईन लाइब्रेरी, केफेटैरिया सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रारंभ की जावेंगी। जिस कार्य को लगभग राशि रुपये 11.82 करोड़ की लागत से पूर्ण किया जावेगा। डिजीटल लाइब्रेरी बनने से शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय मध्य प्रदेश का एकमात्र हाईटेक पुस्तकालय बन जावेगा। जिसका लाभ देश एवं प्रदेश के सभी आमजन को मिलेगा। शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर में प्रतिमाह इवेन्टस् का आयोजन किया जाता है। इन इवेन्टस् से पुस्तकालय में आने वाले पाठकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है एवं पाठकों में रीडिंग हैबिट का विकास हुआ है।

• **केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर-** केन्द्रीय पुस्तकालय जबलपुर में फर्स्ट सेन्ट्रल इण्डिया पैरेन्टल फ़ैस्ट-प्रगल्भ प्रतियोगिता के अंतर्गत नाट्य, गायन, कहानी लिखो, चित्रकला का आयोजन किया गया है। विशेष दिवसों पर गोष्ठी, सेमिनार का आयोजन, प्रतियोगी परीक्षा जैसे-पी0एस0सी0 के अंतर्गत मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया है। वर्ष 2018-19 में कुल नवीन सदस्यों की 72 रही है तथा समाचार पत्रों की संख्या 08, मेगजीन 05, बैठक व्यवस्था के अंतर्गत ऊपर के हॉल में पाठकों की संख्या बढ़ाकर कुल 40 हो गई है।

• **केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा-** केन्द्रीय पुस्तकालय रीवा से इस वर्ष 64 नवीन सदस्य जुड़े हैं। पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर महापुरुषों की जयंती मनाई गई है। जिले के महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय का भ्रमण कराया गया। पुस्तकालय प्रांगण को सुन्दर बनाने हेतु वृक्षारोपण कराया गया है। पाठकों के लिए प्रकाश एवं पानी की व्यवस्था की गई। पाठकों की रुचि के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबधित पत्रिकाएँ उपलब्ध करवाई गई है। पुस्तकालय की साज-सज्जा हेतु फॉल्स सिलिंग कराई गई है।

● **विभागीय जिला पुस्तकालय—** जिला पुस्तकालय भोपाल को वर्ष 1989 से केन्द्र सरकार की योजना अंतर्गत राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता से पुस्तकों की सहायता अनुदान स्वरूप प्राप्त हो रही है। इस पुस्तकालय में नवीन एवं दुर्लभ ग्रंथों का समृद्ध संग्रह है। जिसमें प्राचीन, धार्मिक, उर्दू, मराठी, ज्योतिष, हिन्दी व अंग्रेजी साहित्य, गाँधी साहित्य, प्रेमचन्द साहित्य, रविन्द्रनाथ एवं विवेकानन्द, साहित्य, बंगाली लेखकों द्वारा रचित उत्कृष्ट साहित्य प्रमुख है। नवीन पुस्तकों में संदर्भ ग्रंथ प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सामग्री, कविता, विभिन्न साहित्यिक लेखकों के कथा साहित्य, हास्य व्यंग्य, इतिहास, नाटक, बाल साहित्य, उपन्यास, कविता, कहानियाँ, हिन्दी साहित्य, राजनीति, मानविकी विज्ञान, गणित, एवं विविध, पत्रकारिता, योगासन, स्वास्थ्य, जीवनी एवं संस्मरण, शिक्षा, नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें, संगीत, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, नैतिक शिक्षा, विज्ञान, ललित कलाओं से संबंधित पुस्तकें विषयवार व केटलॉग सहित व्यवस्थित कर पाठकों को उपलब्ध करवायी जाती हैं। जिला पुस्तकालय द्वारा सप्ताह में छः दिवस व प्रतिदिन 11 घंटे वाचनालय व संदर्भ-सेवा प्रदान की जा रही है। यथा संभव पुस्तकालय द्वारा अधिक से अधिक सेवाएं देकर जन-सामान्य को लाभान्वित किया जा रहा है।

जिला पुस्तकालय राजगढ़ में प्रतिवर्ष की भौति बसंत पंचमी का आयोजन किया गया। जिसमें पुस्तकालय में प्रतिदिन आने वाले पाठकों, नियमित सदस्य, पेंशनरों, वरिष्ठ नागरिकों एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया गया। निर्वाचन के दौरान पुस्तकालय में मतदान हेतु प्रेरित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

जिला पुस्तकालय जबलपुर में नियमित पाठकों के मध्य अध्ययन के प्रति स्पर्धा एवं रुचि बढ़ाने हेतु पुस्तकालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ पाठक को पुरुस्कृत किया गया। जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त होने के फलस्वरूप ही पाठकों की संख्या में वृद्धि संभव हो सकी है। स्थानीय स्तर पर अन्य पुस्तकालयों से सामंजस्य स्थापित कर पाठकों द्वारा चाही गई पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

जिला पुस्तकालय नरसिंहपुर में जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु बाहर नहीं जा सकते थे, वे जिला पुस्तकालय में ही लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रंथालय में विगत वर्षों से हो रही उन्नति के फलस्वरूप पाठकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पुस्तकालय में आने वाले विभिन्न वर्ग के पाठकों को स्वच्छ रखने एवं स्वच्छता अभियान और शासन द्वारा जारी विभिन्न अभियानों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अभियानों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित किया गया है।

जिला पुस्तकालय मण्डला में जिला पुस्तकालय के नवनिर्मित प्रथम तल में प्रशासन के सहयोग से प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क एकलव्य कौचिंग संचालित की जा रही है। जिसमें छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग, शिक्षकों एवं अतिथि विद्वानों द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। जिससे प्रतियोगी परीक्षार्थी जो ग्रामीण अंचलों से परीक्षाओं की तैयारी हेतु बाहर नहीं जा सकते, वे ग्रंथालय से लाभान्वित हो रहे हैं।

जिला पुस्तकालय खण्डवा में केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना अंतर्गत जिला पुस्तकालय खण्डवा को ई-लायब्रेरी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत नवीन भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। केन्द्र सरकार से निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त रु.16.50 लाख प्राप्त हो गई

है। इस प्रकार भवन निर्माण का एकतिहाई कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त निर्माण कार्य इसी सत्र में पूर्ण होने की संभावना है।

जिला पुस्तकालय टीकमगढ़ में जिला पुस्तकालय में दिनांक 23.04.18 को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर बुन्देलखण्ड में सामाजिक परिवर्तन पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। दिनांक 12.08.18 को पद्म श्री एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस को पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में डॉ रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय के क्षेत्र में किये गये कार्य पर प्रकाश डाला गया साथ ही जन पुस्तकालयों की साहित्यिक और सामाजिक भूमिका और राष्ट्र निर्माण में योगदान पर चर्चा की गई।

जिला पुस्तकालय मुरैना में विद्वान शिक्षा विदों, भाषा विदों एवं विभिन्न विषयों में शोध कार्य की उपलब्धता के लिये डाईट मुरैना का सहयोग प्राप्त हो रहा है। चम्बल संभाग की संस्कृति, इतिहास, विभिन्न विषय में होने वाले शोध हेतु पत्रिकाओं शोधार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत् छात्रों को भी मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञों की सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है।

शा. जिला ई-पुस्तकालय मुरैना में, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से साहित्यिक, पर्यावरण एवं साक्षरता, विचारगोष्ठी, वृक्षारोपण, प्रश्नमंच, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, समसामयिक विषयों पर समय-समय पर शैक्षिक संवाद (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी के व्याकरण पर विशेष कार्यक्रम) किये गये।

इस प्रकार विभागीय जिला पुस्तकालयों द्वारा पाठकों एवं छात्र-छात्राओं को उनकी माँग के आधार पर पुस्तकें उपलब्ध कराने, पाठकों को स्वच्छ पानी, बैठने की समुचित व्यवस्था एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों आयोजित करने के प्रयास किये जाते हैं, जिससे पाठक सुविधा अनुसार अध्ययन कर सकें एवं छात्र-छात्राएं अध्ययन कर अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें।

• **स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी भोपाल-** इस वर्ष स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी में 1278 नए मेंबर्स जुड़े हैं। लाइब्रेरी में रीडिंग मेंबर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। पुस्तक कलेक्शन को भी मेंबर्स की माँग के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। लाइब्रेरी में 4500 नई किताबें शामिल की गई हैं। मेंबर्स द्वारा माँग की गई किताबों को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक विषय की किताबों को कलेक्शन में शामिल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा "बुकर्स प्राइज" जीतने वाली किताबों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के लिए विशेष कलेक्शन लॉच करने की योजना है। इस वर्ष रिलीज हुई किताबों को भी कलेक्शन में शामिल किया गया है। युवाओं को जोड़ने के लिए 10 लोक व्याख्यान तथा युवा चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके पैनल में विशेषज्ञों को शामिल किया गया। इनमें प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपना योगदान दिया। इन चर्चाओं में अधिक संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। लाइब्रेरी को मीडिया का भी भरपूर साथ मिला। ऐसे विषयों पर मंथन हुआ, जो आज के युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं।

स्वामी विवेकानन्द लाइब्रेरी ने पुनः ऑटोमेशन की तरफ ध्यान देते हुए जिला पुस्तकालय का काम भी अपने जिम्मे लिया है। ऑटोमेशन द्वारा प्रदेश के जिला पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने एवं जनसामान्य को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने का लक्ष्य है।

3.1.1.18 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी नवीन विद्यालय

विगत तीन वर्षों में राज्य योजना मद से माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी शाला में उन्नयन की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	वर्ष	हाईस्कूल	हायर सेकण्डरी
2	2016-17	100	100
3	2017-18	520	240
4	2018-19*	24	20

* प्रावधानित 100 हाईस्कूल एवं 100 हायरसेकण्डरी शालाओं में से 01 जनवरी 2019 तक उन्नत

आगामी तीन वर्षों 2017-20 की कार्ययोजना में 820 माध्यमिक शालों को हाईस्कूल एवं 540 हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी शालाओं में उन्नयन की योजना है।

3.1.2 राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत प्रमुख राज्य योजनाएं

3.1.2.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

वर्ष 2018-19 में शासकीय प्राथमिक शालाओं, माध्यमिक शालाओं, म.प्र.मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं म.प्र.संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्कृत शालाओं के लगभग 67.52 लाख (प्रावधिक आंकड़े) बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण किया गया है।

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण (लाभांविता बच्चे लाख में)	80.48	75.76	72.52

3.1.2.2 निःशुल्क साईकल वितरण

शासकीय शालाओं में अध्ययनरत ऐसे बालक बालिकाएं जो कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के पश्चात् कक्षा 6 में अध्ययन हेतु अन्य गाँव की माध्यमिक शाला में प्रवेश लेते हैं, वे निःशुल्क साईकल वितरण योजनांतर्गत पात्र हितग्राही हैं। वर्ष 2016-17 के पूर्व पात्र बच्चों को साईकल के लिये रुपये 2300/- के मान से राशि प्रदान की जाती थी। वर्ष 2016-17 से साईकल प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2016-17 में लगभग 1.75 लाख पात्र बच्चों को साईकल वितरित की गई। वर्ष 2017-18 से योजना में परिवर्तन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा उसी ग्राम के ऐसे मजरे-टोले में निवासरत हैं, जो उस माध्यमिक/हाईस्कूल से 2 किमी. की अधिक दूरी पर हैं, को सम्मिलित किया गया है, एवं ग्रामीण अंचलों में स्थित कन्या छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी जिनकी माध्यमिक/हाईस्कूल शाला 2 कि. मी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित है, को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
निःशुल्क साईकल वितरण (लाभांविता बच्चे लाख में)	2.40	1.76	1.95

से हायर

कण्डरी

त

ल एवं 540

मान्यता प्राप्त
धिक आंकड़े)

2017-18

72.52

पश्चात् कक्षा
न योजनांतर्गत
के मान से राशि
में लगभग 1.75
हुए ग्रामीण क्षेत्र
करके दोहरे में
किया गया है,
ल शाला 2 कि.

2017-18

1.95



3.1.2.3 सामान्य निर्धन वर्ग के परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण

शासकीय शालाओं में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवार, जिनकी आय रु. 54,000/-वार्षिक से कम है, के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदाय योजना वर्ष 2008-09 से आरम्भ की गयी है। इसके अनुसार बालिकाओं को रु. 300/- वार्षिक तथा बालकों को रु. 200/-वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। वर्ष 2018-19 में समग्र पोर्टल के माध्यम से सामान्य निर्धन वर्ग के बच्चों को पात्रतानुसार छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है।

3.1.2.4 निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के दर्ज बालक/बालिकाओं में से सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से ऊपर के बालक/बालिका को निःशुल्क गणवेश हेतु राज्य योजना के तहत लगभग 14 लाख गरीबी रेखा से ऊपर के बालकों तथा शेष बच्चों को गणवेश हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। सत्र 2018-19 में शासन के निर्णय अनुसार 33 जिलों में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत क्रियाशील स्वसहायता समूह के माध्यम से गणवेश वितरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष 18 जिलों में छात्रों को गणवेश की राशि उनके खाते में अंतरित की गई है।

- 2 प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.) भोपाल एवं जबलपुर,
- 3 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (एस.आई.एस.ई.), जबलपुर
- 4 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) खालियर, वेवास, खंडवा, उज्जैन, छतरपुर, और शीवा
- 5 शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर
- 6 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) - 47
- 7 पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान (पी.पी.टी.आई.), जबलपुर

3.1.2.6 सहयोगी उपक्रम/संस्थाएं—आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान (E.L.T.I.)

अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री निर्माण में गुणात्मक विकास करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान भोपाल की स्थापना सन् 1964 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अंतर्गत कार्यरत एक राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। इसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्य निम्नलिखित हैं :-

उद्देश्य :

- (i) राज्य की उच्चतर/उच्च/माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापन में गुणात्मक सुधार करना।
- (ii) विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना।
- (iii) राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय की आधुनिक पद्धति से अवगत कराना एवं उन्हें प्रशिक्षित करना।
- (iv) नवाचार कार्य, विशेषतया कक्षोन्मुखी शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- (v) शिक्षकों/शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए दीर्घकालीन/अल्पकालीन अवधि के उन्मुखीकरण/कार्यशाला / सेमीनार इत्यादि आयोजित करना।
- (vi) ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में कार्यरत शिक्षकों हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (vii) अंग्रेजी भाषा के मूल्यांकन के क्षेत्र में एवं प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य में सहयोग करना।
- (viii) समय-समय पर विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन एवं मूल्यांकन करना।
- (ix) आंग्ल भाषा अध्यापन क्षेत्र में सतत् उन्नयन एवं स्तरीकरण हेतु अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन लेना।

कार्यक्षेत्र

संपूर्ण राज्य के समस्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

वित्तीय प्रावधान

इस संस्थान को म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सन् 1988 से ई.एल.टी.आई. सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (E-FLU) हैदराबाद से सन 2016 तक प्राप्त होती रही है।

सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

यह संस्थान प्रदेश के सभी स्तरों के शिक्षकों के लिये विभिन्न नियमित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व उन्मुखीकरण/सेमीनार/कार्यशालाएँ आयोजित करता है।

- (i) **EMPower Project (ब्रिटिश काउंसिल) का समन्वयन**
ब्रिटिश काउंसिल द्वारा प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के उज्जैन संभाग के सभी जिलों एवं सीहोर जिले के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अब तक लगभग 210 मास्टर ट्रेनर्स एवं 8000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- (ii) **प्राथमिक शिक्षकों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण**
राज्य शासन ने प्रदेश के बच्चों की आवश्यकता व बच्चों के पालकों की मांग को देखते हुए कक्षा 01 से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन सन् 2000 से प्रारंभ किया। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य इस संस्थान को दिया गया।
- (iii) **आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम**
आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संस्थान द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षण अमरकंटक, तामिया, कुर्ही, झाबुआ, बैतूल इत्यादि स्थानों पर आयोजित किये थे। विगत वर्षों में आदिवासी विकास विभाग के स्रोत शिक्षकों को भी इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।
- (iv) **सेमीनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएँ**
इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित सेमीनार, उन्मुखीकरण, संगोष्ठी व कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं:-
 - (v) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करना।
 - (vi) प्रश्न-पत्र निर्माण हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना।
 - (vii) पाठ्यपुस्तक लेखन, पुनरीक्षण व मूल्यांकन हेतु कार्यशालाएँ आयोजित करना।
 - (viii) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण करना व प्रशिक्षण आयोजित करना।
 - (ix) प्रदेश के विद्यालयों के व्याख्याताओं/शिक्षकों के लिये उपयोगी विषयों जैसे कि Classroom Interaction/ Language Game आदि पर कार्यशालाएँ आयोजित करना।
 - (x) शिक्षक प्रशिक्षकों/शिक्षकों के लिए Teleconferencing आयोजित करना।
 - (xi) हेड स्टार्ट केन्द्रों के लिये अंग्रेजी भाषा की सी.डी. का निर्माण करना।
 - (xii) प्राथमिक शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा की ऑडियो सी.डी. का निर्माण करना।

3.1.2.7 बाईलिंगुअल (Bilingual Books) पुस्तकें

कक्षा 1 एवं 2 हेतु बाईलिंगुअल पुस्तकों का निर्माण किया गया, इसमें बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ावा देने के लिए चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में सरल वाक्य दिये गये हैं एवं अंग्रेजी वाक्यों के नीचे उनका हिन्दी में उच्चारण एवं अनुवाद भी दिया गया है। प्रदेश की प्राथमिक शालाओं के बच्चों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि जागृत करने व सहायक पठन सामग्री के रूप में वर्ष 2015-16 में रीड फॉर फन अंतर्गत लेवल 1 व 2 की 08 रंगीन बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण किया गया -

- | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1. माय कैट | 2. नम्बर राइम | 3. इट्स माय डे | 4. नटी द स्क्वरिल |
| 5. एट द फेयर | 6. रैटीज होल | 7. इन अ टॉय शॉप | 8. बबलूज स्वीट्स |

उपरोक्त पुस्तकों के 03 सेट्स प्रति शाला व एक-एक सेट डाइट, जिला शिक्षा केन्द्र व बी.आर.सी. सी. को भी उपलब्ध कराये गए। वर्ष 2017-18 में 05 बायलिंगुअल बुक्स का निर्माण लेवल 3 व 4 हेतु किया गया व प्रति शाला 05 पुस्तकों के 2-2 सेट्स उपलब्ध कराए गए-

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|
| 1. बिग और स्मॉल | 2. मॉय बेबी | 3. माय मंगो ट्री | 4. माय फैमिली |
| 5. आवर फेस्टिवल्स | | | |

इन पुस्तकों का निर्माण प्राथमिक शाला के बच्चों की रुचि के अनुसार किया गया है। पुस्तकों में आकर्षक रंगीन चित्र हैं व पाठ्यवस्तु बच्चों के परिवेश से ही ली गयी है। पुस्तकों में अंग्रेजी के छोटे-छोटे शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों का प्रयोग किया गया है। बच्चे स्वयं पढ़ सकें इसलिए देवनागरी में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी दिया गया है।

3.1.2.8 परस्पर रेडियो संवाद Interactive Radio Instructions (आई.आर.आई.)

Interactive Radio Instruction आई.आर.आई. का अर्थ है परस्पर रेडियो संवाद। सामान्यतः जब हम रेडियो सुनते हैं तो वह केवल एक तरफा संवाद होता है। हमें वह सब चुपचाप सुनते रहना होता है, जो रेडियो से प्रसारित होता है। जब इसमें Interaction जुड़ जाता है तब आप चुपचाप बैठे एक श्रोता नहीं रह जाते। आपको रेडियो में बताये जा रहे बातों को सुनने के साथ-साथ कुछ ना कुछ गतिविधि भी करनी पड़ती है। मध्यप्रदेश में यह कार्यक्रम सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के शिक्षण सहयोग हेतु "इंग्लिश इज फन" कार्यक्रम के नाम से शैक्षणिक सत्र 2005-06 में, कुछ चुने हुये क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम का विस्तार करते हुये वर्ष 2009-10 से 4 रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का प्रसारण विवरण निम्नानुसार है-

(i) इंग्लिश इज फन लेवल-1

कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 12 से 12:30 बजे के दौरान प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

(ii) इंग्लिश इज फन लेवल-2

कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा सिखाने का कार्यक्रम।

यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 12.30 से 1:00 बजे के दौरान प्रत्येक सोमवार से बुधवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

(iii) झिलमिल

कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों की कठिन अवधारणाओं पर आधारित कार्यक्रम।

यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 12.30 से 1:00 बजे के दौरान प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

(iv) मीना की दुनिया

मीना की दुनिया रेडियो कार्यक्रम मध्यप्रदेश के शैक्षिक जगत में स्कूल शिक्षा विभाग का यूनीसेफ संस्था के सहयोग से एक नवाचारी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए लागू किया जा रहा है। 15 मिनट के इस रेडियो प्रसारण की मुख्य पात्र "मीना" अपने हम उम्र बच्चों की एक सच्ची दोस्त के रूप में गढ़ा गया किरदार है। कार्यक्रम में "मीना" एक जागरुक लड़की है, जो समाज में बच्चों का नेतृत्व करती है। बाल अधिकारों के प्रति समाज को जागृत करती है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में दोपहर 2.45 से 3:00 बजे के दौरान प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार आकाशवाणी के सभी 14 केन्द्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.2.1 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना प्रदेश में 2009 से आरंभ किया गया है। भारत शासन द्वारा 2013-14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास, आई.सी.टी./स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेकण्डरी स्तर पर समावेशित शिक्षा (IEDSS) को एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत समन्वित समस्त योजनाओं यथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बालिका छात्रावास, आई.सी.टी.एट स्कूल, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.), व्यवसायिक शिक्षा के लिए वर्ष 2015-16 से इन सभी योजनाओं के लिए भारत शासन द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुपात 60:40 कर दिया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान

भारत शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 12 के लिए समग्र शिक्षा अभियान का संचालन किया जाना है। अतः वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति तथा सर्व शिक्षा अभियान समिति को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान समिति गठित की जा रही है।

उद्देश्य

- सभी बच्चों की पहुँच (affordable distance) पहुँच योग्य दूरी में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना
- सभी माध्यमिक शालाओं में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भौतिक सुविधाएं, स्टाफ उपलब्ध कराना
- कोई भी बच्चा माध्यमिक शिक्षा से सामाजिक, आर्थिक, जेंडर, विशेष आवश्यकता होने के कारण अर्थात् भेदभाव के कारण वंचित न हो।
- सभी बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करें।

प्रगति-सूचकांक

सूचकांक	2007.08	2017.18
सकल पहुँच दर - GAR	60%	85%
सकल नामांकन दर GER	41.1%	80.4%
शाला त्याग दर (सेकण्डरी स्तर)	27.7%	13.00%
कक्षा 8 से 9 में अंतरण दर	58.6%	85.6%
जेंडर पेरिटी इंडेक्स GPI	0.67	0.98

क्रियान्वयन ढाँचा

माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति का गठन किया गया है। समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी तथा कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। राज्य स्तर पर आयुक्त लोक शिक्षण राज्य परियोजना संचालक एवं पदेन सचिव म.प्र. माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक हैं। स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन के लिए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति गठित है।

समग्र शिक्षा अभियान

भारत शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 12 के लिए समग्र शिक्षा अभियान का संचालन किया जाना है। अतः वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति तथा सर्व शिक्षा अभियान समिति को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान समिति गठित की जा रही है।

अभियान की प्रगति

- शाला का उन्नयन—अभी तक भारत शासन द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार 1858 माध्यमिक शालाओं में से 1856 का हाईस्कूल में उन्नयन कर दिया गया है। सभी शालाएं आरंभ हो चुकी हैं।
- 525 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय आरम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 125 विद्यालयों में संकाय आरम्भ कर दिया गया है।
- भवन निर्माण — शाला भवनो के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को सौंपा गया है। पूर्व में स्वीकृत 944 में से 926 भवन निर्मित हो चुके हैं। 34 लाख के 979 भवनों में से 959 पूर्ण हो चुके हैं। नवउन्नत स्कूलों में से 912 स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसमें से 340 भवन निर्मित हो गए हैं तथा 153 भवन फिनिशिंग एवं शेष अन्य स्तर पर हैं।
- हाई स्कूलों के लिए 5868 अतिरिक्त कक्ष, 1844 विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, 2744 गतिविधि (आर्ट, क्राफ्ट, संस्कृति) कक्ष, 2448 पुस्तकालय कक्ष, 3303 शौचालय एवं 1282 पेयजल सुविधा की स्वीकृति दी गई है। इन शालाओं में निर्माण का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। अभी तक इन कार्यों में से 16104 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष निर्माणाधीन है।
- गत वर्ष तक सभी शालाओं को रु. 50,000/- प्रति स्कूल के मान से वार्षिक स्कूल ग्रांट प्रतिवर्ष जारी की गई है। इस वर्ष से नामांकन के आधार पर शालाओं को राशि जारी करने का प्रावधान किया गया है।
- 9665 अतिरिक्त शिक्षकों के पद की स्वीकृति जारी कर पदपूर्ति की गई है।
- सभी जिलों में प्रतिवर्ष विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है।
- 18000 शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण संपन्न किया गया है।
- लगभग 90000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- विज्ञान मेलों का आयोजन— प्रदेश में सभी विकासखंडों में जादू नहीं विज्ञान के नाम से विज्ञान मेलों का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यार्थियों को विज्ञान के ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया जिन्हें प्रदर्शित कर ढोंगी व्यक्ति जन सामान्य में अंधविश्वास पैदा करते हैं।
- विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) — भ्रमण यात्रा विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत होता है। इससे छात्रों में अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है तथा विद्यार्थियों में कुशलता आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुण विकसित करने में

सहायता मिलती है। दिसंबर माह से लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराई जा रही है।

- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** — राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित किये जा रहे हैं। लगभग 80000 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।
- **जीवन कौशल शिक्षा** — किशोरावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक, मानसिक बदलावों के साथ परिपक्वता आती है। किशोरावस्था के इस दौर में शारीरिक, मानसिक बदलाव होते हैं। किशोर आयु के बच्चे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपनी पहचान के प्रति अत्यधिक सचेत होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा (उमंग) आरंभ किया गया है। मॉड्यूल में स्वजागरूकता, संप्रेषण, हमारे संबंध समूह भावना, किशोरावस्था से परिचय, स्वास्थ्य, पोषण जेंडर, हिंसा एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों को लिया गया है। प्रथम चरण में मॉड्यूल को पायलट तौर पर सभी जिलों के जिला मुख्यालय के विकासखंड के लगभग 1863 स्कूलों में नवंबर 2017 से आरंभ किया गया है।
- **अभिरूचि परीक्षण (इंट्रेस्ट टेस्ट)** — शासकीय शालाओं में कक्षा 10वीं में दर्ज समस्त बच्चों के लिए इंट्रेस्ट टेस्ट की व्यवस्था प्रत्येक स्कूल स्तर पर की गई है ताकि बच्चों की प्रतिभा, क्षमता का आकलन कर उन्हें दिशा दी जा सके।
- **एण्टीट्यूड टेस्ट एवं करियर काउंसलिंग** — कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एण्टीट्यूड टेस्ट एवं करियर काउंसलिंग की कार्यवाही अप्रैल से जून 2018 के मध्य की गई है ताकि बच्चों का अपने करियर के लिए विकल्पों के प्रति विजन तैयार हो सके एवं वे बेहतर विकल्पों का चयन कर सकें। समस्त स्कूलों से एक एक शिक्षक को काउंसलर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2018-19 में दिसंबर माह तक लगभग 4 लाख विद्यार्थियों का इंट्रेस्ट एवं एण्टीट्यूड टेस्ट करवाया गया है।

बालिका छात्रावास

प्रदेश में 201 विकासखंड शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इन सभी विकासखंडों में 100 सीटर बालिका छात्रावास कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए संचालित है। छात्रावास के लिए 50 प्रतिशत सीटें अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। बालिकाओं के चयन हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, आश्रम शालाओं से कक्षा 8 पास करके आने वाली बालिकाओं, अस्थिर बाधित बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं जिनके ग्राम में स्कूल की दूरी अधिक है, मॉडल स्कूल में प्रवेशित बालिकाएं को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान में 20100 के लक्ष्य के विरुद्ध 20905 बालिकाएं दर्ज हैं।

छात्रावास निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को सौंपा गया है, इसमें से 186 छात्रावास पूर्ण हो चुके हैं।

आई.सी.टी./स्कूल

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में वर्ष 2005-06 में 230 विद्यालयों का चयन किया गया था, जिन्हें कम्प्यूटर लेब हेतु 10-10 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं, 2151 स्कूलों में योजना के क्रियान्वयन कार्यवाही प्रचलित है। शिक्षकों का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया है। अभी तक 5000 शिक्षक प्रशिक्षित चुके हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्तों का प्रदाय :-

कक्षा 9 से 12 तक के दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में नामांकित कर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। आई.ई.डी.एस.एस.योजना के अंतर्गत शासकीय शालाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्ते प्रदान किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए पुस्तक, एस्कॉर्ट अलाउंस, स्टेशनरी, गणवेश, परिवहन, रीडर अलाउंस, उपकरण इत्यादि मदों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष रु. 3000 के मान पर राशि निर्धारित है। वर्ष 2014-15 में 12,073, वर्ष 2015-16 में 12,211, वर्ष 2016-17 में 12,380, वर्ष 2017-18 में 13,073 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के प्रयोजन से सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 2 IT/ ITes एवं सिक्यूरिटी आरंभ किए गए थे। वर्ष 2016-17 से नवीन 263 विकासखंड स्तरीय विद्यालयों में इसे विस्तारित किया गया है तथा इन विद्यालयों में 8 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल्स टेक्नालॉजी, हेल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स, रीटेल, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 से नवीन 313 विद्यालयों में 5 ट्रेड यथा ब्यूटी एण्ड वेलनेस, हेल्थ केयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस., फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म आरंभ किए गए हैं। वर्तमान में लगभग 99,039 विद्यार्थी दर्ज हैं।

3.2.2 सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत शासन का व्यापक एवं समेकित प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा को लोकव्यापीकरण मिशन के रूप में लागू किया जा सके। इसका उद्देश्य शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों को लक्षित करते हुए 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी व सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के लोक व्यापीकरण का एक प्रयास है जिससे शाला तंत्र को समुदाय के स्वामित्व में देना है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :

- सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाना।
 - सभी बच्चों का उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव सुनिश्चित करना।
 - नामांकन, ठहराव एवं अधिगम के संबंध में लिंग एवं सामाजिक स्तर के अंतर (Difference) को पाटना।
 - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अधिगम उपलब्धि स्तर में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना।
- प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी वर्ष 2018-19 में 60 : 40 है। प्रदेश में अभियान का क्रियान्वयन म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन द्वारा किया जा रहा है। भारत शासन के निर्देशानुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का क्रियान्वयन एक पंजीकृत संस्था म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन द्वारा किया जाता है, मिशन के नीति निर्देशक मापदण्ड साधारण सभा और कार्यकारिणी के स्तर पर तय होते हैं।

मिशन की साधारण सभा के सभापति माननीय मुख्यमंत्री तथा उपसभापति माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के प्रभारी माननीय मंत्री होते हैं। मिशन की साधारण सभा में राज्य शासन द्वारा 30 अशासकीय सदस्य एवं केन्द्र शासन द्वारा 8 अशासकीय सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।

मिशन द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए मिशन के कार्यों का संचालन कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा उपाध्यक्ष स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं। मिशन की कार्यकारिणी समिति में राज्य शासन द्वारा 5 अशासकीय सदस्य एवं केन्द्र शासन द्वारा 3 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।

मिशन का प्रबन्धन विकेन्द्रीकृत और सहभागिता के सिद्धान्तों पर आधारित है। मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुवीक्षण हेतु राज्य, जिला, विकासखण्ड, ग्राम एवं शाला स्तर पर समितियां गठित हैं। इन समितियों में शासकीय, अशासकीय/जनप्रतिनिधियों का समावेश है।

3.2.2.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं तथा शासन से अनुदान प्राप्त सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान है। शाला प्रबन्धन समितियां, अपनी शाला की शाला विकास योजना तैयार करने एवं स्थानीय स्तर पर शाला प्रबन्धन के कार्य दायित्वों का निर्वहन करती हैं। उक्त प्रावधान के तहत प्रदेश की समस्त उल्लेखित शालाओं में शाला प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों का कार्यकाल दो वर्षीय समयावधि का होता है। वर्ष 2017-19 हेतु समितियों का गठन वर्ष 2017 में किया गया है। कार्य संचालन एवं क्षमता संवर्धन हेतु संपूर्ण प्रदेश की शाला प्रबन्धन समितियों के चयनित सदस्यों का प्रशिक्षण भी विभागीय पद्धति से किया जा रहा है। शाला प्रबन्धन समितियों में, कक्षावार मेधावी विद्यार्थियों के पालक/अभिभावक, श्रेणीवार वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के विधिमान्य रूप से चयनित पालक/अभिभावकों, स्थानीय पंच/पार्षद एवं स्थानीय निकाय के प्रमुख (सरपंच/अध्यक्ष/महापौर) के द्वारा नामित अन्य किसी वार्ड की महिला पंच/पार्षद तथा शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षिका एवं प्रधान पाठक सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन, पालक/अभिभावक सदस्यों में से किये जाने का प्रावधान है। समिति में 50 प्रतिशत न्यूनतम स्थान महिलाओं हेतु नियत है।



निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011" बनाए गए हैं। यह नियम 26 मार्च 2011 को अधिसूचित किये गये हैं। नियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :

निजी स्कूलों को मान्यता— प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत यह व्यवस्था है कि सभी निजी स्कूलों को सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पदाविहित अधिकारी बनाया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत स्कूल संचालन के लिए शिक्षक और अधोसंरचना का न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किया गया है। अधिनियम अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रदेश में निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से मान्यता आवेदनों के निराकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयी है। प्रदेश में सत्र 2018-19 की स्थिति में 25239 स्कूलों द्वारा मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें से जिलों द्वारा 24068 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा सुविधा का विस्तार — बसाहट के नजदीक स्कूल की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी बसाहट में 40 बच्चे उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्कूल और 12 बच्चे उपलब्ध होने पर माध्यमिक स्कूल की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। आवश्यक होने पर बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की व्यवस्था का प्रावधान नियम में किया गया है।

स्कूल खोलने के उपरोक्त मापदण्ड के आधार पर प्रदेश की बसाहटों में शाला सुविधा की अधिसूचना जारी की गई है।

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश — अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 में और यदि स्कूल में प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा में

पड़ोस स्थित वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। इन बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

अधिनियम के इस प्रावधान के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2017-18 तक लगभग 9.60 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में दिया गया है। अधिनियम के इस प्रावधान के तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2018-19 में लगभग 1.61 लाख बच्चों को निःशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में दिया गया है। गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाने के लिए मध्यप्रदेश में सत्र 2016-17 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है। प्रक्रिया में आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज कराकर केन्द्रीयकृत पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन के माध्यम से छात्रों को स्कूलों में सीटों का आवंटन किया गया। आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की गई एवं सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई।

सत्र 2016-17 में अध्ययनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी करने के उद्देश्य से वर्तमान में आर.टी.ई. के तहत प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत् समस्त बच्चों का आधार तथा बायोमेट्रिक मशीन से आधार सत्यापन कराया जाकर उनकी फीस प्रतिपूर्ति प्रारंभ की गई है। फीस की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की ऑनलाईन व्यवस्था की है। इसके तहत पोर्टल के माध्यम से दावे प्रस्तुत होंगे और जिला परियोजना समन्वयक द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति सीधे स्कूल के बैंक खाते में की जाएगी।

शिकायतों का निराकरण - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकार से जुड़ी शिकायतों के निराकरण की जवाबदारी स्थानीय निकायों को दी गई है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन स्थानीय निकाय किस तरीके से करें इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला पंचायतों को शिकायत निवारण का दायित्व सौंपा गया है। नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक नगरीय संस्था को यह दायित्व सौंपा गया है।

अधिसूचनाएँ - अधिनियम के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं :-

1. वंचित समूह - अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत वंचित समूह को परिभाषित करने की अधिसूचना नवंबर 2010 में जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत निम्न समूहों को वंचित समूह में शामिल किया गया है। दिनांक 03 जून 2017 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें निम्न समूह शामिल हैं:-

- (i) अनुसूचित जाति
- (ii) अनुसूचित जन जाति
- (iii) विमुक्त जाति
- (iv) वन भूमि के पट्टाधारी परिवार/वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार पत्रधारी परिवार
- (v) विकलांग बच्चे
- (vi) एच.आई.व्ही. से ग्रस्त अथवा प्रभावित बच्चे (सत्र 2018-19 से प्रभावशील)

- 2 कमजोर वर्ग – अधिनियम की धारा 2 (ड) के अन्तर्गत कमजोर वर्ग को परिभाषित करने की अधिसूचना नवंबर 2010 को जारी की जा चुकी है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को शामिल किया गया है। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है।
 - 3 अकादमिक प्राधिकार – अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक प्राधिकरण घोषित करने संबंधी अधिसूचना जुलाई 2010 में जारी की जा चुकी है।
 - 4 राज्य सलाहकार परिषद – अधिनियम की धारा 34 के अनुसार राज्य शासन द्वारा राज्य सलाहकार परिषद के गठन की कार्यवाही फरवरी 2012 में की जा चुकी है। परिषद के द्वितीय कार्यकाल के गठन की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 17.03.2015 को जारी की गई है।
 - 5 उपस्थिति प्राधिकारी – अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जिलों में कार्यरत जनशिक्षकों को उनके क्षेत्र की शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति के लिए उपस्थिति प्राधिकारी (Attendance Authority) नामांकित किया गया है।
 - 6 वर्ष 2017-18 में शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 तथा नियम 18 में संशोधन किया गया।
1. नियम 12 में, उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा गया, अर्थात् :-
 “(8) (एक) समिति के पालकों या अभिभावकों में से निर्वाचित सदस्य/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को अशोभनीय व्यवहार, नैतिक पतन, कर्तव्य निष्पादन न करने, किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की शिकायत पर जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब डिविजन अधिकारी द्वारा पद से हटा दिया जायेगा: परन्तु उस सदस्य को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।
 (दो) समिति के अध्यक्ष को, जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब-डिविजन अधिकारी द्वारा समिति की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने की शिकायत पर पद से हटा दिया जाएगा: परन्तु अध्यक्ष को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा।
 (तीन) सब-डिविजन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 4 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील दाखिल कर सकेगा। कलेक्टर, यदि वह विलंब के कारणों से संतुष्ट है, अपील के आवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए माफी दे सकेगा। कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।”
 2. नियम 18 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया गया अर्थात् :-
 “(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी :-
 (क) नियमित आधार पर, बालक की समग्र गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा बनाएगा तथा उसका क्रियान्वयन करेगा ;

(ख) समस्त प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करेगा; तथा

(ग) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

अधिनियम के तहत पूर्व में जो मुख्य निर्देश जारी किये गये हैं वह निम्नानुसार है

1. धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी है। अतः शासकीय शालाओं में किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जायेगी जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।
2. धारा 4 के अनुसार चिन्हित शाला से बाहर बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जायेगा तथा तदुपरांत उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था आवासीय ब्रिज कोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से की जायेगी अर्थात् कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं रहेगा।
3. धारा 5 के अनुसार बच्चों द्वारा शाला छोड़ने पर उसे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तुरन्त प्रदान करने का दायित्व शाला के प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसी शाला जो प्राथमिक स्तर तक की हैं उनमें कक्षा 5वीं पास करने वाले बच्चों को अंक सूची के साथ ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में छात्र द्वारा आवेदन करने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 7 दिवस की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। धारा 5 (2) के अनुसार समय सीमा में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान न करने की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. धारा 14 (2) के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
5. धारा 15 के अनुसार किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में या विहित विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।
6. धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा न ही शाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।
7. धारा 17 के अनुसार स्कूल में नांमाकित किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।
8. धारा 24 के अनुसार शाला के शिक्षकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अकादमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:-
 - (i) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन।
 - (ii) समयसीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।
 - (iii) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना।
 - (iv) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना, और उसके अनुरूप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पठन पाठन कराना।

- (v) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमिता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।
- (vi) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो चिन्हित किए जाए।

9. धारा 27 के अनुसार शिक्षकों का जन गणना, चुनाव तथा आपदा राहत को छोड़कर अन्य गैर शिक्षकीय कार्य में नियोजन निषिद्ध है।
10. धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्रायवेट ट्यूशन अथवा प्रायवेट रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकेगा।
11. धारा 29 (2) के अनुसार शाला में बच्चों को गतिविधि आधारित प्रक्रियाओं एवं बाल केन्द्रित गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन कराया जाएगा।
12. धारा 30 (2) के अनुसार प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक लर्निंग रेकार्ड रखना अनिवार्य होगा।
13. अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के घंटे भी निर्धारित हैं:-

न्यूनतम कार्य दिवस/शिक्षण के घंटे

- (i) न्यूनतम कार्य दिवस ——— प्राथमिक स्तर -200 दिवस
- (ii) न्यूनतम कार्य दिवस ——— माध्यमिक स्तर-220 दिवस
- (iii) प्राथमिक स्तर ——— 800 शैक्षणिक घंटे
- (iv) माध्यमिक स्तर ——— 1000 शैक्षणिक घंटे
- (v) शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे—45 घंटे (पठन पाठन तैयारी के घंटे सहित)

● शाला सुविधा उपलब्धता -

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किमी की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जानी है।
- निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पड़ोस की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अधिसूचना जारी।

3.2.2.2 स्कूल चलें हम अभियान 2018-19

स्कूल में नामांकन कराने, सतत् रूप से स्कूल आने के लिये प्रेरित करने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "स्कूल चलें हम अभियान" को जन आन्दोलन के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।

इस वर्ष यह अभियान तीन चरणों में संचालित किया गया, प्रथम चरण— अकादमिक सत्र 2017-18 के वार्षिक मूल्यांकन परिणाम की घोषणा, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों को आगामी कक्षा में प्रवेश एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों एवं शाला से बाहर बच्चों का घर-घर जाकर सर्वे, द्वितीय चरण— कक्षा 1 (नवप्रवेशी) एवं कक्षा 10 वीं से 11 वीं तथा 11वीं से 12वीं में प्रवेश होने वाले बच्चों हेतु एवं शाला से बाहर तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित किया जाना एवं तृतीय चरण— शाला में ठहराव (प्रथम एवं द्वितीय चरण में किए गए नामांकन अनुसार) एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित रहेगा।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा व्यवस्था हेतु सुदूर के गाँव आदि ऐसे क्षेत्रों के लिये विशेष रणनीति बनाई जाकर शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बालिकाओं को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/ बालिका छात्रावास में प्रवेश की सुविधा करायी जाकर शाला में निरन्तरता सुनिश्चित की गयी है।

सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित बालक छात्रावासों में अनाथ, बेघर, भीख मांगने वाले, रेल्वे प्लेटफार्म, बस स्टेण्ड पर पाये जाने वाले एवं महिला सशक्तिकरण विभाग म.प्र. द्वारा चिन्हित अप्रवेशी 06 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया गया है।

शिक्षा सत्र 2018-19 हेतु 02 अप्रैल 2018 को प्रवेशोत्सव में बच्चों को प्रवेश दिलाने की कार्यवाही करते हुये ज्वायफुल लर्निंग के द्वारा उनकी मूलभूत दक्षता के उन्नयन हेतु कार्यवाही की गई। 15 जून 2018 के पश्चात निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं सायकल वितरण हेतु कार्यवाही की गयी।

इस वर्ष "स्कूल चलें हम अभियान" के अंतर्गत शाला प्रबंध समिति एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के अलावा, मिल बाँचे म.प्र. कार्यक्रम में लगभग कुल 2,46,896 वॉलेंटियर द्वारा पंजीयन कराया गया एवं 2,32,591 वॉलेंटियर ने कार्यक्रम में सहभागिता की गई।



3.2.2.3 नवीन आवासीय छात्रावास

शाला से बाहर रहे बेघर एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में मेनस्ट्रीम करने हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिसके तहत म.प्र. में वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों (देवास-1, उज्जैन-1, सागर-1, कटनी-1, होशंगाबाद-1, खण्डवा-1, इन्दौर-2, भोपाल-2, बुरहानपुर-1, ग्वालियर-1, जबलपुर-2) में 14 बालक छात्रावास संचालित हैं। प्रत्येक छात्रावास में 100 सीटें स्वीकृत हैं। इन छात्रावासों में शाला त्यागी एवं अप्रवेशी, निराश्रित, पन्नी बीनने वाले, अनाथ, बेघर, प्लेट फार्म तथा गलियों में घूमने वाले उपेक्षित बच्चे, जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है, ऐसे प्रवेशित बच्चों को भोजन, आवासीय सुविधा तथा शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में भी भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक 100 सीटर नवीन आवासीय छात्रावास स्वीकृत किया गया है। 51 नवीन आवासीय छात्रावास के साथ पूर्व से संचालित 15 बालक आवासीय छात्रावास यथावत संचालित रहेंगे। इस तरह वर्ष 2018-19 में 66 आवासीय छात्रावास संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2018-19 में प्रति 100 सीटर छात्रावास हेतु रुपये 36.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें लगभग 6000 बच्चों लाभान्वित हो रहे हैं।



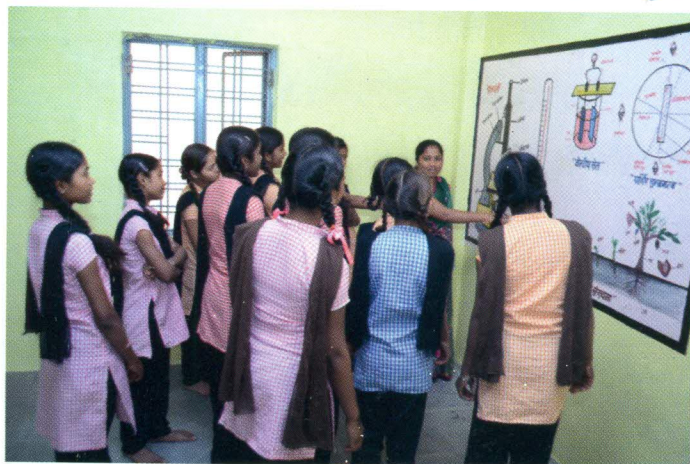
3.2.2.4 आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एस.टी.)

शाला से बाहर रहे ऐसे बसाहटों के बच्चे जहां पड़ोस की परिधि में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला नहीं है। इनके लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इन आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में बच्चों को रखकर उनकी आयु अनुरूप दक्षता कराई जाती है।

शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए गए हैं। आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में बच्चों को आवासीय, भोजन तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2018-19 में 12500 बच्चों के लिए 33 जिलों में 250 नवीन आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालन की प्रति बालक रुपये 20000/- के मान से स्वीकृति प्रदान की गई है।

3.2.2.5 पलायन छात्रावास — पलायन मौसमी होता है तथा प्रायः खेती के समय से जुड़ा रहता है। इस पलायन की अवधि तीन एवं छः माह तक रहेगी ये परिवार पलायन के समय अपने साथ शाला जाने योग्य

बच्चों को भी ले जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई अवरुद्ध होती है। कक्षा में वापस आने के बाद उनकी दक्षताएं अपने साथी से कम हो जाती हैं, जिससे वे अपने साथियों की गति से नहीं सीख पाते हैं, इससे उनमें हीनभावना आने लगती है और उनका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। धीरे-धीरे वे इसके कारण पुनः ड्राप आउट हो जाते हैं। अतः प्रवासी परिवारों के बच्चों की शिक्षा की निरंतरता में कोई बाधा न आये, इस हेतु वर्ष 2018-19 में 15 जिलों में 6329 बच्चों के लिए 126 पलायन छात्रावास संचालित किये जाने की व्यवस्था है। पलायन के समय बालकों के माता-पिता पढ़ने योग्य बच्चों को पलायन छात्रावास में प्रवेश करवा देते हैं ताकि पढ़ने योग्य बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो तथा बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। इन छात्रावासों में अधिकतम तीन के लिए आवासीय एवं भोजन व्यवस्था प्रदाय की जाती है। पलायन हॉस्टल के लिए प्रति बच्चा रुपये 5000/- के मान से तीन माह के लिए स्वीकृति प्रदाय की गई है।



3.2.2.6 अल्पसंख्यक छात्रावास- अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए 02 अल्पसंख्यक छात्रावास भोपाल एवं बुरहानपुर में संचालित हैं।

3.2.2.7 बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय - प्रारंभिक शिक्षा सुविधा से वंचित रहने वाली बालिकाओं के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बालिका छात्रावास योजना आरंभ की गई है। वर्तमान में 324 छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 23100 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।



बालिका छात्रावास की गतिविधियां के अंतर्गत बालिकाओं को वृतिका, आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, लायब्रेरी एवं उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान है। वर्ष 2018-19 में विभिन्न जिलों के छात्रावासों की बालिकाएं द्वारा राज्य स्तर की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है।

वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना में बालिका छात्रावास की बालिकाओं हेतु आत्म सुरक्षा गतिविधि संचालित करने के लिए प्रति बालिका रु.200/- के मान से राशि स्वीकृत हुई है। आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण समस्त बालिका छात्रावासों में भी संचालित किया जा रहा है। छात्रावासों में समस्त बालिकाओं को हाईजीन किट प्रदाय किये गये हैं।



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत शासन की योजना है जिसके अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे विकासखंड (जहां महिला साक्षरता दर ग्रामीण महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से कम तथा महिला व पुरुष साक्षरता दर में राष्ट्रीय औसत से अधिक हो) वहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आरंभ किये गये हैं।

बालिकाओं की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्वीकृति भारत शासन द्वारा प्रदान की गई है। योजना का उद्देश्य 75 प्रतिशत बालिकाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक समुदाय की व 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली, अनाथ, बेसहारा एवं एकल परिवार की बालिकाओं को 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में संचालित 207 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में लगभग 28800 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। सत्र 2018-19 में 08 आकांक्षी जिलों में संचालित 21 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक प्रति विद्यालय 25 सीट की स्वीकृति के साथ कुल 525 अतिरिक्त छात्रों के प्रवेश हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

मण, स्पोर्ट्स
म जिलों के
है।

आत्म सुरक्षा
है। आत्मरक्षा
लिकाओं को

शिक्षिक दृष्टि से
औसत से कम
लिका विद्यालय

गांधी बालिका
श्र 75 प्रतिशत
गत अल्पसंख्यक
बालिकाओं को
चालित 207 के.
कांक्षी जिलों में
की स्वीकृति के

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यूनिसेफ के सहयोग से स्पोर्ट फार डेवलपमेन्ट (S4D) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बालिकाओं की शालाओं में दर्ज होने, कक्षा में उपस्थित रहने, बढ़-चढ़कर सीखने और अकादमिक उपलब्धियों के सुधार को बढ़ावा देगा। स्पोर्ट्स फार डेवलपमेन्ट कार्यक्रम को सभी 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संचालित किया गया है। छात्रावास की सहायक वार्डन को यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है एवं समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवायी गई है।

लायब्रेरी – समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की गई है। जिनमें बाल साहित्य उपलब्ध करवाया गया है।



रेमेडियल कक्षाएं – कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में बालिकाओं के उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान है। इस हेतु समस्त छात्रावासों में विषयवार (गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान भाषा अंग्रेजी) अंशकालीन शिक्षिकाओं का प्रावधान है। अंशकालीन शिक्षिकाओं को पढ़ाने हेतु डाईट के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अंशकालिक स्वयं सेविकाओं को छात्रावासों में बालिकाओं को प्रतिदिन 3-4 घण्टे अध्यापन कार्य करना होता है। यह बालिकाओं के शाला लगने के समय पर निर्भर करता है कि 2 घण्टे प्रातः एवं 2 घण्टे सायः के समय हो सकता है। किसी भी स्थिति में एक ही विषय एक से अधिक शिक्षिका नहीं रखी जावेगी। शिक्षिकाओं को रखने का अधिकार छात्रावास प्रबंधन समिति का है।

कैरियर काउंसलिंग-कैरियर निर्माण हेतु बालिकाओं को आवश्यकता आधारित कैरियर काउंसलिंग प्रदान की जाती है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं जैसे महिला डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि से

मेंट करवाई जाती है। इससे बालिकाएं विभिन्न व्यवसायों से एवं उनमें प्रवेश की प्रक्रियाओं से परिचित हो सकेंगी।

वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्ययोजना में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास की बालिकाओं हेतु आत्म सुरक्षा गतिविधि संचालित करने के लिए प्रति बालिका 200 रु. के मान से राशि स्वीकृत हुई है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल बालिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, वरन् विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की भी रक्षा करता है। अतः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। जुडो कराटे स्पर्धा में बालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है। जूडो एवं कराटे में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिका ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है। छात्रावास की बालिकाओं द्वारा फुटबॉल एवं त्वाईकॉडो में संभागीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया।



से परिचित हो

का छात्रावास
मान से राशि
वरन् विपरीत
बालिकाओं को
तराष्ट्रीय स्तर
की बालिका
त्वाईकॉडो में



3.2.2.8 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की समावेशित शिक्षा का क्रियान्वयन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत सर्वे में वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के 93,138 सी.डब्लू.एस.एन. बच्चों का चिन्हांकन करने के उपरांत सामान्य शालाओं में नामांकन किया गया है तथा चिन्हांकित बच्चों की समग्र पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है। समावेशित शिक्षा अंतर्गत उपरोक्त दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सहयोग देने, इनके शिक्षकों एवं पालकों को दिव्यांगताके विषय में सहयोग करने के लिए 386 मोबाईल स्ट्रोत सलाहकार (विशेष शिक्षक) विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ हैं। जिला स्तर पर समावेशित शिक्षा के क्रियान्वयन तथा मानीटरिंग के लिए 28 जिलों में प्रशिक्षित सहायक परियोजना समन्वयक (आई.ई.डी.) भी पदस्थ है।

समावेशित शिक्षा अंतर्गत दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा आंशिक रूप से मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में 50 सीटर एक सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावास एवं 09 संभागीय जिलों में 50 सीटर एक बालिका सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावास संचालित है। छात्रावास का संचालन विभागीय/स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 60 सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावास संचालित हैं। इसमें कुल लक्ष्य 3000 बच्चों के विरुद्ध 2974 सी.डब्लू.एस.एन. बच्चे दर्ज होकर छात्रावास की सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

आई.ई.डी. योजना अंतर्गत संचालित 50 सीटर सी.डब्लू.एस.एन. छात्रावासों के संचालन हेतु राशि रु. 18 लाख प्रति छात्रावास समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना मद से प्रति छात्रावास रु.3 लाख 80 हजार अन्य मदों जैसे बच्चों के लिए वृत्तिका, स्टेशनरी, विभिन्न थेरेपिस्ट, जीवन कौशल आदि के प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दर्ज 1499 दृष्टिबाधित बच्चों को शासकीय ब्रेल प्रेस भोपाल के माध्यम से ब्रेललिपि की पाठ्यपुस्तकें मुद्रित करवाकर उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रदेश के सभी 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट) में एक आई.ई.डी. संसाधन केन्द्र एवं आगर-मालवा जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले के दो विकासखण्डों में एक-एक आई.ई.डी. संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन संसाधन केन्द्रों का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन, सी.डब्लू.एस.एन. बच्चों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं सामान्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, पालकों के प्रशिक्षण आदि में किया जा रहा है।

आई.ई.डी. वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार 40,000 बच्चों के लिए परिवहन भत्ता राशि रु. 250/- प्रतिमाह 15,000 बच्चों को मार्गरक्षण भत्ता की राशि रु. 250/- प्रतिमाह तथा रु. 160/-प्रतिमाह के मान से कक्षा 6 से 8 तक के पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को 10 माह की अवधि के लिए भुगतान हितग्राही बच्चों के बैंक खातों के माध्यम से करवाया गया है। इसी प्रकार 12,200 सी.डब्लू.एस.एन. बालिकाओं को राशि रु. 200/-प्रतिमाह के मान से स्टाफंड 10 माह की अवधि के लिए भुगतान इनके बैंक खातों में जिलों से कराया गया है।

विश्व विकलांग दिवस 03 दिसम्बर 2018 का आयोजन प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक विकासखण्ड में किया गया है। इस अवसर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक एवं सामर्थ्य प्रदर्शन संबंधी आयोजन कराये जाकर बच्चों को पुरुस्कृत भी किया गया है।

भारत शासन के उपक्रम एलिमको जबलपुर के सहयोग से एडिप योजना अंतर्गत प्रदेश के 22 जिलों के 139 विकासखंडों में सी.डब्ल्यू.एस.एन. बच्चों के मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों से चिह्नांकित बच्चों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं।

3.2.2.9 शालाओं को अनुदान

शाला आकस्मिक अनुदान – शासकीय प्राथमिक शालाओं को रु. 5000/- एवं माध्यमिक शालाओं को रु. 7000/- शाला आकस्मिक निधि शाला शिक्षा कोष में उपलब्ध कराई गई।

शाला रखरखाव अनुदान – प्रति शाला रुपये 5000 (3 कक्ष तक) से रु.10,000 (3 से अधिक कक्ष) वार्षिक के मान से वितरित किये गये।

3.2.2.9.1 मदरसों का आधुनिकीकरण

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड में पंजीकृत 1897 मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाकर इसके शिक्षकों को प्रशिक्षण, प्रत्येक मदरसे को शाला आकस्मिक निधि के रूप में रु. 5000/- प्रति मदरसा राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इन मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक दर्ज बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है।

3.2.2.9.2 शासकीय संस्कृत शालाएं

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत कुल 174 शासकीय संस्कृत शालायें प्रदेश में संचालित हैं। इन शालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण, प्रत्येक शाला को आकस्मिक निधि के रूप में रु. 5000/- प्रति शाला राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इन शालाओं में नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

3.2.2.10 शिक्षक प्रशिक्षण

शिक्षक-प्रशिक्षण:- सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत कक्षा 1-8 तक के समस्त शिक्षकों को मूलभूत दक्षता हिन्दी एवं गणित में नीति आयोग की टीम 'साथ' एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के आपसी सहयोग से 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के 185131 सेवाकालीन शिक्षकों में से 13588 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इनके लिए साथ टीम द्वारा मॉड्यूल वर्कबुक निर्मित किये गये जिन जिलों में शिक्षकों तक पहुंचाया गया।

अंग्रेजी का प्रशिक्षण- ब्रिटिश काउंसिल एवं यूनिसेफ के सहयोग से उज्जैन संभाग के समस्त जिले भोपाल संभाग के सीहोर जिले के समस्त शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा में लगभग 12000 शिक्षकों को ब्रिटिश काउंसिल एवं यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया।

लीडरशिप पर प्रशिक्षण— न्यूपा नई दिल्ली की गाईडलाईन पर आधारित 3000 प्रधानाध्यापकों का 10 दिवसीय यूनिसेफ के सहयोग से लीडरशिप पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए मॉड्यूल भी निर्मित किये गये जिसे प्रत्येक हेडमास्टर को यूनिसेफ द्वारा मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये गये।

बीएसी-सीएसी प्रशिक्षण:— 6511 विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक को दक्षता उन्नयन में मास्टर फेसिलिटेटर के रूप में साथ ही अकादमिक मॉनिटरिंग पर प्रशिक्षित किया गया।

मोबाईल स्ट्रोत सलाहकार का प्रशिक्षण— विभिन्न प्रकार की विकलांगता में मल्टीकैटेगिरी पर 5 दिवसीय 382 एमआरजी में से 290 एमआरसी को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

डाईट एवं जिला शिक्षा केन्द्र की फेकल्टी का प्रशिक्षण— दक्षता उन्नयन कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए जिला शिक्षा केन्द्र एवं डाईट की लगभग 100 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर एवं अकादमिक मॉनिटरिंग के रूप में प्रशिक्षित किया गया। टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च मुम्बई 30, यूनीवर्सिटी आफ हैदराबाद साईंस-30, अजीमप्रेमजी फाउन्डेशन बेंगलुरु-30 एनसीईआरटी दिल्ली के सहयोग से रिसर्च विभाय पर-30, एपीसी आईईडी-35 सहायक वार्डन, 50 प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी के 30 हिन्दी एवं 30 गणित शिक्षकों को NCERT द्वारा प्रशिक्षित किया गया।

सहयोगी पार्टनर के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण:— राज्य शिक्षा केन्द्र के साथ विभिन्न स्वशासी संस्था अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से रूम टू रीड इण्डिया, एजूकेट गर्ल्स, लर्निंग लिंक फाउन्डेशन, न्यू एजूकेशन ग्रुप दिल्ली, प्रथम फाउन्डेशन मुम्बई, रामकृष्ण मिशन नई दिल्ली, एकलव्य, समावेश, एनएसई फाउन्डेशन, बोध शिक्षा समिति राजस्थान, हयूमना पीपुल टू पीपुल इण्डिया, एसआरएफ फाउन्डेशन, आर्क फाउन्डेशन, रोटरी इण्डिया, भारत लर्न, अजीम प्रेम जी फाउन्डेशन तथा खेल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आईआईटी कानपुर एवं आईआईटी मुम्बई द्वारा कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षकों को एजुकेशनल गेम्स निर्मित करके 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न भौक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षकों को अपने वित्तीय एवं अकादमिक सहयोग से राज्य शिक्षा केन्द्र के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया।

शालाप्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण— लगभग 19 लाख शाला प्रबंध समिति के सदस्यों को 1 दिवसीय यूनिसेफ के सहयोग से निर्मित प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं फिल्म के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। जिसमें उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व शिक्षा का अधिकार, दक्षता उन्नयन, समावेशित शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि पर प्रशिक्षित किया गया।

जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय प्रशिक्षित— समस्त सेवाकालीन कक्षा 1 एवं 2 कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों को प्रतिमाह 1 दिवसीय दक्षता उन्नयन फॉलोअप के रूप में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रतिमाह दिसम्बर से फरवरी तक किया गया।

जीवन कौशल प्रशिक्षण:— राज्य के ऐसे जिले जहाँ फीमेल लिटरेसी रेट तुलनात्मक रूप से कम है जैसे— भिण्ड, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, अलीराजपुर, झाबुआ, जिलों के माध्यमिक शाला के शिक्षकों को यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया।

3.2.2.11 प्रतिभा पर्व

प्रदेश में “प्रतिभा पर्व” के नाम से व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शालेय व्यवस्था व संचालन एवं अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का जायजा लिया जाता है। इसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जनशिक्षक, बीएसी, बीआरसी, बीईओ, संकुल प्राचार्य, एपीसी, डीपीसी, डाइट प्राचार्य व डाइट फेकल्टी, डीईओ, सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास), प्राचार्य शास. शिक्षा महाविद्यालय व फेकल्टी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आदि हर स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रमुख रूप से शालेय व्यवस्था मूल्यांकन एवं शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिभा पर्व का मुख्य उद्देश्य:—

- शिक्षा की गुणवत्ता की सही-सही स्थिति ज्ञात करना एवं नियमित अन्तराल पर प्रगति की समीक्षा करना,
- बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शासन की प्रतिबद्धता एवं प्राथमिकता दर्शाना एवं समाज को संवेदित करना,
- प्रदेश के बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार हेतु कार्यक्रम व रणनीति निर्धारित करना,
- अपेक्षित दक्षता हासिल न कर पाने वाले बच्चों के लिए निदानात्मक/उपचारात्मक कदम उठाना,
- बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति शिक्षकों, शिक्षा प्रशासन, जन प्रतिनिधियों एवं समाज को उत्तरदायी बनाना,
- शाला संचालन व शालेय सुविधाओं की सही-सही स्थिति ज्ञात करना तथा आवश्यक सुधार करना है।

प्रतिभा पर्व का आयोजन प्रदेश में एक साथ दिनांक 13-15 दिसम्बर, 2018 की अवधि में किया गया, जिसमें सभी प्राथमिक शालाएं एवं माध्यमिक शालाएं सम्मिलित हुईं। प्रतिभा पर्व का तीसरे दिवस बालसभा का आयोजन वार्षिक उत्सव के रूप में किया गया। बालसभा का संचालन

बाल-केबिनेट के द्वारा किया गया। बालसभा के अन्तर्गत शाला प्रबन्धन समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों व बच्चों के पालकों को आमंत्रित करके बच्चों के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत कर उनके मनोबल को बढ़ाने की प्रक्रिया की गयी, साथ ही समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित की गयी। इस वर्ष प्रतिभा पर्व के कक्षा-3, 5 व 8 के प्रश्नपत्रों को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के टूल्स अनुरूप विकसित किया गया। साथ ही बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार विश्लेषण (Analysis based on Item Response Theory-IRT) किया जा रहा है। इस विश्लेषण के आधार पर बच्चों व शिक्षकों के अकादमिक गेप्स को चिह्नित कर सुधारात्मक प्रयास किए जा सकेंगे। प्रतिभा पर्व अंतर्गत कक्षा-6 व 7 में चयनित शाला सिद्धि शालाओं में गणित व विज्ञान विषय में ओएमआर शीट के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन कराया गया। इस परिणाम का विश्लेषण करके 'शाला मित्र' की सहायता से सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रतिभा पर्व के परिणामों के विश्लेषण में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक जिले, ब्लाक एवं स्कूल स्तर पर प्राप्त परिणामों के आधार पर सुधार के प्रयास किए जाएंगे।

3.2.2.12 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (National Achievement Survey-NAS) 2017

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी के सहयोग से देशभर में एक साथ दिनांक 13 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (NAS) 2017 कक्षा-3, 5 व 8 में कराया गया। यह सर्वे प्रथम बार आरटीई के तहत अधिसूचित लर्निंग आऊटकम्स पर आधारित कराया गया। इस सर्वे में प्रदेश के सभी 51 जिलों के कुल 8789 विद्यालय 1,46,175 विद्यार्थी शामिल हुए। इस सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण कर एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक जिले का 'जिला रिपोर्ट कार्ड' जारी किया गया।

उक्त जिला रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त स्थिति का विश्लेषण कर उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए जिले की स्थिति अनुसार फोलोअप गतिविधियां यथा- सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रभावी टीएलएम निर्माण आदि करने की योजना है।

3.2.2.13 सतत्-व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation)

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व एन.सी.एफ. 2005 की अनुशंसाओं के दृष्टिगत म.प्र. में सतत्-व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) का क्रियान्वयन वर्ष जुलाई, 2010 से लागू किया गया।

सीसीई प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश की 234 शालाओं में सीसीई पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया गया और फील्ड ट्रायल से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नवीन सीसीई मार्गदर्शिका विकसित की गई है। फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित मूल्यांकन निर्देश वर्ष 2017-18 में जारी किए गए हैं, इनमें शैक्षिक क्षेत्रों, सह-शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों को मूल्यांकन में समावेशित किया गया है। इस वर्ष विशेष रूप से स्व-मूल्यांकन प्रपत्र, अवलोकन प्रपत्र, पोर्टफोलियो प्रोफाइल प्रपत्र को सीसीई के नवीन टूल्स के रूप में लागू किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सीसीई का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

एनसीईआरटी द्वारा विकसित ड्राफ्ट सीसीई गाइडलाइंस में आवश्यक सुधार हेतु राज्य द्वारा वर्ष 2018 में कमेट्स भेजे गए।

3.2.2.14 बच्चों की आधारभूत दक्षताओं का परीक्षण से स्थिति आकलन व दक्षताओं में सुधार (बेसलाईन-मिडलाइन-एण्डलाइन टेस्ट)

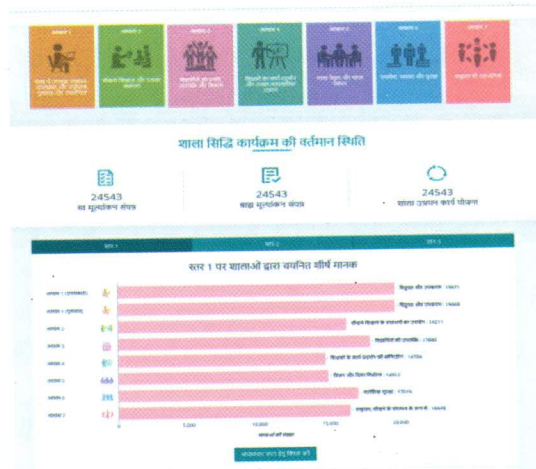
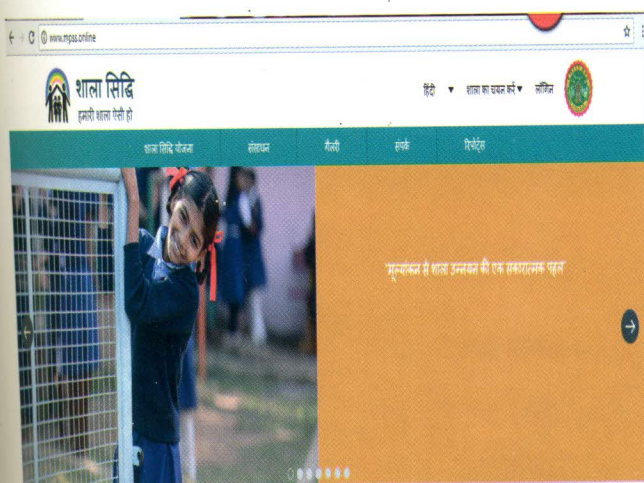
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रदेश की प्रत्येक शासकीय शाला द्वारा इस प्रकार योजनाबद्ध कोशिश की जाए कि प्रत्येक बच्चा जिस कक्षा में अध्ययनरत है उसके अनुरूप सीखने की दक्षताएं एवं कौशल अर्जित कर सके। इस हेतु 25 जून से 30 जून की अवधि में प्रदेश की एक लाख ग्यारह हजार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पदस्थ शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-3 से 8 बच्चों का बेसलाईन टेस्ट लिया गया।

बेसलाईन टेस्ट की पारदर्शिता विश्वरसनीयता एवं वैधता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभागीय स्तर पर शाला मित्र, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला एवं थर्ड पार्टी मानिट्रिंग के रूप में प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालय का स्टाफ एवं प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन के विशेषज्ञों द्वारा चयनित शालाओं में जाकर बेसलाईन टेस्ट प्रक्रिया एवं अभिलेख संधारण का मूल्यांकन एवं सत्यापन किया जाता है। बेसलाईन टेस्ट प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सम्पादित करने के लिए विद्यालय के शिक्षकों को राज्य से जारी निर्देश की प्रति, टेस्ट प्रक्रिया के वीडियो क्रमशः व्हाट्सप पर लिंक के रूप में एवं यू-ट्यूब पर उपलब्ध कराए गए साथ ही प्रक्रिया सम्पादन की हार्ड कापी भी शिक्षकों को उपलब्ध करायी गई है एवं विकासखंड स्तर पर प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण भी किया गया है।

प्रत्येक विद्यालय में बेसलाईन टेस्ट की प्रक्रिया शत प्रतिशत पूर्ण करने के साथ-साथ अध्ययनरत बच्चों को सीखने के स्तर अनुसार तीन समूह में सूचीबद्ध किया गया। तदनुसार शिक्षकों को सीखने के स्तर के अनुसार शैक्षिक सामग्री के रूप में वर्कबुक तथा उसमें समाहित सामग्री को बच्चों को सिखाने के लिए मार्गदर्शिका के रूप में "टीचर्स हैंडबुक" उपलब्ध कराई तथा राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए सुझावात्मक समय-सारणी के आधार पर विद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ दक्षता उन्नयन का हिन्दी भाषा एवं गणित में विशेष कक्षाएं संचालित की गयी। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक का लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक कक्षा में दर्ज प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा स्तर के अनुरूप मूलभूत दक्षता प्राप्त कर लें। विभाग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी को इन प्रक्रियाओं की व्यवस्थित एवं सघन मानिट्रिंग करने, प्राप्त रिपोर्ट/प्राप्त स्थिति के आधार पर फालोअप करने एवं आवश्यकतानुसार सपोर्ट करने के निर्देश दिये गए हैं।

4 से 6 अक्टूबर 2018 की अवधि में मिडलाईन टेस्ट आयोजित किया गया। इसके द्वारा विद्यार्थियों ने कितनी प्रगति की है, इसकी जाँच की गयी। इससे प्राप्त फीडबैक के आधार पर दिसम्बर में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को मूलभूत दक्षता अर्जित करने के प्रयास किये गये। इसके आकलन हेतु 17-22 दिसम्बर, 2018 के दौरान एण्डलाईन टेस्ट आयोजित किया गया।

3.2.2.15 हमारी शाला ऐसी हो- शाला सिद्धि कार्यक्रम



विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विगत वर्षों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए हैं। दक्षता संवर्धन जिला अकादमिक गुणवत्ता सुधार योजना, प्रतिभा पर्व, हमारी शाला कैसी हो, शाला गुणवत्ता कार्यक्रम जैसे कई प्रयास इसके उदाहरण हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में NUEPA (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) द्वारा शालाओं के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु एक फ्रेमवर्क "शाला सिद्धि" तैयार किया गया है जिसे दिनांक 7.11.2015 को प्रारम्भ किया गया। इस फ्रेमवर्क को आधार मानते हुए प्रदेश में किए गए पूर्व प्रयासों के अनुक्रम में राज्य की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को केन्द्रित करते हुए शालाओं के मूल्यांकन और उन्नयन के लिए "हमारी शाला ऐसी हो" कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम द्वारा शाला स्वयं का सतत मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन कर चिन्हित क्षेत्रों में शाला उन्नयन की कार्य योजना बनाकर शाला का समग्र विकास कर सकेंगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शाला सिद्धि-"हमारी शाला ऐसी हो" कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 में प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र से 4 प्राथमिक एवं 4 माध्यमिक शालाएं (1-1 डी अथवा ई ग्रेड सहित) कुल 24792 शालाएं चयनित की गईं। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 4 चरणों में किया गया, ये चरण हैं- स्व-मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, शाला उन्नयन कार्य योजना का निर्माण व शाला उन्नयन कार्य योजना अनुसार सुधार हेतु कार्यवाही करना। इन चरणों की प्रक्रिया निम्नानुसार पूर्ण की गई-

1. शालाओं द्वारा अपना स्व-मूल्यांकन, निर्धारित प्रपत्र में एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार किया गया, जो सात चरणों में पूरा होता है। इससे शालाओं को अपनी वर्तमान स्थिति एवं उन आयामों और मानकों जिनमें सुधार किया जाना है, की जानकारी स्पष्ट हुई है।
2. तत्पश्चात् बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार शालाओं का बाह्य मूल्यांकन किया गया।
3. उक्त स्व-मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन के आधार पर शालाओं द्वारा सभी शिक्षकों व शाला प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के साथ मिलकर निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं

के आधार पर शाला उन्नयन की कार्य योजना बनाई गई। इस कार्ययोजना में कौन से कार्य, कैसे एवं कब किसके द्वारा किए जाएंगे इसका विवरण है।

4. विकासखण्ड, जिले/राज्य स्तर के मनोनीत अधिकारी व बाह्य अकादमिक विशेषज्ञ भी शाला मूल्यांकन के आयामों एवं मानकों में शाला द्वारा किए गए स्वमूल्यांकन पर अपनी टीप एवं मार्गदर्शन दिया गया।
5. इस कार्यक्रम में बेहतर कार्ययोजना निर्माण एवं समय-सीमा में उक्त कार्ययोजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए शाला सिद्धि—“हमारी शाला ऐसी हो” प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत विकासखंड पर तीन प्राथमिक एवं तीन माध्यमिक शालाओं तथा इनमें से सर्वश्रेष्ठ पर तीन प्राथमिक एवं तीन माध्यमिक शालाओं का चयन जिले स्तर पर किया गया।
6. प्रत्येक विकासखंड के एक जनशिक्षा केन्द्र को उत्कृष्ट जनशिक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया जाकर इसकी शाला सिद्धि शालाओं द्वारा अन्य शालाओं के लिए मेंटर की भूमिका का निर्वहन किया गया। शेष जनशिक्षा केन्द्रों में प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र की चार शाला सिद्धि शालाएं अन्य शालाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।
7. प्रत्येक संकुल की शाला सिद्धि की एक अग्रणी माध्यमिक शाला को लर्निंग किट प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

3.2.2.16 शिक्षा में गुणवत्ता हेतु अन्य गतिविधियाँ

देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके “प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992” के आधार पर विकसित शैक्षिक रणनीतियों में प्रमुख रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के उद्देश्यों में सभी बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपलब्धि को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। विद्यार्थियों की सीखने की सामग्री, सिखाने की विधियों और शैक्षिक सुविधाओं के साथ-साथ, शिक्षकों की शिक्षा और उनके कार्य करने के तरीकों की मॉनीटरिंग को भी उपयोगी और परिणाम मूलक बनाने की दिशा में सतत प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2002 में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार जन शिक्षा अधिनियम 2002 एक विशेष पहल थी जिसके माध्यम से प्रदेश के बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को अधिनियमित किया गया और सभी हितधारकों के कर्तव्य भी निर्धारित किये गये।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रत्येक बच्चे को सीखने के सार्वभौमिक अधिकार को सहज स्वीकार करने तथा उनके सीखने के दौरान ही ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने सम्बन्धी अवधारणा को विकसित किये जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.) 2005 में विशेष रूप से रचनावादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। एन.सी.एफ. 2005 और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रदेश स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के विकास हेतु किये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं —

(i) पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं गुणवत्ता विकास

- कक्षा 1 से 8 तथा 9 एवं 10 के पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित विषयों में NCERT पुस्तकों का अभिग्रहित किया गया है। कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन एवं गणित, कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए गणित संकाय, जीव विज्ञान संकाय तथा वाणिज्य संकाय की सत्र 2018-19 से NCERT पुस्तकें अभिग्रहण की गईं।
- कक्षा 1 से 8 तक के (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम) समस्त विषयों, कक्षा 9 से 10 तक के (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) समस्त विषयों एवं कक्षा 11 एवं 12 के भाषा की पाठ्यपुस्तकों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू) एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 11 व 12 की (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) SCERT म.प्र. द्वारा निर्मित कुल 123 पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन किया गया।
- संस्था NEG-FIRE (New Education Group-Foundation for Innovation and Research in Education) के सहयोग से मण्डला व डिण्डौरी जिले में बैगा व गौड़ी भाषा पर 10 पुस्तकों का सेट तैयार किया गया। दोनों जिले में 15-15 शालाओं पर स्थानीय भाषा पर पायलेट प्रोजेक्ट किया गया।
- राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा लर्निंग आउटकम्स पर आधारित "टीचर हैण्डबुक" तैयार की गई है। यह पुस्तिका कक्षा 1 से 8 के लिए प्रत्येक विषय में तैयार की गई है। जिसके माध्यम से कक्षा कक्ष में होने



- वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को एक पुस्तक के रूप में समेकित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अवधारणा क्षेत्र, पैडागॉजिकल प्रक्रिया, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षण में लगने वाला अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन आओ करके सीखें तथा लर्निंग आउटकम्स को समाहित किया गया है।
- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत मेंटर संस्थाओं (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल व भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल) के सहयोग से बच्चों में विज्ञान व गणित में रुचि उत्पन्न करने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई। प्रदेश की तीन मेंटर संस्थाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल व भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल है। प्रदेश की स्कूलों में बच्चों को विज्ञान एवं गणित में रुचि जागृत करने हेतु मॉडल, प्रदर्शनी, शिक्षकों की सहायता की जा रही है।
- आंचलिक विज्ञान केन्द्र के सहयोग से प्रदेश के चयनित जिलों में मोबाइल विज्ञान वैन का भ्रमण सुनिश्चित कराया गया। उक्त मोबाइल वैन में विज्ञान के चलित मॉडल का प्रदर्शन करते हुए विज्ञान की अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया।

विशेष सहयोग प्रदान किया गया। उपस्थित व्यक्तियों में से 39,141 व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक बार शालाओं में उपस्थित होने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले वॉलेंटियर द्वारा शालाओं को 'गिफ्ट-अ बुक' कैम्पेन अन्तर्गत 1,86,010 पुस्तकें प्रदान की। दान देने वाले इच्छुक व्यक्ति द्वारा बच्चों एवं शाला को उपहार प्रदाय किए गए जिसमें पेन, पेसिल, कॉपी, वॉटल से लेकर कम्प्यूटर तक शामिल हैं। 'मिल-बाँचे मध्यप्रदेश' के अन्तर्गत प्रदेश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले साथियों का भी सहयोग मिला। उक्त आयोजन बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से सफल रहा।



- **कहानी उत्सव** – कहानी उत्सव भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना 'पढ़े भारत— बड़े भारत' के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से 'कहानी उत्सव' का आयोजन सत्र 2016-17 से निरन्तर किया जा रहा है। व्यवस्था, अनुशासन, एकाग्रता, भाषा विकास, इतिहास बोध, लोक संस्कृति से परिचय आदि के लिए कहानी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। 'कहानी-उत्सव' का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना एवं पढ़ना उनकी आदत में शामिल हो है। इसे दो श्रेणियों में आयोजित किया जाता है।
 - i. कक्षा 5 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् बच्चे।
 - ii. शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक
- 2. कहानी-उत्सव का प्रारंभ पूरे प्रदेश में प्रदेश के प्रत्येक शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में किया गया।
- 3. उक्त आयोजन के अन्तर्गत शाला स्तर, जनशिक्षा केन्द्र स्तर, विकासखण्ड स्तर व जिला स्तर तक बच्चों के समूह (कक्षा 5 से 8 में अध्ययनरत् बच्चे) में से तीन बच्चे एवं शिक्षक समूह से प्रत्येक स्तर पर तीन-तीन शिक्षकों को चयनित किया जाता है। समस्त स्तरों पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार प्रदाय किए जाते हैं।

4. 'कहानी-उत्सव' में अधिकाधिक समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त आयोजन सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, पंचायत का प्रांगण, शाला का खेल मैदान आदि स्थानों पर आयोजित कराए जाने के निर्देश हैं।
5. राज्य स्तरीय कहानी उत्सव में प्रत्येक जिले से एक बच्चा व एक शिक्षक (जिला स्तर पर प्रथम स्थान में चयनित) सहभागी सहभागिता करते हैं। राज्य स्तरीय आयोजन में प्रथम पाँच बच्चों एवं प्रथम तीन स्थान प्राप्त शिक्षकों को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाता है। शेष सहभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं।
- **जाय फुल लर्निंग** – प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जाय फुल लर्निंग दिनांक 02 अप्रैल 2018 से प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम अन्तर्गत भाषा और गणित विषयों में 40-40 रोचक गतिविधियों में ICT का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए बच्चों को अध्ययन कराया गया।



- **दक्षता उन्नयन** – राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे एवं प्रतिभापर्व के परिणाम में यह परिलक्षित हुआ कि मध्यप्रदेश के बच्चों के उपलब्धि स्तर में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता उन्नयन हेतु कक्षा 3 से 8 तक के हिन्दी एवं गणित विषयों में स्तरवार पाठ्य सामग्री निर्माण कर प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई तथा शिक्षकों को मार्गदर्शिका उपलब्ध करा कर प्रशिक्षण भी दिया गया। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम जून 2018 से दिसम्बर 2018 तक संचालित किया गया। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित विषय में अभ्यास के अधिक अवसर प्रदान कराते हुए दक्षता उन्नयन के लिए अभ्यास पुस्तिका एवं शिक्षक मार्गदर्शिका तैयार उपलब्ध कराई गई।
- **हिन्दी ओलिम्पियाड** – प्रदेश के शास. माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत बच्चों में पढ़ने में रुचि पैदा करने की दृष्टि से हिन्दी ओलिम्पियाड का आयोजन किया जा रहा है। सत्र 2017 -18 के लिए इस प्रतियोगिता में कुल एक लाख पन्द्रह हजार बच्चों द्वारा पंजीयन कराया गया।
- **हिन्दी समर कैम्प** – राज्य स्तरीय 'कहानी उत्सव' में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त चयनित बच्चों एवं राज्य स्तर से प्रकाशित पत्रिका 'गुल्लक' में जिन बाल रचनाकारों की कहानियाँ/कविताएँ/आलेख चयनित किए गए हैं, ऐसे बच्चों में उक्त प्रतिभा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने की दृष्टि से राज्य स्तर पर पाँच दिवसीय समर कैम्प का आयोजन प्रगत शैक्षिक शिक्षा महाविद्यालय (IASE), भोपाल में किया गया। उक्त आयोजन में प्रदेश के समस्त जिलों के बच्चों द्वारा सहभागिता की गई एवं भोपाल के स्थानीय बाल साहित्यकारों, नाट्य संस्थाओं एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक कौशल संवर्धन का कार्य किया गया।

(ii) हेडस्टार्ट एवं स्मार्ट क्लास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत 2589 जनशिक्षा केन्द्रों में हेडस्टार्ट केन्द्र हैं। हेडस्टार्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी के सॉफ्टवेयर स्थानीय परिवेश और बच्चों के सीखने के अनुरूप विकसित किए गए हैं। विभिन्न विषयों पर कई सी.डी. विकसित की जा चुकी हैं। इसके अलावा एन. सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित कार्यक्रम की सी.डी. भी इन केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी हैं।

माननीय मुख्यमंत्रीजी की स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की घोषणा की पूर्ति करने के परिपेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 1380 माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। स्मार्ट क्लास में एक लेपटॉप, 42" टेलीविजन तथा यू.पी.एस.प्रदाय किया गया है।

ज्ञान पिटारा के अन्तर्गत कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा (सी.ए.एल.) के लिए विषयवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री जैसे वीडियो, आडियो, पीडीएफ तथा अन्य उपयोगी लिंक अपलोड की गयी हैं।

चिन्हित स्मार्ट क्लास के प्रधानाध्यापक को माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश में 8 स्थानों पर माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iii) विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन

एडूसेट कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र में स्थापित एडूसेट स्टूडियो से एम.एड., बी.एड. तथा डी.एल.एड. के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार वर्चुअल कक्षाओं का नियमित रूप से संचालन किया जाता है। प्रदेश में शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद शिक्षा केन्द्रों में 64 सेटेललाईट इंटरैक्टिव टर्मिनल (SIT) स्थापित हैं, जिनका उपयोग प्रशिक्षण तथा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। प्रशासन अकादमी में स्थापित हब के द्वारा अपलिक/डाउनलिक सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

(IV) निर्माण कार्य

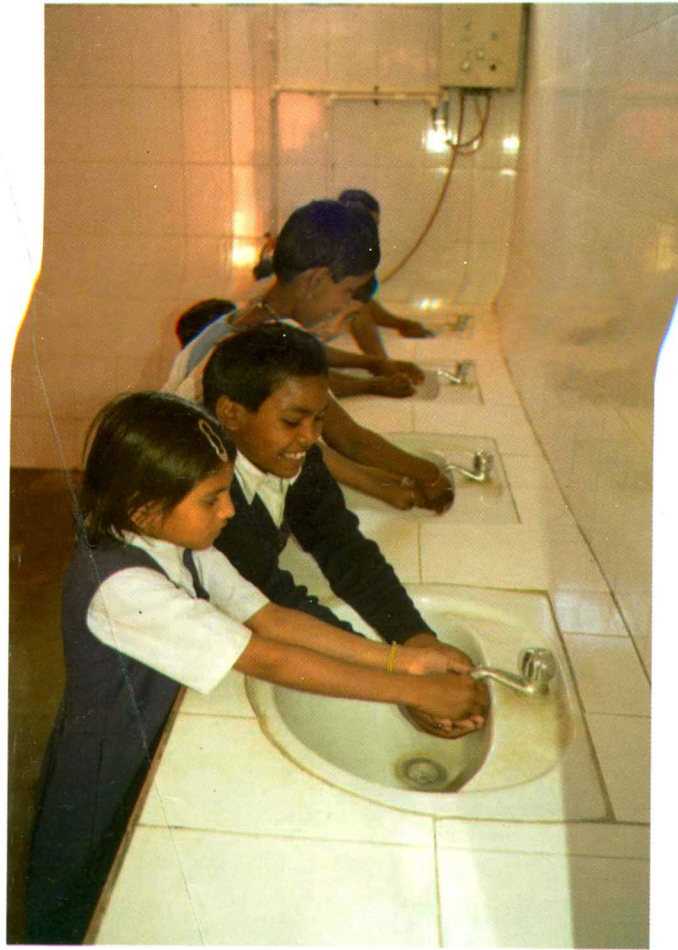
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शालाओं के लिए अधोसंरचना विकास का कार्य किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान मद अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का प्रकार	वर्ष 2018-19 में दिनांक 31.10.18 की स्थिति में कार्यों की प्रगति		रिमार्क
		लक्ष्य	पूर्ण कार्य	वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा लक्ष्य को कम किया गया।
1	बी.आर.सी. भवन	84	84	
2	नवीन प्राथमिक शाला भवन	26764	26411	32
3	नवीन माध्यमिक शाला भवन	19688	19389	23
4	अतिरिक्त कक्ष (प्राथमिक/माध्यमिक)	126053	119123	763
5	प्रधानाध्यापक कक्ष	12303	10947	157
6	शौचालय-बालक/बालिका/सी.डब्ल्यू एस.एन.	96581	94076	
7	पेयजल सुविधा	18723	18669	
8	आवासीयों विद्यालयों का निर्माण	15	14	
9	बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	5491	5491	
10	शाला भवन मरम्मत कार्य	2370	1909	

- (i) भारत सरकार से वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना में 475 प्राथमिक शाला जीर्ण-शीर्ण भवन रुपये 6490.36 लाख, 175 माध्यमिक शाला जीर्ण-शीर्ण भवन हेतु नवीन भवन रुपये 2888.79 लाख, 1240 प्राथमिक शालाओं में मरम्मत रुपये 737.749 लाख एवं 1054 माध्यमिक शालाओं के मरम्मत कार्य रुपये 861.226 लाख, 988 बालक शौचालय एवं 697 बालिका शौचालय एवं 21 के.जी. बी.व्ही छात्रावास (100 एवं 150 सीटर) भवन निर्माण राशि रुपये 3331.389 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

म.प्र. शासन पंचायतराज संचालनालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की 2285 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बालक शौचालय एवं 1591 शालाओं में बालिका शौचालय स्वीकृत किये गये हैं।

- (ii) यूनिसेफ की सहायता से सभी जिलों के लिए स्वच्छ विद्यालय अभियान अंतर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जिले स्तर से प्राप्त प्रस्तावों में से 40 शालाओं को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुशंसा के साथ अग्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की थामस अकादमी, देवास जिला-देवास को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कार्ययोजना बनाने तथा छात्रों में स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियों की जानकारी दी गई। "स्वच्छता ही सेवा" अंतर्गत प्रदेश की सभी शालाओं में स्वच्छता की गतिविधियाँ स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितम्बर-2018 आयोजित किया गया तथा 15 अक्टूबर-2018 अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर सभी शालाओं में विद्यार्थियों द्वारा साबुन से हाथ धुलाई का प्रदर्शन किया गया तथा सभी शालाओं में सोप बैंक की स्थापना की गई।



- (iii) म.प्र. शासन पंचायतराज संचालनालय द्वारा स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद की राशि से सत्र 2018-19 में 1,04,971 ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालयों की नियमित साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु प्रतिशाला रुपये 3595/- के मान से राशि रुपये

3773.7 लाख संबंधित शाला प्रबंधन समिति के खाते में जारी की गई है। शाला अधोसंरचना की लघु मरम्मत (अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना, शौचालयों की मरम्मत कार्य) हेतु राशि रुपये 3773.7 लाख की स्वीकृति जारी कर राशि समस्त जिला शिक्षा केन्द्रों को जारी की गई है। शहरी क्षेत्र की शालाओं में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शिक्षा उपकर की राशि से संपादित करने के निर्देश है।

- (iv) प्रदेश के 312 छात्रावासों में शिक्षक आवास गृह निर्माण राशि रु. 2496.00 लाख की योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है। वर्ष 2018-19 में 61 शिक्षक आवास गृह रुपये 488.00 लाख के स्वीकृत किये गये हैं।
- (v) प्रदेश के 6730 पेयजल स्रोत विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में से राज्य मद अंतर्गत 3954 शालाओं में नलजल/हैण्डपंप खनन के माध्यम से स्थाई पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने हेतु राशि रु. 4465.00 लाख की योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक योजना स्वीकृत है। राज्य मद अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 2305 शालाओं में स्थाई पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। पंचायतराज संचालनालय द्वारा शेष 2776 शालाओं में स्थाई पेयजल स्रोत हेतु राशि रुपये 3886.40 लाख लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्वीकृति एवं राशि जारी की गई है।
- (vi) प्रदेश के 101 भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवन निर्माण राशि रु. 1599.7 लाख की योजना वर्ष 2018-19 एवं से 2019-20 राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है। वर्ष 2018-19 में 62 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवन राशि रुपये 959.22 लाख की स्वीकृत जारी की गई है।
- (vii) प्रदेश के 2024 शालाओं में चैनलिंग फेंसिंग एवं 867 शालाओं में पक्की बाउण्ड्रीवाल कुल 2891 शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण राशि रु. 7050.00 लाख की योजना वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य मद से निर्माण कराने हेतु योजना स्वीकृत है। योजना में रुपये 5000.00 लाख स्कूल शिक्षा विभाग एवं रुपये 2050.00 लाख मनरेगा का कनवर्जेंस शामिल है।
- (viii) भारत सरकार द्वारा प्रधानाध्यापक कक्ष के अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विगत 05 वर्षों से राशि जारी नहीं की गई है। म.प्र. शासन द्वारा प्रधानाध्यापक कक्ष के 2665 अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राशि रु. 972.97 लाख की योजना वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राज्य मद से उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत है।
- (ix) "मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना" अंतर्गत राज्य मद से विगत वर्ष 10490 शालाओं में विद्युत संयोजन राशि रुपये 1320.70 लाख का कार्य किया जा चुका है। राज्य मद अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक शेष 97291 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि रुपये 27121.595 लाख की योजना स्वीकृत है।
- (x) राज्य मद अंतर्गत 6039 शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की सुविधा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक राशि रुपये 10000.00 लाख की योजना स्वीकृत है।

3.2.3 साक्षर भारत योजना

भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 08 सितंबर 2009 के अवसर पर साक्षर भारत योजना का शुभारंभ किया गया। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार मध्यप्रदेश के 37 (विभाजित 42) जिलों में जहां महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है में नवीन साक्षर भारत योजना लागू की गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर मध्यप्रदेश में कुल 5146288 असाक्षर चिह्नित किए गये थे। समय-समय पर सर्वे के आधार पर असाक्षरों की संख्या में वृद्धि होती रही। म.प्र. में यह योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ हुई थी तथा योजना अवधि समाप्त होने के कारण भारत सरकार द्वारा यह योजना 31 मार्च 2018 से समाप्त कर दी गई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में बजट उपलब्ध करवाया गया। भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 1587242800/- एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रु. 812040933/- की राशि उपलब्ध कराई गई है। पूरी योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 88 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

त्रिपक्षीय कार्य समझौता राज्य शिक्षा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा विभाग एवं जन अभियान परिषद:-

प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने एवं शाला से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु उच्च शिक्षा (एन.एस.एस.), सांख्यिकीय विभाग (जन अभियान परिषद) एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के साथ प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् त्रि-पक्षीय अनुबंध किया गया जिसमें एन.एस.एस के स्वयंसेवकों एवं मुख्यमंत्री नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं द्वारा उपरोक्त कार्य किया जा रहा है।

त्रिपक्षीय कार्य समझौते के उद्देश्य

- असाक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने हेतु सर्वे कार्य
- नवसाक्षर व्यक्तियों की शिक्षा को बरकरार एवं समतुल्यता कार्यक्रम के तहत उनकी योग्यता को बढ़ाने हेतु गतिविधियों का आयोजन।
- नवसाक्षरों के जीविकोपार्जन हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देना एवं भारत सरकार एवं प्रदेश की योजनाओं की जानकारी देना।
- नवसाक्षरों की शिक्षा को सतत बनाये रखने तथा शाला त्यागी बच्चों की खोज करना व शिक्षा में जोड़ने हेतु गतिविधियों का आयोजन

लक्ष्य:- सन् 2022 तक

- 90 प्रतिशत साक्षरता की दर प्राप्त करना।
- साक्षरता में लैंगिक अनुपात 10 प्रतिशत तक घटाना।
- क्षेत्रीय, सामाजिक एवं लैंगिक असमानता को घटाना।
- शाला से बाहर 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराकर मुख्यधारा से जोड़ना।

- कौशल विकास कार्यक्रम एवं भारत सरकार एवं प्रदेश की योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें कार्य रूप में लाना ।

3.2.4 शिक्षक-शिक्षा सुदृढीकरण

केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल एवं इसके अधीन संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के दृष्टिगत शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त और बेहतर करने की योजना है।

शिक्षक शिक्षा सुदृढीकरण हेतु सेवाकालीन एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है—

3.2.4.1 सत्र 2018-19 में भारत सरकार द्वारा राज्य की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के आवर्ती मद के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन के लिए राशि रुपए 3,754.20 लाख का अनुमोदन दिया गया है, जिसमें केन्द्रांश राशि रुपए 2,252.52 (60 प्रतिशत) लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 1,501.68 लाख (40 प्रतिशत) है एवं अनावर्ती मद के अन्तर्गत राशि रुपए 1,306.80 लाख, जिसमें केन्द्रांश राशि रुपए 784.08 लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 522.72 लाख है। नवीन जिलों अशोक नगर, अनूपपुर एवं सिंगरौली में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक भवन निर्माण का अनुमोदन दिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों की अकादमिक दक्षता सम्बर्धन हेतु विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से उन्मुखीकरण की योजना है।

3.2.4.2 वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 47 डाईट्स में से 43 डाईट्स द्वारा डी.एल.एड. नियमित पाठ्यक्रम संचालित है। शेष डाईट्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालन करने की मान्यता प्रक्रियाधीन है। इन सीट्स पर प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षक को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की नियमावली अनुसार गठित फीस विनियामक समिति द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारित किये गये हैं।

शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों हेतु संस्थान विकास समिति गठित है। इन समितियों की नियमित बैठक आयोजित कर स्थानीय प्रबंधन एवं संसाधनों का सुदृढीकरण किया गया है।

3.2.4.3 प्रदेश में शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी.एड. पाठ्यक्रम में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु 1,345 स्थान उपलब्ध हैं। 3600 अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड. पाठ्यक्रम (नियमित) में डाईट द्वारा तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण के द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 40 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश प्रदान कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में एम.एड.पाठ्यक्रम में 223 शिक्षकों को प्रवेश दिया गया।

3.2.4.4 सतत् शिक्षा के अवसरों का लाभ प्राप्त करने हेतु पी.एच.डी. प्रवेश के अर्हताधारी सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षकों को पी.एच.डी. हेतु प्रशासकीय अनुमति प्रदान की जा रही है।

3.2.4.5 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा संचालित अप्रशिक्षित शिक्षकों का डी.एल.एड. प्रशिक्षण

सेवारत

भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन करते हुए सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के व्यावसायिक योग्यता हासिल करने की अवधि को 31.03.2019 तक बढ़ाया गया है। इसमें यह लेख किया गया है कि ऐसे सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक (शासकीय/अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत) जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए यह योग्यता 31.03.2019 तक हासिल करना अनिवार्य होगा। बड़ी हुई समय सीमा में सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) के द्वारा ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग (ओ.डी.एल.) माध्यम से डी.एल.एड प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

प्रदेश में अद्यतन स्थिति के अनुसार 1,63,649 शिक्षक इस कार्यक्रम में पंजीकृत हैं। कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर अध्ययन केन्द्रों को चिन्हित किया गया है। यह अध्ययन केन्द्र प्रत्येक 100 छात्र पर 01 के आधार पर वर्तमान स्थिति के आधार पर लगभग 1729 केन्द्रों की स्थापना की गई है। व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों के लिए रिसोर्स पर्सन चिन्हांकित किये गए हैं। शासकीय शिक्षकों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई. को अध्ययन केन्द्र चिन्हित किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्धारित संख्या में परीक्षा केन्द्रों का चिन्हांकन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा मार्च 2019 में आयोजित की जाएगी।

3.2.4.6 सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित गतिविधियों में सहयोग

शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रक्रिया पुष्ट करने के लिए संचालित नवाचारी गतिविधियों के लिए परिषद् एवं अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा आवश्यक सामग्री का विकास, नवाचारी प्रयोग प्रविधि हेतु शिक्षक-प्रशिक्षक तथा शिक्षकों के उपयोगार्थ प्रशिक्षण सामग्री विकास, प्रशिक्षण एवं अकादमिक मॉनिटरिंग एवं अनुसमर्थन का कार्य सतत् रूप से किया गया –

- प्रदेश की चयनित कुल 16005 प्राथमिक शालाओं में गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम (एबीएल) संचालित रहा है। जिसके अंतर्गत सतत् अकादमिक सहयोग दिया गया।
- प्रदेश की 14288 माध्यमिक शालाओं में सक्रिय अधिगम प्रविधि मॉडल (ए.एल.एम.) एवं शेष माध्यमिक शालाओं में (ए.एल.एम.) 2 बाल केन्द्रित प्रविधि से प्रदेश के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण किया गया है। प्रत्येक एएलएम विद्यालयों को विभिन्न विषयों के शब्दकोश, ग्लोब, चार्ट आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रविधि में शिक्षकों का लगातार सहयोग किया जा रहा है।

3.2.4.7 प्रारम्भिक शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु शासन द्वारा विभिन्न शैक्षिक योजनाएँ संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के सफल एवं गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन हेतु प्रभाग द्वारा उनका मूल्यांकन अपने अंतर्गत आने वाली आंतरिक संस्थाओं— प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASE) शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, (CTE) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (DIET) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से शोध अध्ययनों के रूप में करवाया जाता है।

शोध से प्राप्त निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण तथा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। सत्र 2018-19 में प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं—

- 09 मध्यावधि शोध प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASE)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs), 47-लघु अवधि शोध जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट), 558 क्रियात्मक अनुसंधान प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों तथा 250 M.Ed Dissertation प्रगत अध्ययन शैक्षिक संस्थान (IASEs)/शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (CTEs) द्वारा करवाए जा रहे हैं।
- शोध कर्ताओं के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी पर प्रशिक्षण सहकार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
- इस सत्र में NCERT पाठ्यपुस्तकों, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम, प्रतिभा पर्व, शाला सिद्धि कार्यक्रम, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं उपलब्धि, टीचर हैंडबुक, डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों की गुणवत्ता, बालिकाओं की अनियमित उपस्थिति, स्वच्छता अभियान, योग प्रशिक्षण आदि विषयों पर शोध कार्य किये जा रहे हैं।
- सभी जिलों में डाईट स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान पर दो चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- शोध कार्यों की मॉनिटरिंग समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर की जाती है।
- विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा अकादमिक समर्थन का कार्यक्रम भी प्रत्येक माह सम्पन्न किया जाता है।

3.2.5 मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना

केन्द्र प्रायोजित स्कीम “मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की योजना S.P.Q.E.M (Scheme for Providing Quality Education in Madrasa/Minorities) योजना” के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पूर्व में 1307 मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 2693 स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं तथा 214 एवं 59 नवीन मदरसों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भेजे गये हैं, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। इन शिक्षकों को भारत सरकार से प्रतिवर्ष आवर्ती वित्तीय सहायता रु. 72,000/- प्रति शिक्षक के मान से प्रतिवर्ष दिया जाता है। पूर्व में यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र से सहायता प्राप्त योजना थी, वर्तमान में इस योजना का नाम S.P.E.M.M (Scheme for Providing Quality Education in Madrasa/Minorities) कर दिया गया है तथा केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

3.2.6 नेशनल स्कीम फार इनसेनटिव टू गर्ल्स फार सेकेण्डरी ऐज्यूकेशन (एन.एस.आई.जी.एसई) (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education) (NSIGSE)

नेशनल स्कीम फार इनसेनटिव टू गर्ल्स फार सेकेण्डरी ऐज्यूकेशन (NSIGSE) भारत सरकार की पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अन्तर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी

वर्गों की पात्र बालिका के खाते में राशि रुपये 3000/- (राशि तीन हजार रुपए मात्र) की राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 वी उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु अविवाहित होने पर राशि आहरित करने हेतु पात्र होती है। वर्ष 2016-17 से भारत सरकार की इस योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल "(National Scholarship Portal (NSP) के माध्यम से On-line जानकारी जिले/संस्थाओं के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। वर्ष 2016-17 में समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से 127194 एवं वर्ष 2017-18 में (National Scholarship Portal (NSP) पर लगभग 126135 हितग्राही बालिकाओं के द्वारा Online आवेदन किया गया है। उक्त आवेदनों के शाला एवं जिला स्तर पर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 हेतु योजना अंतर्गत भारत सरकार से आज दिनांक तक दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

3.2.7 इंस्पायर अवार्ड योजना

भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना प्रदेश के युवाओं में किया गया एक ऐसा निवेश है, जो विज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान को विकसित करता है। इसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान का बीज बोना, उसका पोषण करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, रुचि बढ़ाना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। इस योजना हेतु प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक, हाईस्कूल, उ. मा. विद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय, केन्द्रीय स्कूल (सेन्ट्रल स्कूल) नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं केन्द्र सरकार के अन्य विद्यालय सीबीएसई, आईसीएसई विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी पुरस्कार के पात्र होते हैं। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इन्स्पायर अवार्ड योजना की संकल्पना को संशोधित करते हुए योजना का नाम इन्स्पायर अवार्ड मानक योजना किया गया है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम देशभर के पाँच लाख विद्यालयों के स्कूली बच्चों (प्रत्येक विद्यालय से दो सर्वश्रेष्ठ विचार (Idea) के लगभग 10 लाख नवाचारों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग और 6वीं-10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आइडिया को शामिल किया गया।

योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 1369 विद्यार्थियों के प्रदेश के आइडिया का चयन किया जाकर प्रति छात्र 10,000/- अवार्ड राशि प्रदान की गई। वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 18000 छात्रों द्वारा अपने वैज्ञानिक विचार भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को योजना अन्तर्गत ऑनलाईन भेजे गए, जिसमें से 4895 विद्यार्थियों का चयन किया जाकर उन्हें राशि रु. 10,000/- प्रति छात्र के मान से अवार्ड राशि प्रदान की गई। योजनान्तर्गत जिला स्तरीय, राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन राज्य स्तर पर एवं राज्य स्तर पर चयनित विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 2018-19 की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 16 से 18 जनवरी 2019 की अवधि में होशंगाबाद में किया गया है।

3.3 अन्य योजनाएं / गतिविधियाँ

3.3.1 माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश

3.3.1.1 बेस्ट फाईव पद्धति

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में की परीक्षा प्रणाली में सुधार के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 10वीं में "बेस्ट फाईव" पद्धति लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिन 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है, उन में से जिन 05 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा परिणाम की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंकों को ही लिया जायेगा। परीक्षाफल "बेस्ट फाईव" पद्धति से जिन 05 विषयों में अधिकतम अंक होंगे उनको महायोग में सम्मिलित करके परीक्षाफल घोषित किया जावेगा, परन्तु पांच विषयों में (सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक/Project) में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। छटवां विषय जिसमें सबसे न्यूनतम अंक होंगे, की गणना महायोग में नहीं की जावेगी। छटवें विषय के अंक, अंकसूची में मात्र प्रदर्शित किये जावेंगे।

हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में "बेस्ट फाईव" पद्धति अपनायी जाने से न केवल परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव को दूर किया जा सकेगा, बल्कि प्रदेश के छात्रों-छात्राओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। इस पद्धति से वर्ष 2017-18 परीक्षाफल में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

3.3.1.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना

शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 07 नवीन ट्रेड को जोड़ा गया तथा हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक परीक्षा के 02 ट्रेड की परीक्षा ली जावेगी। इस योजना में हाईस्कूल के छात्र तृतीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 09 ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का चयन कर सकता है। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी परीक्षा के छात्र द्वितीय भाषा या व्यवसायिक विषय के 02 ट्रेड में किसी एक ट्रेड का चयन कर सकता है।

3.3.1.3 म.प्र. में ऐच्छिक विषय के रूप में एन.सी.सी.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में वर्ष 2017-18 से हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में एन.सी.सी. को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऐच्छिक विषय की ग्रेड अंकसूचियों में प्रदर्शित की जावेगी। इसके उद्देश्य है कि एन.सी.सी. विषय के प्रति छात्र-छात्राओं में ओर अधिक रुझान उत्पन्न हो सके तथा प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं में रक्षा सेवाओं की भांति अनुशासन, समर्पण, देश-भक्ति की भावना जागृत विकसित हो सके।

3.3.1.4 अंकसूचियों में QR Code की व्यवस्था

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में बोर्ड परीक्षाओं की अंकसूचियों में प्रमाणीकता, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016-17 से अंकसूचियों में QR Code की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था से जाली अंकसूचियों पर रोक लगेगी तथा विभिन्न शासकीय कार्यालय, संस्थाएं स्वयं ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल का QR Code डाउनलोड कर अंकसूचियों को सत्यापित कर सकेंगे, तथा छात्र-छात्राएं, शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं को सत्यापन संबंधी कार्य हेतु सुविधा होगी।

3.3.1.4 अंकसूची संशोधन का विकेन्द्रीकरण

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दस्तावेजों में संशोधन हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों के निराकरण की नवीन विकेन्द्रित एवं पूर्णतः ऑन-लाईन व्यवस्था लागू की गई है। नवीन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन के आवेदन कियोस्क के माध्यम से किये जा सकते हैं। आवेदन जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। समन्वयक संस्था प्राचार्य, परीक्षण उपरान्त संशोधन योग्य प्रकरण मण्डल मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किये जाते हैं। मण्डल मुख्यालय द्वारा संशोधित दस्तावेज आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से प्रेषित किए जाते हैं।

3.3.1.5 दिव्यांग (दृष्टिहीन, मूक-बधिर) छात्रों हेतु पृथक से परीक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 की बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग (दृष्टिहीन, मूक-बधिर) नियमित/स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं हेतु पृथक से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है, जारी परीक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विषय में काफी अंतराल रखा गया है जिससे कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी में समय मिल सके। इन छात्रों के लिये परीक्षा का समय भी दोपहर 1.00 बजे से रखा गया है, जिससे कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं को परीक्षा केन्द्र में पहुंचने में असुविधा नहीं हो।

3.3.1.6 कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट

मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-2807 के अनुपालन में कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाओं में वर्ष 2017-18 से परीक्षा शुल्क में पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।

3.3.1.7 मोबाइल एप

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से निम्नानुसार सेवाओं/सुविधाएं छात्र-छात्राओं हेतु प्रदान की जा रही हैं :-

- डुप्लीकेट डाक्यूमेंट प्राप्त किये जाने की सुविधा।
- प्रवेश पत्र प्राप्त करने की सुविधा।
- परीक्षा परिणाम प्राप्त करने की सुविधा।

- पुर्नगणना के आवेदन प्रेषित किये जाने की सुविधा।
- उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति हेतु आवेदन प्रेषित किये जाने की सुविधा।
- पूरक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन प्रेषित करने की सुविधा।

3.3.1.8 हेल्पलाइन सेवा

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा के उपरान्त होने वाले मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तनाव व अन्य प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के निदान तथा कैरियर काउंसलिंग एवं गार्डेंस हेतु हेल्पलाइन सेवा का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2018 में हेल्पलाइन सेवा दिनांक 15.01.2018 से प्रातः 08.00 से रात्रि 08.00 तक प्रारम्भ की गई। हेल्पलाइन सेवा विज्ञान केन्द्र स्थित हेल्पलाइन सेल में 04-04 घण्टे की 03 पारियों के माध्यम से संचालित की जाती है। प्रत्येक पारी में सामान्यतः 04 परामर्शदाता सेवा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले छात्रों को भी परामर्श प्रदान किया जाता है। इस वर्ष मण्डल द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु एक टोल फ्री नम्बर 18002330175 की भी व्यवस्था की गई तथा इस वर्ष कुल 100611 विद्यार्थियों के द्वारा हेल्पलाइन सेवा का लाभ प्राप्त किया गया।

परीक्षा के नाम से ही डर लगने लगता है। परीक्षाएं प्रारम्भ होने से लेकर परिणाम आने तक के दिन बहुत ही डरावने होते जा रहे हैं। दिखावे की संस्कृति में बच्चों के साथ साथ माता पिता भी अंकों/रैंक को ही जीवन का सब कुछ समझने लगे हैं। अच्छे अंक/रैंक लाने के लिये बच्चों पर दबाव बनाते हैं, जिसके चलते आज की पीढ़ी इस तरह मानसिक तनाव एवं हताशा के दौर से गुजर रही है कि, बच्चे आत्महत्या के कदम उठाकर अपने बहुमूल्य जीवन का खात्म करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अत्यंत चिन्ता का विषय है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्व एवं परीक्षा के दौरान तथा परीक्षा परिणामों के पूर्व एवं परीक्षा परिणामों के पश्चात होने वाले मानसिक तनाव, अकादमिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान हेतु मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष हेल्पलाइन सेवा संचालित की जा रही है।

मण्डल द्वारा संचालित हेल्पलाइन सेवा के अन्तर्गत चयनित काउंसलर्स द्वारा मनोवैज्ञानिक तथा अकादमिक पैनल द्वारा विद्यार्थियों की अकादमिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसलर्स द्वारा विद्यार्थियों को कैरियर गार्डेंस भी प्रदान किया जाता है।

हेल्पलाइन सेवा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष माह जनवरी से प्रारम्भ होकर पूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने तक संचालित की जाती है। हेल्पलाइन सेवा प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक चार-चार घण्टे की तीन पारियों में संचालित की जाती है। हेल्पलाइन सेवा अवकाश दिवसों में भी संचालित की जाती है। प्रत्येक पारी में चार-चार काउंसलर्स निम्न दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर्स पर उपलब्ध रहकर काउंसलिंग प्रदान करते हैं तथा विद्यार्थी एवं अभिभावकगण व्यक्तिगतरूप से हेल्पलाइन कक्ष में उपस्थित होकर भी परामर्श प्राप्त करते हैं :-

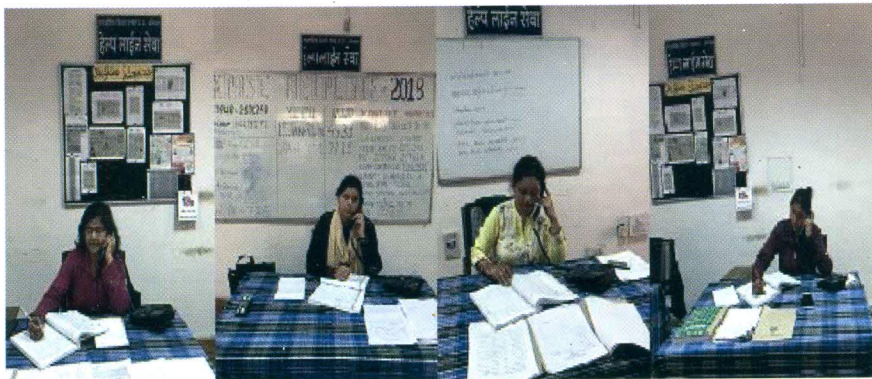
टोल फ्री क्रमांक की दो लाइन्स

18002330175

दूरभाष क्रमांक

0755 — 2570248 एवं 2570258

इस हेल्पलाइन सेवा में बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, याद करने का सही तरीका, एकाग्रता एवं भूलने की समस्या, विषय विशेषज्ञों की सहायता से विषय की कठिन अवधारणाओं का समाधान, परीक्षा संबंधी निर्देश, विद्यार्थियों हेतु आहार एवं विहार, अवसाद, भय एवं दुश्चिन्ताओं को दूर कैसे किया जावे, कैरियर एवं विषय चयन हेतु मार्गदर्शन, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षाओं में लिखने का सही तरीका आदि जानकारीयां विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को प्रदान की जाती हैं।



3.3.1.9 आई.टी.आई. उत्तीर्ण छात्रों को मुख्यधारा हेतु जोड़ने हेतु सुअवसर

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अन्तर मिटाने हेतु आई.टी.आई. नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग / स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा आयोजित दो या दो वर्ष से अधिक के मान्यता प्राप्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित शैक्षणिक सत्र 2018-19 की कक्षा 10वीं / 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में दो विषय— सामान्य हिन्दी एवं एक अन्य वैकल्पिक विषय लेकर सम्मिलित हो सकेंगे। उक्त व्यवस्था अंतर्गत उत्तीर्ण आई.टी.आई. के छात्र क्रमशः हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के समकक्ष मान्य होंगे।

3.3.1.10 अंग्रेजी भाषा के कौशल में सुधार हेतु ब्रिटिश काउंसिल का प्रोजेक्ट

ब्रिटिश काउंसिल एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि, शिक्षण गतिविधियों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर कार्य करती है। ब्रिटिश काउंसिल भारत वर्ष देश में लगभग 50 वर्ष से अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर रही है। संस्था के विश्वव्यापी अनुभव को देखते हुए अंग्रेजी भाषा शिक्षण एवं सीखने के लिए ब्रिटिश काउंसिल का चयन किया गया है। यह प्रोजेक्ट 2018 से 2022 तक कार्य करेगा। प्रोजेक्ट के तहत अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा शिक्षण के साथ साथ संप्रेक्षण कौशल (कम्यूनिकेशन स्किल) बढ़ाने हेतु जोर दिया जावेगा। साथ ही बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने एवं अंग्रेजी भाषा बोल चाल हेतु विशेष ध्यान दिया जावेगा। अंग्रेजी भाषा सीखने की नई-नई विधियों के माध्यम से सरलता से अंग्रेजी भाषा सिखाना। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों को छात्र केन्द्रित तकनीक के माध्यम से सिखाना। शिक्षकों को संप्रेक्षण कौशल निरंतर व्यावसायिक

विकास (कन्टीन्यूईंग प्रोफेशनल डेवेलपमेंट) के पाठ्यक्रम में सहभागिता करना, जिससे उनकी अंग्रेजी भाषा के कौशल, उनके ज्ञान एवं उनकी कक्षाओं में पढ़ाने की नवीन तकनीक को सीख सकें।

3.3.1.11 पैरेंटिंग काउन्सलिंग

मॉडल स्कूल टी.टी. नगर, भोपाल में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में स्कूल के साथ-साथ पालकों की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिये पैरेंटिंग काउन्सलिंग की व्यवस्था की गई है।

3.3.1.12 मण्डल की परि-सम्पत्तियों का जीर्णोधार

मण्डल परिसर स्थित विश्राम गृह, स्वागत कक्ष एवं मण्डल परिसर स्थित उद्यान विकास कार्य हेतु कुल राशि रुपये 298.91 लाख से म0प्र0 लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा नवीनीकरण कराया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है तथा मण्डल की रविशंकर नगर भोपाल स्थित आवासीय कालोनी, आंतरिक रोड एवं मण्डल मुख्यालय भवन का संधारण कार्य कुल राशि रुपये 450.00 लाख से रेनोवेशन का कार्य मण्डल की तकनीकी शाखा द्वारा संपादित कराया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल स्कूल रीवा एवं संभागीय कार्यालय का आवासीय परिसर के पुनरूद्धार कार्य हेतु कुल राशि रुपये 967.81 लाख की डी.पी.आर. मण्डल कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य म0प्र0 लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मण्डल की तकनीकी शाखा द्वारा संपादित कराया जायेगा।

3.3.1.13 मण्डल परिसर के भवन की छतों पर रूफ टॉप सोलर परियोजना की स्थापना

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में 200 किलोवाट सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय रूफ टॉप एवं नेटमीटरड सोलर संयंत्र है। इसे लगभग 20000 वर्गफिट में मण्डल कार्यालय एवं परिसर में स्थित दो अन्य भवनों की छत पर लगाया गया है। इस संयंत्र से 800 यूनिट प्रति दिवस का बिजली उत्पादन हो रहा है। मण्डल में बिजली का बिल लगभग 50 लाख रुपये प्रति वर्ष आता है सोलर पैनल लगने से 30 प्रतिशत की बचत होगी अर्थात् बिजली के बिल में लगभग 15 लाख रुपये प्रति वर्ष की बचत मंडल को होगी। कार्य की कुल लागत 1.30 करोड़ रुपये है, जिसमें मण्डल का अंशदान 90 लाख रुपये है तथा शेष की सब्सिडी शासन से प्राप्त हुई है। मण्डल द्वारा 90 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है, जिसमें 5 साल का मेन्टेनेन्स शामिल है। मण्डल द्वारा व्यय किए गए 90 लाख रुपये की वसूली 6 वर्ष में हो जाएगी, जबकि सोलर पैनल की लाईफ 25 वर्ष है। 4 साल में लागत की वसूली के बाद अगले 19 सालों में वर्तमान बिजली की दरों पर मण्डल को 3 करोड़ रुपये की बचत होगी।

3.3.1.14 हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये नवीन मूल्यांकन योजना

सत्र 2018-19 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा हेतु अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा :-

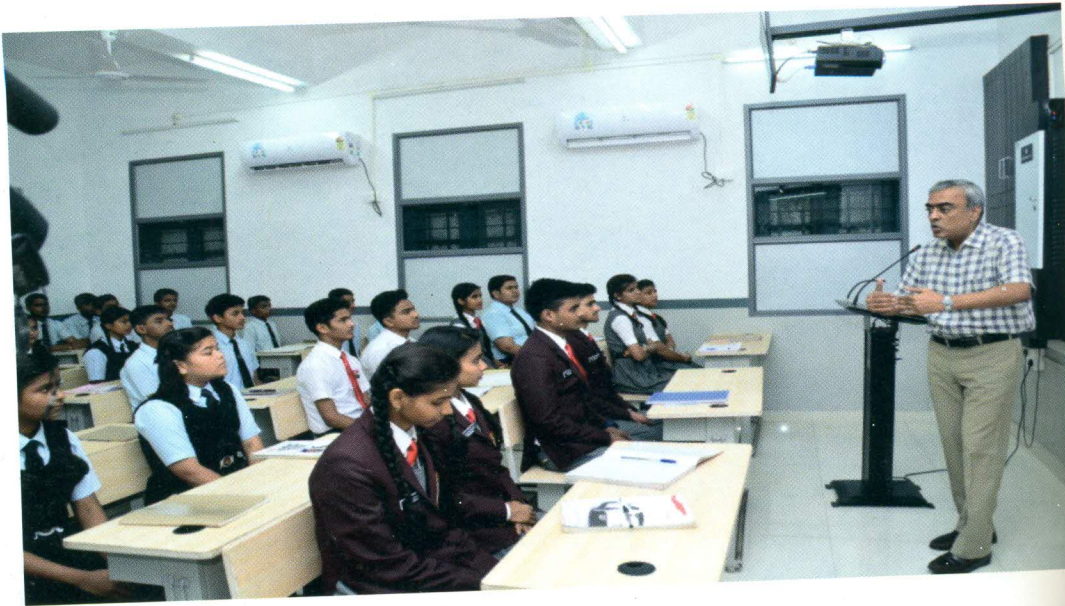
हाई स्कूल :- हाईस्कूल में गणित एवं विज्ञान विषय में एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। हाईस्कूल के सभी विषयों में 80 अंक सैद्धांतिक परीक्षा एवं 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। हाईस्कूल परीक्षा हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण 100 अंकों का ही होगा। केवल नियमित छात्रों हेतु 100 अंक का 80 प्रतिशत अधिभार अंकसूची में प्रदर्शित किया जायेगा। स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है।

एन.एस.क्यू.एफ. एवं माईनर भाषाएं, अंध-मूक, बधिर छात्रों के लिए पेंटिंग एवं संगीत विषय के प्रश्न पत्र निर्माण एवं मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति यथावत रहेगी।

हायर सेकण्डरी :- हायर सेकण्डरी के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। हायर सेकण्डरी के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रायोगिक विषयों का मूल्यांकन 70 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा तथा 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

वाणिज्य संकाय के छात्रों हेतु मूल्यांकन व्यवस्था :- नियमित छात्रों हेतु 100 अंकों का प्रश्न पत्र निर्धारित है। 100 अंकों में से प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अधिभार अंकसूची में प्रदर्शित किया जायेगा एवं 20 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए निर्धारित है। स्वाध्यायी छात्रों के लिए 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा एवं प्राप्तांक अंकसूची में प्रदर्शित किये जायेंगे। स्वाध्यायी छात्रों हेतु प्रोजेक्ट वर्क का प्रावधान नहीं रखा गया है।

एन.एस.क्यू.एफ., भारतीय संगीत, ड्राइंग एण्ड डिजाइनिंग एवं ललित कला समूह में मूल्यांकन व्यवस्था पूर्ववत् ही रहेगी।



3.3.2 म.प्र. मदरसा बोर्ड

1. म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा उर्दू पत्रकारिता में एक वर्षीय उर्दू पत्रकारिता डिप्लोमा कोर्स माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। शासन से अनुमति चाही गई है। शासन से अनुमति एवं बजट प्राप्त होने पर इसे प्रारंभ किये जाने की योजना है।
2. म.प्र. मदरसा बोर्ड मध्यप्रदेश शासन के अधिकृत पोर्टल MpOnline के माध्यम से मदरसों की मान्यता, नवीनीकरण, समिति पंजीयन व नवीनीकरण online भरवाने की योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित एवं ओपन स्कूल द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी उर्दू माध्यम की परीक्षाओं के आवेदन पत्र भी mponline के माध्यम से भरवाए जाते हैं जिससे आवेदकों के समय एवं व्यय शुल्क की बचत के साथ-साथ सभी सेवाओं में पारदर्शिता भी आई है।
3. मदरसा बोर्ड की वेबसाइट www.mpbmb.org.in प्रारंभ की गई है। जिसमें मदरसा बोर्ड से संबंधित सेवाओं की जानकारी एवं अन्य गतिविधियों का समावेश रहता है।
4. मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित करने की सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ-भवन, भोपाल द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र में इन सेवाओं को क्रमशः (42.1) मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिये बोर्ड से मान्यता, (42.2) मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, (42.3) समिति पंजीयन, (42.4) समिति का नवीनीकरण इस प्रकार अधिसूचित किया गया एवं प्रकाशित किया गया। सेवा प्रदान करने के लिये समय-सीमा निश्चित की गई एवं समय-सीमा में सेवा का लाभ न मिलने पर अपील हेतु प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का भी निर्धारण किया गया। मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से मदरसों की मान्यता संबंधी 04 सेवाएँ (नवीन मदरसा पंजीयन/नवीन मान्यता, मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, मदरसा प्रबंध समिति का पंजीयन एवं मदरसा प्रबंध समिति का नवीनीकरण) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। अब इसके अनुसार ही आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।
5. बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु मदरसा बोर्ड को ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र – मध्यप्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल एवं संकल्पना को साकार करने हेतु म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा भी मध्यप्रदेश सरकार के अधिकृत पोर्टल “ एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड ” के माध्यम से समस्त 51 जिलों की 350 से अधिक तहसीलों में 10,000 से अधिक कियोस्क के द्वारा मदरसा पंजीयन, समिति पंजीयन, मदरसा मान्यता नवीनीकरण एवं समिति नवीनीकरण के आवेदन वर्ष 2014 से ऑनलाईन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। इस सुविधा का लाभ मदरसा आवेदकों को मिल रहा है। वह अपने क्षेत्र के कियोस्क द्वारा ही आवेदन कर रहे हैं आवेदन उपरांत की गई कार्यवाही को बोर्ड SMS द्वारा आवेदक